

इसे वेबसाईट [www.govt\\_pressmp.nic.in](http://www.govt_pressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 18]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 6 मई 2022—वैशाख 16, शक 1944

### विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश,  
(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं,  
(4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश  
और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की  
अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिषष

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,  
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,  
(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,  
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,  
(3) संसद् के अधिनियम,  
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

## भाग १

### राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 मार्च 2022

क्र. ई-1-53-2022-5-एक.—श्री कर्मवीर शर्मा, भाप्रसे (2010),  
प्रबंध संचालक, ऊर्जा विकास निगम, भोपाल को अपने वर्तमान  
कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक पदेन  
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग  
घोषित किया जाता है।

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2022

क्र. ई-1-56-2022-5-एक.—श्री आशीष कुमार, भाप्रसे (2009),  
अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह श्रिभाग तथा कार्यपालन संचालक,  
आपदा प्रबंधन संस्थान (DMI), भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) को  
अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न रूप से अपर सचिव,  
मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग तथा नर्मदा धाटी विकास  
विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है।

क्र. ई-1-55-2022-5-एक.—श्री अजीत केसरी, भाप्रसे (1990), अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक महानिदेशक, आर.सी.व्ही.पी.नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, मध्यप्रदेश भोपाल एवं अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है।

(2) श्री अजीत केसरी द्वारा महानिदेशक, आर.सी.व्ही.पी.नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, मध्यप्रदेश भोपाल का कार्यभार

क्र. ई-1-55-2022-5-एक.—श्री आई.सी.पी. केशरी, भाप्रसे (1988), उपाध्यक्ष नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण एवं अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग एवं प्रबंध संचालक, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, तथा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, संसदीय कार्य विभाग (अ. प्र.) तथा विशेष आयुक्त (समन्वय), मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली एवं अध्यक्ष प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, मध्यप्रदेश, भोपाल (अ. प्र.) की दिनांक 31 मार्च 2022 अपरान्ह से सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है :—

### तालिका

क्र.	अधिकारी का नाम बैच एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)
1.	श्री एस. एन. मिश्रा, भाप्रसे (1990), अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग एवं परिवहन विभाग (अतिरिक्त प्रभार).	उपाध्यक्ष नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण एवं अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग एवं प्रबंध संचालक, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल एवं अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग तथा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग (अतिरिक्त प्रभार).
2.	श्री मलय श्रीवास्तव, भाप्रसे (1990), अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग.	अध्यक्ष, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग.

(2) श्री विनोद कुमार, भाप्रसे (1989), अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (मा.अ.प्र.) तथा विधिक एवं सतर्कता प्रकोष्ठ तथा अपर मुख्य सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, संसदीय कार्य विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

क्र. ई-1-249-2021-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारी को मुख्य सचिव वेतनमान रूपये 2,25,000 निश्चित वेतन (पे-मैट्रिक्स-17) में पदोन्तत करते हुए उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है :—

क्र.	अधिकारी का नाम, बैच तथा वर्तमान पदस्थापना	मुख्य सचिव वेतनमान में पदोन्तति पर पदस्थापना	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया है
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री मनोज गोविल, भाप्रसे (1991), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग.	अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग.	अध्यक्ष राजस्व मण्डल.

(2) उक्त पदस्थापना आदेश दिनांक 1 अप्रैल 2022 से प्रभावशील होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
इकबाल सिंह बैंस, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 1 अप्रैल 2022

क्र. ई-1-34-2014-5-एक.—भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) की अधिसूचना क्रमांक सा.का.नि. 67(अ), दिनांक 28 जनवरी, 2014 द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियम, 1954 के नियम 7 में आवश्यक संशोधन करते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की नियुक्तियों के संबंध में सिफारिश करने के लिए निम्नानुसार सिविल सेवा बोर्ड के गठन हेतु प्रावधानित किया गया है :—

(i)	मुख्य सचिव	अध्यक्ष
(ii)	वरिष्ठतम अपर मुख्य सचिव अथवा अध्यक्ष, राजस्व बोर्ड या वित्त आयुक्त या समकक्ष पद या स्तर का कोई अधिकारी.	सदस्य
(iii)	राज्य सरकार के कार्मिक विभाग के प्रधान सचिव या सचिव.	सदस्य-सचिव

(2) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 1 सितम्बर, 2021 द्वारा गठित सिविल सेवा बोर्ड में राज्य शासन अब श्रीमती वीरा राणा, भाप्रसे (1988), अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल को सदस्य नामांकित करता है।

(3) उपरोक्तानुसार गठित सिविल सेवा बोर्ड के कार्यकरण एवं उसके द्वारा अपनायी जाने वाली प्रक्रिया भारत सरकार की उपरोक्त अधिसूचना क्रमांक 28 जनवरी 2014 में विहित प्रावधानों के अनुरूप होगी।

क्र. ई-1-166-2014-5-एक.—भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) की अधिसूचना क्रमांक सा.का.नि. 69(अ), दिनांक 28 जनवरी, 2014 द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियम, 1966 के नियम 7 में आवश्यक संशोधन करते हुए भारतीय वन सेवा के अधिकारियों की नियुक्तियों के संबंध में सिफारिश करने के लिए निम्नानुसार सिविल सेवा बोर्ड के गठन हेतु प्रावधानित किया गया है :—

(i)	मुख्य सचिव	अध्यक्ष
(ii)	वरिष्ठतम अपर मुख्य सचिव अथवा अध्यक्ष, राजस्व बोर्ड या वित्त आयुक्त या समकक्ष पद या स्तर का कोई अधिकारी.	सदस्य
(iii)	राज्य सरकार के कार्मिक विभाग में प्रधान सचिव या सचिव.	सदस्य-सचिव
(iv)	प्रधान सचिव या सचिव, वन	सदस्य
(v)	प्रधान मुख्य वनसंरक्षक	सदस्य

(2) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 30 अप्रैल, 2020 द्वारा गठित सिविल सेवा बोर्ड में राज्य शासन अब श्रीमती वीरा राणा, भाप्रसे (1988), अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल को सदस्य नामांकित करता है।

(3) उपरोक्तानुसार गठित सिविल सेवा बोर्ड के कार्यकरण एवं उसके द्वारा अपनायी जाने वाली प्रक्रिया भारत सरकार की उपरोक्त अधिसूचना दिनांक 28 जनवरी 2014 में विहित प्रावधानों के अनुरूप होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
जितेन्द्र सिंह चौहान, उपसचिव “कार्मिक”.

**गृह विभाग**  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 अप्रैल 2022

क्र. एफ 1(ए)-87-2008-ब-2-दो.—राज्य शासन, सुश्री चैत्रा एन., भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, (शिकायत), पु. मु., भोपाल को दिनांक 18 से 29 अप्रैल 2022 तक 12 दिवस अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान करता है।

(2) सुश्री चैत्रा एन., भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका कार्य प्रभार सुश्री शशिकांत शुक्ला, भापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, (शिकायत), पु. मु., भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर सुश्री चैत्रा एन. भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस उप महानिरीक्षक, (शिकायत), पु. मु., भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) सुश्री चैत्रा एन., भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में सुश्री चैत्रा एन., भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री चैत्रा एन., भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ 1(ए)-94-1999-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री उमेश जोगा, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, जबलपुर जोन जबलपुर को दिनांक 31 मार्च से 13 अप्रैल 2022 तक, चौदह दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 14-17 अप्रैल 2022 के विज्ञप्ति अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है।

(2) श्री उमेश जोगा, भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका कार्य प्रभार श्री आर. आर. एस. परिहार, भापुसे उप पुलिस महानिरीक्षक, जबलपुर रेन्ज, जबलपुर द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री उमेश जोगा, भापुसे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, जबलपुर जोन जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री उमेश जोगा, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री उमेश जोगा, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री उमेश जोगा, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अन्नू भलावी, अवर सचिव।

**वन विभाग**

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 अप्रैल 2022

क्र. एफ-15-01-2022-दस-2.—वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 18 की उपधारा (1) के तहत रातापानी अभ्यारण्य के गठन एवं विस्तार हेतु मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचनाओं में निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे :—

(1) मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 16 जुलाई 1976 में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक 15-04-76-दस-2 दिनांक 2 जुलाई 1976 में क्षेत्रफल 530.67 वर्ग कि. मी. (53066.56 हेक्टेयर) के स्थान पर वनक्षेत्र 532.286 वर्ग कि. मी. (53228.6 हेक्टेयर) पढ़ा जावे।

(2) मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 24 जून 1983 में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक 2409-दस-2-83 दिनांक 04 जून 1983 के परिशिष्ट-1 रक्बा 135.14 वर्ग कि. मी. के स्थान पर वनक्षेत्र 135.031 वर्ग कि. मी. (13503.1 हेक्टेयर) एवं परिशिष्ट-2 में क्षेत्रफल 23.65 वर्ग कि. मी. के स्थान पर वनक्षेत्र 155.748 वर्ग कि. मी. (15574.8 हेक्टेयर) पढ़ा जावे।

2. उपरोक्त संशोधन उपरान्त अभ्यारण्य की सीमाएं यथावत रहेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
पदमाप्रिया बालाकृष्णन, सचिव।

**नगरीय विकास एवं आवास विभाग**

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 अप्रैल 2022

**शुद्धि-पत्र**

क्र. एफ-3-22-2022-अठारह-5.—राज्य शासन एतद्वारा बालाघाट निवेश क्षेत्र की संशोधित सीमाएं संबंधी समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 4 अप्रैल 2022 जो कि म. प्र. राजपत्र (साधारण)

में दिनांक 8 अप्रैल 2022 को प्रकाशित हुई है जिसमें अनुसूची में कठिपय ग्राम त्रुटिवश टंकित होने से छूट गये हैं।

**अतः** उक्त अनुसूची में संशोधन उपरान्त निम्न अनुसूची अनुसार पढ़ा जावे :—

**अनुसूची**  
**बालाघाट निवेश क्षेत्र की संशोधित सीमाएं**

**उत्तर में**—ग्राम कनकी, खैरी, बोदा, कोलवा, टवेझिरी तथा ग्राम हीरापुर की उत्तरी सीमा तक।

**पूर्व में**—ग्राम हीरापुर, अमेड़ा, बगदरा, परसवाड़ा तथा ग्राम लिंगा की पूर्वी सीमा तक।

**दक्षिण में**—ग्राम लिंगा, नैतरा, गोगलई, जागपुर, रेंगटोला, एकोड़ी तथा ग्राम अलेझरी की दक्षिणी सीमा तक।

**पश्चिम में**—ग्राम अलेझरी, रजेगांव, डुंगरिया, मांझापुर तथा ग्राम कनकी की पश्चिमी सीमा तक।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**शुभाशीष बैनर्जी**, उपसचिव।

**विधि और विधायी कार्य विभाग**

भोपाल, दिनांक 25 अप्रैल 2022

**पंजी. क्र. 1093-2022-इक्कीस-ब(एक)**—राज्य शासन उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर न्यायिक सेवा के अधिकारी

**महिला एवं बाल विकास विभाग**

मंत्रालय; बल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 अप्रैल 2022

क्र. 2012-1545-22-पचास-2.—किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का सं. 02) की धारा 4 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट किशोर न्याय बोर्ड में, कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वन्ह करने के प्रयोजनों के लिए, कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारी को प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में पदांकित करता है, अर्थात् :—

**अनुसूची**

क्र.	किशोर न्याय बोर्ड और उसका मुख्यालय	जिले का नाम	प्रधान मजिस्ट्रेट का नाम एवं पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	अलीराजपुर	अलीराजपुर	श्री नितिन वर्मा, JMFC
2	अनूपपुर	अनूपपुर	कु. आरती सिंह,, JMFC

श्री गिरजेश कुमार सोंधिया, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, वारासिवनी, जिला बालाघाट की सेवायें श्रम न्यायालय को पीठासीन अधिकारी के पद पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश होने तक प्रतिनियुक्ति पर सौंपता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**बिनोद कुमार द्विवेदी**, प्रमुख सचिव।

**विधि और विधायी कार्य विभाग**

प्रथम तल, विन्ध्याचल भवन, भोपाल

**संशोधन आदेश**

भोपाल, दिनांक 22/25 अप्रैल 2022

फा. क्र. 1588-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, एतद्वारा, इस विभाग के आदेश क्र. 1162, 603-इक्कीस-ब(दो) दिनांक 23 मार्च 2022 की पंक्ति-5 में निम्नानुसार संशोधन करता है :—

श्री अभिजीत अवस्थी, अधिवक्ता, जबलपुर के कार्यकाल “दिनांक 25 जनवरी 2022 से पुनः एक वर्ष” के स्थान पर “दिनांक 6 फरवरी 2022 से पुनः एक वर्ष” स्थापित करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**विकास भटेले**, अतिरिक्त सचिव।

(1)	(2)	(3)	(4)
3	अशोकनगर	अशोकनगर	श्रीमती अर्चना रघुवंशी, JMFC
4	बालाघाट	बालाघाट	श्रीमती प्रियंका विश्वकर्मा JMFC
5	बड़वानी	बड़वानी	श्री विनय जैन, JMFC
6	बैतूल	बैतूल	कु. पुजा सिंह मौर्य, JMFC
7	भिण्ड	भिण्ड	कु. अंकिता गुप्ता, JMFC
8	भोपाल	भोपाल	कु. निधि शाक्यवार, JMFC
9	बुरहानपुर	बुरहानपुर	श्रीमती संगप्रिया भद्रसेन, JMFC
10	छतरपुर	छतरपुर	कु. मृणालिनी सिंह, JMFC
11	दमोह	दमोह	श्रीमती शेफाली सिंह, JMFC
12	दतिया	दतिया	श्री मनीष पाण्डेय, JMFC
13	धार	धार	कु. नविश्ता कुरैशी, JMFC
14	ई. एन. खण्डवा	ई. एन. खण्डवा	कु. निधि जैन, JMFC
15	गुना	गुना	कु. प्रीति जैन, JMFC
16	ग्वालियर	ग्वालियर	श्रीमती सुनयना श्रीवास्तवा, JMFC
17	नर्मदापुरम	नर्मदापुरम	श्रीमती सपना भारती कतरोलिया, JMFC
18	जबलपुर	जबलपुर	श्रीमती मंजू सिंह, ACJM
19	झाबुआ	झाबुआ	कु. साक्षी मसीह, JMFC
20	कटनी	कटनी	श्रीमती रंजना चतुर्वेदी, JMFC
21	मंडला	मंडला	कु. फातिमा अली, JMFC
22	मंदसौर	मंदसौर	कु. लक्ष्मी वास्कले, JMFC
23	नीमच	नीमच	श्रीमती रेखा मरकाम, JMFC
24	रायसेन	रायसेन	कु. दीपिका यादव, JMFC
25	राजगढ़ (ब्यावरा)	राजगढ़ (ब्यावरा)	कु. स्वाति सिंह बघेल, JMFC
26	रीवा	रीवा	श्रीमती नीलिमा देवदत्त, JMFC
27	सागर	सागर	श्रीमती रोहिणी तिवारी, JMFC
28	सतना	सतना	श्रीमती शुभांगी पालो, JMFC
29	सीहोर	सीहोर	श्रीमती शुभा रिछारिया दीक्षित, JMFC
30	सिवनी	सिवनी	कु. रंजना डोडवे, JMFC
31	शाजापुर	शाजापुर	श्रीमती हर्षिता गुप्ता, JMFC
32	श्योपुर	श्योपुर	कु. सपना शिवहरे, JMFC
33	सीधी	सीधी	श्रीमती सोभना मीना, JMFC
34	टीकमगढ़	टीकमगढ़	श्रीमती कविता संगम सिंह, JMFC
35	उज्जैन	उज्जैन	श्रीमती पल्लवी, JMFC
36	खरगोन (मंडलेश्वर)	खरगोन (मंडलेश्वर)	कु. नेहा अग्रवाल, JMFC

No. 2012-1545-22-50-2.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 4 of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act, 2015 (No. 02 of 2016), the State Government hereby designates Judicial Officers as specified in column No. 4 as the Principal Magistrate in the following Juvenile Justice Board as specified in the column (2) of the Schedule below for the District as specified in column (3) thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such Board under the said Act, namely :—

#### SCHEDULE

S.No.	Name of the Juvenile Justice Board & its Head Quarter (1)	Name of the District (2)	Name of the Principal Magistrate & Designation (4)
1	Alirajpur	Alirajpur	Shri Nitin Verma. JMFC

(1)	(2)	(3)	(4)
2	Anuppur	Anuppur	Ku. Arti Singh, JMFC
3	Ashoknagar	Ashoknagar	Smt. Archna Raghuvanshi, JMFC
4	Balaghat	Balaghat	Smt. Priyanka Vishvakarma, JMFC
5	Barwani	Barwani	Shri Vinay Jain, JMFC
6	Betul	Betul	Ku. Pooja Singh Mourya, JMFC
7	Bhind	Bhind	Ku. Ankita Gupta, JMFC
8	Bhopal	Bhopal	Ku. Nidhi Shakyawar, JMFC
9	Burhanpur	Burhanpur	Smt. Sangpriya Bhadrasen, JMFC
10	Chhatarpur	Chhatarpur	Ku. Mrinalini Singh, JMFC
11	Damoh	Damoh	Smt. Shephali Singh, JMFC
12	Datia	Datia	Shri Manish Pandey, JMFC
13	Dhar	Dhar	Ku. Navishta Qureshi, JMFC
14	E. N. Khandwa	E. N. Khandwa	Ku. Nidhi Jain, JMFC
15	Guna	Guna	Ku. Preeti Jain, JMFC
16	Gwalior	Gwalior	Smt. Sunayna Shrivastava, JMFC
17	Narmadapuram	Narmadapuram	Smt. Sapna Bharti Katroliya, JMFC
18	Jabalpur	Jabalpur	Smt. Manju Singh, ACJM
19	Jhabua	Jhabua	Ku. Sakshi Masih, JMFC
20	Katni	Katni	Smt. Ranjana Chaturvedi, JMFC
21	Mandla	Mandla	Ku. Fatima Ali, JMFC
22	Mandsaur	Mandsaur	Ku. Lakshami Vaskle, JMFC
23	Neemuch	Neemuch	Smt. Rekha Markam JMFC
24	Raisen	Raisen	Ku. Deepika Yadav, JMFC
25	Rajgarh (Bioara)	Rajgarh (Bioara)	Ku. Swati Singh Baghel, JMFC
26	Rewa	Rewa	Smt. Neelima Devdutt, JMFC
27	Sagar	Sagar	Smt. Rohini Tiwari, JMFC
28	Satna	Satna	Smt. Shubangi Palo, JMFC
29	Sehore	Sehore	Smt. Shubha Richhariya Dixit, JMFC
30	Seoni	Seoni	Ku. Ranjana Dodwe, JMFC
31	Shajapur	Shajapur	Smt. Harshita Gupta, JMFC
32	Sheopur	Sheopur	Ku. Sapna Shivhare, JMFC
33	Sidhi	Sidhi	Smt. Shobhna Meena, JMFC
34	Tikamgarh	Tikamgarh	Smt. Kavita Sangam Singh, JMFC
35	Ujjain	Ujjain	Smt. Pallavi, JMFC
36	Khargone (Mandleshwar)	Khargone (Mandleshwar)	Ku. Neha Agarwal, JMFC

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अजय कटेसारिया, उपसचिव.

**विभाग प्रमुखों के आदेश**  
**कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश**  
**जबलपुर, दिनांक 13 अप्रैल 2022**

क्र. बा.श्र.-2022.—बंधक श्रम प्रथा उन्मूलन अधिनियम, 1976 (क्र. 19 सन् 1976) की धारा 13 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय के ज्ञापन क्रमांक एम-1-1-93-समन्वय, दिनांक 21 मार्च 1997 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, कलेक्टर, जबलपुर द्वारा जिला स्तर के लिए पूर्व में गठित जिला सतर्कता समिति को निमानुसार पुनर्गठित किया जाता है:—

**जिला स्तरीय सतर्कता समिति-जबलपुर**

- |   |  |
|---|--|
| 1. अध्यक्ष  | 1. अपर कलेक्टर   |
| 2. अनु.जाति/जनजाति जिला के (तीन सदस्य) जबलपुर       | 2. 1. श्री ए. के. नायक, 1035 आशा काम्पलेक्स, बंगाली कालोनी.<br>2. श्रीमती सुनीता दाहिया, ग्राम छेड़ी पोस्ट बडौदा, तहसील पाटन, जिला जबलपुर.<br>3. श्री मांगीलाल मरावी, ग्राम चंदेली पो. घाटपिपरिया जनपद पंचायत, जबलपुर. |
| 3. सामाजिक कार्यकर्ता (दो सदस्य)                    | 3. 1. श्रीमती लता सिंह, गांधी स्टूडियो, मनूलाल अस्पताल के सामने, दीक्षितपुरा, जबलपुर.<br>2. श्री चक्रवर्ती, एन. प्लांट, नं. 55, गुरुदेव अस्पताल के सामने, दीक्षितपुरा, जबलपुर.   |
| 4. राज्य शासन द्वारा मनोनीत शासकीय (तीन सदस्य)      | 4. 1. पुलिस अधीक्षक, जबलपुर<br>2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जबलपुर<br>3. सहायक आयुक्त, आदिम जाति विकास, जबलपुर   |
| 5. वित्तीय एवं ऋण स्थापनाओं के प्रतिनिधि (एक सदस्य) | 5. 1. प्रबंधक, लोड बैंक, जबलपुर  |

क्र. बा.श्र.-2022.—बंधक श्रम प्रथा उन्मूलन अधिनियम, 1976 (क्र. 19 सन् 1976) की धारा 13 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय के ज्ञापन क्रमांक एम-1-1-93-समन्वय, दिनांक 21 मार्च 1997 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, कलेक्टर, जबलपुर द्वारा जिला स्तर के लिए पूर्व में गठित जिला सतर्कता समिति को निमानुसार पुनर्गठित किया जाता है:—

**उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति-जबलपुर**

- |   |   |
|---|---|
| 1. अध्यक्ष                                    | 1. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, जबलपुर  |
| 2. अनु.जाति/जनजाति जिला के (तीन सदस्य) जबलपुर | 2. 1. श्रीमती मंहतो बाई परस्ते पति प्रकाश निवासी सालीवाडा ग्राम पंचायत, तुनिया तह., जबलपुर.<br>2. श्री भारत मरावी पिता मोहनलाल मरावी निवासी सिवनी टोला पोस्ट तिलवारा घाट तह. जबलपुर.<br>3. श्री घनश्याम मसराम, पिता कमल सिंह मसराम निवासी ग्राम बरबटी पोस्ट पिंडरई तह., जबलपुर. |
| 3. सामाजिक कार्यकर्ता (दो सदस्य)              | 3. 1. श्री अनिल गौतम बडा हाई स्कूल के पास, पनागर  |
| 4. शासकीय/अशासकीय (दो सदस्य)                  | 2. श्री संजय पटेल, पडरी बरेला, जबलपुर<br>4. 1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, जबलपुर (सदस्य).<br>2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, पनागर (सदस्य).   |

5. वित्तीय एवं ऋण संस्थाओं के प्रतिनिधि एक सदस्य
6. धारा 10 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट अधिकारी
- उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति-कुण्डम
- |  |  |
|--|--|
| 1. अध्यक्ष                                       | 1. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कुण्डम   |
| 2. अनु.जाति/जनजाति जिला के (तीन सदस्य) जबलपुर    | 2. १. श्रीमती आशा मार्को<br>2. श्री पूरन सिंह मरावी<br>3. श्री अमर सिंह आर्मे जुझारी                       |
| 3. सामाजिक कार्यकर्ता (दो सदस्य)                 | 3. १. श्री कमलेश साहू, कुण्डम<br>2. श्री रवीन्द्र चनपुरिया   |
| 4. शासकीय/अशासकीय (दो सदस्य)                     | 4. १. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, कुण्डम (सदस्य).<br>2. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, कुण्डम (सदस्य) |
| 5. वित्तीय एवं ऋण संस्थाओं के प्रतिनिधि एक सदस्य | 5. शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, कुण्डम.  |
| 6. धारा 10 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट अधिकारी       | 6. तहसीलदार, जबलपुर.   |

#### उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति-पाटन

- |  |   |
|--|---|
| 1. अध्यक्ष                                       | 1. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, पाटन.   |
| 2. अनु.जाति/जनजाति जिला के (तीन सदस्य) जबलपुर    | 2. १. श्री मुकेश दाहिया, जनपद सदस्य ग्राम पंचायत, झामर तहसील, पाटन.<br><br>2. श्रीमती आशा बाई गौड़, जनपद सदस्य, ग्राम पंचायत, शहजपुर तह., पाटन. |
| 3. सामाजिक कार्यकर्ता (दो सदस्य)                 | 3. श्री राजेन्द्र सिंह उर्फ मोनू जनपद सदस्य ग्राम पंचायत, सहजपुर, तहसील शहपुरा.   |
| 4. शासकीय/अशासकीय (दो सदस्य)                     | 4. श्रीमती मालती उर्फ सम्मा बाई ग्राम पंचायत, सिहौदा थाना भेडाघाट तहसील शहपुरा.   |
| 5. वित्तीय एवं ऋण संस्थाओं के प्रतिनिधि एक सदस्य | 5. १. श्री गजेन्द्र सिंह ठाकुर, गुरु मोहल्ला, पाटन<br>2. श्री बालचंद जैन, बाजार वार्ड, पाटन   |
| 6. धारा 10 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट अधिकारी       | 4. १. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, पाटन.<br>2. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, पाटन  |
|  | 5. शाखा प्रबंधक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा, पाटन   |
|  | 6. १. तहसीलदार, पाटन<br>2. तहसीलदार, शहपुरा   |

### उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति-सिहोरा

- |  |   |
|--|---|
| 1. अध्यक्ष                                       | 1. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, सिहोरा                      |
| 2. अनुजाति/जनजाति जिला के (तीन सदस्य) जबलपुर     | 2. १. श्रीमती उर्मिला दाहिया, अध्यक्ष जनपद पंचायत, मझौली. |
|  | 2. श्री बिहारीलाल दाहिया, ग्राम बेला, सिहोरा              |
|  | 3. श्री अनिल कुमार चौधरी, ग्राम कछपुरा                    |
| 3. सामाजिक कार्यकर्ता (दो सदस्य)                 | 3. १. श्रीमती अंजना सराफ, वार्ड नं. 6, सिहोरा             |
|  | 2. श्री संजय खरया, ग्राम तलाड तह. मझौली                   |
| 4. शासकीय/अशासकीय (दो सदस्य)                     | 4. १. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, सिहोरा        |
|  | 2. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, मझौली                        |
| 5. वित्तीय एवं ऋण संस्थाओं के प्रतिनिधि एक सदस्य | 5. १. शाखा प्रबंधक, सेन्ट्रल बैंक, सिहोरा                 |
| 6. धारा 10 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट अधिकारी       | 6. १. तहसीलदार, सिहोरा.                                   |

इलैयाराजा टी. कलेक्टर

### मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण, भोपाल (भू-तल-“बी” विंग, विध्याचल भवन, भोपाल)

भोपाल, दिनांक 25 अप्रैल 2022

#### “ग्रीष्मकालीन अवकाश बाबत् अधिसूचना”

क्रमांक सह-अधि.-स्था.-2022-736 .—मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण भोपाल के अध्यक्ष को मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण विनियम, 2000 के विनियम क्रमांक-24 के प्रावधानों के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश के द्वारा घोषित ग्रीष्मकालीन अवकाश दिनांक 16 मई 2022 से दिनांक 10 जून 2022 तक, में से पन्द्रह दिन (15 दिन) का ग्रीष्मकालीन अवकाश का लाभ उठाने की पात्रता है।

2. तदनुसार सहकारी अधिकरण के माननीय अध्यक्ष दिनांक 16 मई से 20 मई 2022 तक (5 दिन) एवं दिनांक 1 जून से 10 जून 2022 (10 दिन) तक इस प्रकार कुल 15 दिन तक ग्रीष्मकालीन अवकाश पर रहेंगे, जिसके फलस्वरूप न्यायालय में उक्त अवधि में ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा।

3. तथापि उक्त दिवसों में अधिकरण में, कार्यालयोंन कार्य यथावत् जारी रहेगा।

विमल कुमार श्रीवास्तव, रजिस्ट्रार

## वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 11 अप्रैल 2022

क्रमांक/एफ-25-18/2022/10-3 :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का सं. 16) की धारा 4 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद द्वारा:-

मध्यप्रदेश राजपत्र अधिसूचना क्रमांक/10220/6560/दस दिनांक 05.10.1966 से भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-4 के अन्तर्गत राजपत्र दिनांक 26 मई 1967 में पृष्ठ क्रमांक-380 अनुक्रमांक-10 में प्रकाशित रक्षे के स्थान पर अनुसूची के कॉलम क्रमांक-6 एवं 7 में उल्लेखानुसार संशोधन किया जाता है।

अनुसूची

जिला - बैतूल

वनमंडल - शाहपुर

तहसील - भौंरा

वन परिक्षेत्र - उत्तर बैतूल

क्र.	वनमंडल का नाम	तहसील	वनखंड का नाम	पूर्व में प्रकाशित क्षेत्रफल (एकड़ में)	संशोधित रक्षा		अभियुक्ति
					(एकड़ में)	(हेक्टेयर में)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	उत्तर बैतूल	शाहपुर	मलवार	192.00	129.00	52.205	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/वन व्यवस्थापन अधिकारी बैतूल (धारा 5 से 19 की कार्यवाही)

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अशोक कुमार, अपर सचिव,

भोपाल, दिनांक 11 अप्रैल 2022

क्र. एफ-25-18-2022-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-18-2022-दस-3, दिनांक 11 अप्रैल 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अशोक कुमार, अपर सचिव।

Bhopal, the 11th April 2022

**No. F-25-18/2022/10-3 :: In exercise of the powers conferred by sub- section (1) of Section-4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. 16 of 1927), the State Government, hereby, Make the following amendment in Madhya Pradesh Gazette notification number/10220-6560-Ten dated 05-10-1966 under section 4 of the Indian Forest Act, 1927 published in the Gazette dated 26 May 1967 in the page No. 380 Serial No. 10 is replaced by the figures in column no. 6 and 7 of the following schedule.**

#### SCHEDULE

**District - Betul  
Forest Division - Shahpur**

**Tahsil - North Betul  
Forest Range - Bhaura**

<b>No.</b>	<b>Forest Division Name</b>	<b>Tehsil</b>	<b>Forest Block Name</b>	<b>Previously Published Area</b>	<b>Modified Area</b>		<b>Conviction</b>
				<b>(In Acre)</b>	<b>(In Acre)</b>	<b>(In Hectare)</b>	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
1	North Betul	Shahpur	Malwar	192.00	129.00	52.205	Sub- divisional officer (Revenue)/ Forest Sattelment officer Betul (Section 5 to 19)

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
ASHOK KUMAR, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 11 अप्रैल 2022

क्रमांक / एफ-25-18/2022/10-3 :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का सं. 16) की धारा 4 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद द्वारा:-

मध्यप्रदेश राजपत्र अधिसूचना क्रमांक / 10220 / 6560 / दस दिनांक 05.10.1966 से भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-4 के अन्तर्गत राजपत्र दिनांक 26 मई 1967 में पृष्ठ क्रमांक-380 अनुक्रमांक-11 में प्रकाशित रकबे के स्थान पर अनुसूची के कॉलम क्रमांक-6 एवं 7 में उल्लेखानुसार संशोधन किया जाता है।

### अनुसूची

जिला - बैतूल

वनमंडल - शाहपुर

तहसील - भौंरा

वन परिक्षेत्र - उत्तर बैतूल

क्र.	वनमंडल का नाम	तहसील	वनखंड का नाम	पूर्व में प्रकाशित क्षेत्रफल (एकड़ में)	संशोधित रकबा		अभियुक्ति
					(एकड़ में)	(हेक्टेयर में)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	उत्तर बैतूल	शाहपुर	घोड़ादेव	539.50	569.50	230.469	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) / वन व्यवस्थापन अधिकारी बैतूल (धारा 5 से 19 की कार्यवाही)

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अशोक कुमार, अपर सचिव,

भोपाल, दिनांक 11 अप्रैल 2022

क्र. एफ-25-18-2022-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-18-2022-दस-3, दिनांक 11 अप्रैल 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अशोक कुमार, अपर सचिव।

Bhopal, the 11th April 2022

**No. F-25-18/2022/10-3 ::** In exercise of the powers conferred by sub- section (1) of Section-4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. 16 of 1927), the State Government, hereby, Make the following amendment in Madhya Pradesh Gazette notification number/10220-6560-Ten dated 05-10-1966 under section 4 of the Indian Forest Act, 1927 published in the Gazette dated 26 May 1967 in the page No. 380 Serial No. 11 is replaced by the figures in column no. 6 and 7 of the following schedule.

#### SCHEDULE

**District - Betul  
Forest Division - Shahpur**

**Tahsil - North Betul  
Forest Range - Bhoura**

<b>No.</b>	<b>Forest Division Name</b>	<b>Tehsil</b>	<b>Forest Block Name</b>	<b>Previously Published Area (In Acre)</b>	<b>Modified Area</b>		<b>Conviction</b>
					<b>(In Acre)</b>	<b>(In Hectare)</b>	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
1	North Betul	Shahpur	Ghodadev	539.50	569.50	230.469	Sub- divisional officer (Revenue)/ Forest Sattelment officer Betul (Section 5 to 19)

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
ASHOK KUMAR, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 11 अप्रैल 2022

क्रमांक / एफ-25-18/2022/10-3 :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का सं. 16) की धारा 4 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद द्वारा:-

मध्यप्रदेश राजपत्र अधिसूचना क्रमांक / 10220 / 6560 / दस दिनांक 05.10.1966 से भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-4 के अन्तर्गत राजपत्र दिनांक 26 मई 1967 में पृष्ठ क्रमांक-382 अनुक्रमांक-34 में प्रकाशित रकबे के स्थान पर अनुसूची के कॉलम क्रमांक-6 एवं 7 में उल्लेखानुसार संशोधन किया जाता है।

### अनुसूची

जिला - बैतूल

वनमंडल - शाहपुर

तहसील - शाहपुर

वन परिक्षेत्र - उत्तर बैतूल

क्र.	वनमंडल का नाम	तहसील	वनखंड का नाम	पूर्व में प्रकाशित क्षेत्रफल (एकड़ में)	संशोधित रकबा		अभियुक्ति
					(एकड़ में)	(हेक्टेयर में)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	उत्तर बैतूल	शाहपुर	सोनादेह बानाबहेड़ा 1	33.19	35.19	14.241	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) / वन व्यवस्थापन अधिकारी बैतूल (धारा 5 से 19 की कार्यवाही)

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अशोक कुमार, अपर सचिव,

भोपाल, दिनांक 11 अप्रैल 2022

क्र. एफ-25-18-2022-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-18-2022-दस-3, दिनांक 11 अप्रैल 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अशोक कुमार, अपर सचिव.

Bhopal, the 11th April 2022

**No. F-25-18/2022/10-3 :: In exercise of the powers conferred by sub- section (1) of Section-4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. 16 of 1927), the State Government, hereby, Make the following amendment in Madhya Pradesh Gazette notification number/10220-6560-Ten dated 05-10-1966 under section 4 of the Indian Forest Act, 1927 published in the Gazette dated 26 May 1967 in the page No. 382 Serial No. 34 is replaced by the figures in column no. 6 and 7 of the following schedule.**

#### SCHEDULE

**District - Betul  
Forest Division - Shahpur**

**Tahsil - North Betul  
Forest Range - Bhoura**

No.	Forest Division Name	Tehsil	Forest Block Name	Previously Published Area	Modified Area			Conviction
				(In Acre)	(In Acre)	(In Hectare)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	North Betul	Shahpur	Sonadeh Banabaheda 1	33.19	35.19	14.241	Sub-divisional officer (Revenue)/ Forest Sattlement officer Betul (Section 5 to 19)	

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
ASHOK KUMAR, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 11 अप्रैल 2022

क्रमांक / एफ-25-18 / 2022 / 10-3 :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का सं. 16) की धारा 4 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद द्वारा:-

मध्यप्रदेश राजपत्र अधिसूचना क्रमांक / 122230-1866 / दस-66 दिनांक 18.11.1966 से भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-4 के अन्तर्गत राजपत्र दिनांक 11 अगस्त 1966 में पृष्ठ क्रमांक-868 अनुक्रमांक-35 में प्रकाशित रक्बे के स्थान पर अनुसूची के कॉलम क्रमांक-6 एवं 7 में उल्लेखानुसार संशोधन किया जाता है।

### अनुसूची

जिला - बैतूल

वनमंडल - शाहपुर

तहसील - बैतूल

वन परिक्षेत्र - उत्तर बैतूल

क्र.	वनमंडल का नाम	तहसील	वनखंड का नाम	पूर्व में प्रकाशित क्षेत्रफल (एकड़ में)	संशोधित रक्बा			अभियुक्ति
					6	7	(हेक्टेयर में)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	उत्तर बैतूल	शाहपुर	जामुन ढाना	993.00	113.00	45.730		अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) / वन व्यवस्थापन अधिकारी बैतूल (धारा 5 से 19 की कार्यवाही)

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अशोक कुमार, अपर सचिव,

भोपाल, दिनांक 11 अप्रैल 2022

क्र. एफ-25-18-2022-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-18-2022-दस-3, दिनांक 11 अप्रैल 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अशोक कुमार, अपर सचिव।

Bhopal, the 11th April 2022

**No. F-25-18/2022/10-3 :: In exercise of the powers conferred by sub- section (1) of Section-4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. 16 of 1927), the State Government, hereby, Make the following amendment in Madhya Pradesh Gazette notification number/12223-1866-Ten-66 dated 18-11-1966 under section 4 of the Indian Forest Act, 1927 published in the Gazette dated 11 August 1967 in the page No. 382 Serial No. 35 is replaced by the figures in column no. 6 and 7 of the following schedule.**

#### SCHEDULE

**District - Betul  
Forest Division - Shahpur**

**Tahsil - North Betul  
Forest Range - Bhoura**

No.	Forest Division Name	Tehsil	Forest Block Name	Previously Published Area (In Acre)	Modified Area		Conviction
					(In Acre)	(In Hectare)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	North Betul	Shahpur	Jamundhana	993.00	113.00	45.730	Sub-divisional officer (Revenue)/ Forest Sattelment officer Betul (Section 5 to 19)

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
ASHOK KUMAR, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 11 अप्रैल 2022

क्रमांक / एफ-25-18/2022/10-3 :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का सं. 16) की धारा 4 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद द्वारा:-

मध्यप्रदेश राजपत्र अधिसूचना क्रमांक / 458-1307-10-65 दिनांक 04.01.1966 से भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-4 के अन्तर्गत राजपत्र दिनांक 22 अप्रैल 1966 में प्रकाशित की गई एकल अधिसूचना के कॉलम क्रमांक-7 में प्रकाशित रक्षे के स्थान पर अनुसूची के कॉलम क्रमांक-6 एवं 7 में उल्लेखानुसार संशोधन किया जाता है।

### अनुसूची

जिला – बैतूल

वनमंडल – बैतूल

तहसील – बैतूल

वन परिक्षेत्र – उत्तर बैतूल

क्र.	वनमंडल का नाम	तहसील	वनखंड का नाम	पूर्व में प्रकाशित क्षेत्रफल (एकड़ में)	संशोधित रक्षा			अभियुक्ति
					(एकड़ में)	(हेक्टेयर में)	(हेक्टेयर में)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	उत्तर बैतूल	बैतूल	उत्तर पूर्व बांचा	16.12	16.32	6.604		अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) / वन व्यवस्थापन अधिकारी बैतूल (धारा 5 से 19 की कार्यवाही)

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अशोक कुमार, अपर सचिव,

भोपाल, दिनांक 11 अप्रैल 2022

क्र. एफ-25-18-2022-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-18-2022-दस-3, दिनांक 11 अप्रैल 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अशोक कुमार, अपर सचिव.

Bhopal, the 11th April 2022

**No. F-25-18/2022/10-3 :: In exercise of the powers conferred by sub- section (1) of Section-4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. 16 of 1927), the State Government, hereby, Make the following amendment in Madhya Pradesh Gazette notification number/458-1307-Ten-65 dated 04-01-1966 under section 4 of the Indian Forest Act, 1927. The figures in the column no. 7 of the single notification published in the Gazette dated 22 April 1966 is replaced by the figures in column no. 6 and 7 of the following schedule.**

#### SCHEDULE

**District - Betul  
Forest Division - Betul**

**Tahsil - North Betul  
Forest Range - Betul**

<b>No.</b>	<b>Forest Division Name</b>	<b>Tehsil</b>	<b>Forest Block Name</b>	<b>Previously Published Area</b>	<b>Modified Area</b>		<b>Conviction</b>
				<b>(In Acre)</b>	<b>(In Acre)</b>	<b>(In Hectare)</b>	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
1	North Betul	Betul	North East Banchna	16.12	16.32	6.604	Sub- divisional officer (Revenue)/ Forest Sattelment officer Betul (Section 5 to 19)

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
ASHOK KUMAR, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 11 अप्रैल 2022

क्रमांक / एफ-25-18/2022/10-3 :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का सं. 16) की धारा 4 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद द्वारा:-

मध्यप्रदेश राजपत्र अधिसूचना क्रमांक/7989 (अ) दिनांक 08.07.1965 से भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-4 के अन्तर्गत राजपत्र दिनांक 04 फरवरी 1966 में प्रकाशित की गई एकल अधिसूचना के कॉलम क्रमांक-5 में प्रकाशित रक्बे के स्थान पर अनुसूची के कॉलम क्रमांक-6 एवं 7 में उल्लेखानुसार संशोधन किया जाता है।

### अनुसूची

जिला - बैतूल

वनमंडल - घोड़ाडोंगरी

तहसील - बैतूल

वन परिक्षेत्र - उत्तर बैतूल

क्र.	वनमंडल का नाम	तहसील	वनखंड का नाम	पूर्व में प्रकाशित क्षेत्रफल (एकड़ में)	संशोधित रक्बा			अभियुक्ति
					(एकड़ में)	(हेक्टेयर में)	(हेक्टेयर में)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	उत्तर बैतूल	घोड़ाडोंगरी	मर्दवानी (माल)	43.81	34.81	14.087		अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) / वन व्यवस्थापन अधिकारी बैतूल (धारा 5 से 19 की कार्यवाही)

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अशोक कुमार, अपर सचिव,

भोपाल, दिनांक 11 अप्रैल 2022

क्र. एफ-25-18-2022-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-18-2022-दस-3, दिनांक 11 अप्रैल 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अशोक कुमार, अपर सचिव.

Bhopal, the 11th April 2022

**No. F-25-18/2022/10-3 :: In exercise of the powers conferred by sub- section (1) of Section-4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. 16 of 1927), the State Government, hereby, Make the following amendment in Madhya Pradesh Gazette notification number/7989 (A) dated 08-07-1965 under section 4 of the Indian Forest Act, 1927. The figures in the column no. 5 of the single notification published in the Gazette dated 04 February 1966 is replaced by the figures in column no. 6 and 7 of the following schedule.**

#### **SCHEDULE**

<b>District - Betul</b>		<b>Tahsil - North Betul</b>
<b>Forest Division - Ghodadongari</b>		<b>Forest Range -</b>
<b>Betul</b>		

No.	Forest Division Name	Tehsil	Forest Block Name	Previously Published Area  (In Acre)	Modified Area		Conviction
					(In Acre)	(In Hectare)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	North Betul	Ghoda dongari	Mardwani (Mal)	43.81	34.81	14.087	Sub- divisional officer (Revenue)/ Forest Sattlement officer Betul (Section 5 to 19)

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
ASHOK KUMAR, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 11 अप्रैल 2022

क्रमांक/एफ-25-18/2022/10-3 :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का सं. 16) की धारा 4 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद द्वारा:-

मध्यप्रदेश राजपत्र अधिसूचना क्रमांक/458-1307-10-65 दिनांक 04.01.1966 से भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-4 के अन्तर्गत राजपत्र दिनांक 22 अप्रैल 1966 में प्रकाशित की गई एकल अधिसूचना के कॉलम क्रमांक-6 में प्रकाशित रकबे के स्थान पर अनुसूची के कॉलम क्रमांक-6 एवं 7 में उल्लेखानुसार संशोधन किया जाता है।

### अनुसूची

जिला - बैतूल

वनमंडल - बैतूल

तहसील - बैतूल

वन परिक्षेत्र - उत्तर बैतूल

क्र.	वनमंडल का नाम	तहसील	वनखंड का नाम	पूर्व में प्रकाशित क्षेत्रफल (एकड़ में)	संशोधित रकबा		अभियुक्ति
					6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	उत्तर बैतूल	बैतूल	खेड़ला टिकारी	3454.40	3378.00	1367.030	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) / वन व्यवस्थापन अधिकारी बैतूल (धारा 5 से 19 की कार्यवाही)

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अशोक कुमार, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 11 अप्रैल 2022

क्र. एफ-25-18-2022-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-18-2022-दस-3, दिनांक 11 अप्रैल 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अशोक कुमार, अपर सचिव.

Bhopal, the 11th April 2022

**No. F-25-18/2022/10-3 ::** In exercise of the powers conferred by sub- section (1) of Section-4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. 16 of 1927), the State Government, hereby, Make the following amendment in Madhya Pradesh Gazette notification number/458-1307-Ten-65 dated 04-01-1966 under section 4 of the Indian Forest Act, 1927. The figures in the column no. 7 of the single notification published in the Gazette dated 22 April 1966 is replaced by the figures in column no. 6 and 7 of the following schedule.

#### SCHEDEULE

**District - Betul  
Forest Division - Betul**

**Tahsil - North Betul  
Forest Range - Betul**

<b>No.</b>	<b>Forest Division Name</b>	<b>Tehsil</b>	<b>Forest Block Name</b>	<b>Previously Published Area (In Acre)</b>	<b>Modified Area</b>		<b>Conviction</b>
					<b>(In Acre)</b>	<b>(In Hectare)</b>	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
1	North Betul	Betul	Khedla Tikari	3454.40	3378.00	1367.030	Sub- divisional officer (Revenue)/ Forest Sattelment officer Betul (Section 5 to 19)

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
ASHOK KUMAR, Addl. Secy,

भोपाल, दिनांक 11 अप्रैल 2022

क्रमांक / एफ-25-18/2022/10-3 :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का सं. 16) की धारा 4 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद द्वारा:-

मध्यप्रदेश राजपत्र अधिसूचना क्रमांक / 7989 (अ) दिनांक 08.07.1965 से भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-4 के अन्तर्गत राजपत्र दिनांक 04 फरवरी 1966 में प्रकाशित की गई एकल अधिसूचना के कॉलम क्रमांक-5 में प्रकाशित रक्बे के स्थान पर अनुसूची के कॉलम क्रमांक-6 एवं 7 में उल्लेखानुसार संशोधन किया जाता है।

अनुसूची

जिला - बैतूल

वनमंडल - बैतूल

तहसील - बैतूल

वन परिक्षेत्र - उत्तर बैतूल

क्र.	वनमंडल का नाम	तहसील	वनखंड का नाम	पूर्व में प्रकाशित क्षेत्रफल (एकड़ में)	संशोधित रक्बा			अभियुक्ति
					(एकड़ में)	(हेक्टेयर में)	(हेक्टेयर में)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	उत्तर बैतूल	बैतूल	उड्डन जामठी	1278.69	1247.70	504.927		अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) / वन व्यवस्थापन अधिकारी बैतूल (धारा 5 से 19 की कार्यवाही)

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अशोक कुमार, अपर सचिव,

भोपाल, दिनांक 11 अप्रैल 2022

क्र. एफ-25-18-2022-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-18-2022-दस-3, दिनांक 11 अप्रैल 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अशोक कुमार, अपर सचिव।

Bhopal, the 11th April 2022

**No. F-25-18/2022/10-3 ::** In exercise of the powers conferred by sub- section (1) of Section-4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. 16 of 1927), the State Government, hereby,

Make the following amendment in Madhya Pradesh Gazette notification number/7989 (A) dated 08-07-1965 under section 4 of the Indian Forest Act, 1927. The figures in the column no. 5 of the single notification published in the Gazette dated 04 February 1966 is replaced by the figures in column no. 6 and 7 of the following schedule.

#### SCHEDULE

**District - Betul  
Forest Division - Betul**

**Tahsil - North Betul  
Forest Range - Betul**

No.	Forest Division Name	Tehsil	Forest Block Name	Previously Published Area  (In Acre)	Modified Area		Conviction
					(In Acre)	(In Hectare)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	North Betul	Betul	Urdan Jhamthi	1278.69	1247.70	504.927	Sub- divisional officer (Revenue)/ Forest Sattelment officer Betul (Section 5 to 19)

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
ASHOK KUMAR, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 15 जून 2021

क्रमांक—एफ—25—4 / 2021 / 10—3 :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद, द्वारा अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा करता है। यह वनखण्ड N 22°53'57.848" से N 22°54'12.106" उत्तर अक्षांश तथा E 75°00'27.060" से E 75°00'40.538" पूर्व देक्षांश के बीच स्थित है।

### अनुसूची

जिला :— धार

वनमण्डल :— धार

तहसील :— सरदारपुर

वन परिक्षेत्र :— सरदारपुर

अ. क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएँ
	वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का मद	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	
1	2	3	4	5	6	7
01	सलवा—सी	सलवा	बर्डी चरनोई निस्तार	65	6.958	उत्तर— संरक्षित वन खण्ड के मुनारा क्रमांक 44 से 06 तक की कृत्रिम वनसीमा।
				13	1.500	पूर्व— संरक्षित वन खण्ड के मुनारा क्रमांक 06 से 13 तक की कृत्रिम वनसीमा। दक्षिण— संरक्षित वन खण्ड के मुनारा क्रमांक 13 से 29 तक की कृत्रिम वनसीमा। पश्चिम— संरक्षित वन खण्ड के मुनारा क्रमांक 29 से 44 तक की कृत्रिम वनसीमा।
				योग	8.458 हे.	

### (क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :—

- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र क्रमांक 6—एम.पी.सी. 013 / 2017—बी.एच.ओ. / 1129 दिनांक 19.02.2018 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक 01 धार की स्वीकृत दुमाला तालाब परियोजना में प्रभावित 12.380 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 12.380 हेक्टेयर वनभूमि में से अनुसूची में वर्णित गैर वनभूमि 8.458 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्य प्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला धार के आदेश क्रमांक 192 / अ—19(3) / 2015—2016 दिनांक 07.09.2016 से हस्तांतरित अथवा नामान्तरित किये जाने के कारण।
- अन्य कारणों का विवरण — नहीं।

(ख) अनुसूची में वर्णित भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार सरदारपुर द्वारा दिये गये प्रमाण पत्र के अनुसार अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैः—

1. व्यक्तिगत अधिकार :— अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।
2. सामुदायिक अधिकार :— अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है।

अतः अनुसूची में वर्णित भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

भोपाल, दिनांक 15 जून 2021

क्र. एफ-25-4-2021-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-4-2021-दस-3, दिनांक 15 जून 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

Bhopal, the 15th June 2021

No.-F-25-4/2021/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act 1927, (XVI of 1927) the state Government is pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the areas, specified in the schedule below, This Forest Block lies between N 22°53'57.848" to N 22°54'12.106" North Latitude and E 75°00'27.060" to E 75°00'40.538" East Longitude.

SCHEDULE

District – Dhar

Forest Division – Dhar

Tehsil – Sardarpur

Forest Range – Sardarpur

S.N.	Details of Land included					Forest Block Boundaries
	Name of Forest Block	Name of Village	Head of Land	Khasara No.	Area (Hectare)	
1	2	3	4	5	6	7
01	Salva- A	Salva	Bayadi, Nistar Charnoi	65 13	6.958 1.500	North- Artificial forest boundary from pillar no. 44 to 06 of Protected Forest Block. East- Artificial forest boundary from pillar no. 06 to 13 of Protected Forest Block. South- Artificial forest boundary from pillar no. 13 to 29 of Protected Forest Block. West- Artificial forest boundary from pillar no. 29 to 44 of Protected Forest Block.
			Total		8.458	

**(A) Reason for publication of Notification :-**

- (1) In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change Government of India's order No. 6-MPC008/2017-BHO/1129 dated 19-02-2018 and in lieu of 12.380 hectare of affected forest land under the sanctioned **Daumala Tank Project** of Water Resource Department of E.E. Dhar, the above mentioned Non Forest Land of 8.458 hectare mentioned in schedule from 12.380 hectare transferred or muted in favour of M.P. Govt., Forest Department by order no. 192/A-19(3)/2015-16 dated 07-09-2016 of Collector Dhar for the purpose of compensatory afforestation.
- (2) Details of other Reasons – Nil.

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the mentioned in schedule land as per certificate of Tehsildar Sardarpur (Designation of Competent Revenue Officer) are as under-

1. Individual's Rights :- There are no individual's Rights on the land mentioned in schedule.
2. Community's Rights :- There are no Community's Rights on the land mentioned in schedule.

**Therefore the land mentioned in schedule is being declared as Protected Forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.**

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
SANJAY MOHARIR, Ex Officio Secy.

## भोपाल, दिनांक 26 अप्रैल 2022

क्रमांक/एफ-25-17/2022/10-3 :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एवं द्वारा यह घोषित करता है कि : -

(क) नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट संरक्षित वनभूमि जो वनखण्ड  $23^{\circ} 50' 43.2''$  से  $23^{\circ} 50' 24.0''$  उत्तर अक्षांश तथा  $75^{\circ} 17' 45.2''$  से  $75^{\circ} 18' 03.1''$  पूर्व देशांश के मध्य स्थित है, को आरक्षित वन बनाने का विनिश्चय कर लिया गया है।

(ख) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) उपखण्ड जावरा को उक्त अधिनियम के अधीन वन व्यवस्थापन अधिकारी के कर्तव्यों का पालन करने के लिये नियुक्त करता है।

क्र.	जिला तहसील	प्रस्तावित आरक्षित वनखण्ड	पटवारी क्र.	ग्राम/ वनखण्ड	संरक्षित पुराना	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल हेक्टेयर	यदि राजस्व भूमि है तो उसका मद	यदै संरक्षित वन है तो उसकी अधिसूचना का क्र. और दिनांक	वनमण्डल वन परिक्षेत्र	रत्नाम सैलाना	अनुसूची	सीमाओं का विवरण
												1	2
1	बोरवानी	06	बोरवानी		272/1	34.430	-		एफ-25-65/2016/10-3 दिनांक 05.08.2016	26.08. 2016	उत्तर:- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 01 से 14 तक की कृत्रिम वन सीमा। पूर्व:- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 14 से 16 तक की कृत्रिम वन सीमा। दक्षिण:- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 16 से 28 तक की कृत्रिम वन सीमा।	भोपाल, दिनांक 26 अप्रैल 2022	परिचय:- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 28 से 01 तक की कृत्रिम वन सीमा।


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अशोक कुमार, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 26 अप्रैल 2022

क्र. एफ-25-17-2022-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-17-2022-दस-3, दिनांक 26 अप्रैल 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अशोक कुमार, अपर सचिव.

Bhopal, the 26th April 2022

No./F-25-17/2022/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 4 of the Indian Forest Act 1927 (No. XVI of 1927) the State Government hereby:-

- (A) Declares that it has been decided to constitute the Protected Forest land specified in the Schedule below as Reserved Forest. This Forest Block lies between  $23^{\circ}50'43.1''$  to  $23^{\circ}50'24.0''$  North Latitude and  $75^{\circ}17'45.2''$  to  $75^{\circ}18'03.1''$  East Longitude.
- (B) Appoints Sub-Divisional Officer (Revenue) Block Jaora to perform the duties of the Forest Settlement Officer under the said Act.

SCHEDULE

District - Ratlam

Tehsil - Jaora

Forest Division - Ratlam

Forest Range - Sailana

No.	Proposed RF Forest Block	Patwari Halka No.	Village/ PF Block	Khasra		Area (Hectare)	If Revenue Land then Head of the Land	If Protected Land its Notification Number and Date	Date of Publication of Gazette	Description of Boundaries
				Old	New					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Borwani	06	Borwani	-	272/1	34.430	-	F-25- 65/2016/ 10-3 Date 05.08.2016	26.08.2016	North- Proposed Artificial Forest boundary from pillar no. 01 to 14. East- Proposed Artificial Forest boundary from pillar no. 14 to 16. South- Proposed Artificial Forest boundary from pillar no. 16 to 28. West- Proposed Artificial Forest boundary from pillar no. 28 to 01.
			Total			34.430				

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
ASHOK KUMAR, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 26 अप्रैल 2022

क्रमांक/एफ-25-20/2022/10-3 :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एवं द्वारा यह घोषित करता है कि :-

- (क) नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट संरक्षित वनभूमि जो वनखण्ड  $23^{\circ} 39' 23.9''$  से  $23^{\circ} 39' 42.7''$  उत्तर अक्षांश तथा  $75^{\circ} 14' 31.9''$  से  $75^{\circ} 15' 25.0''$  पूर्व देशांश के मध्य स्थित है, को आरक्षित वन बनाने का विनिश्चय कर लिया गया है।
- (ख) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) उपखण्ड जावरा को उक्त अधिनियम के अधीन वन व्यवस्थापन अधिकारी के कर्तव्यों का पालन करने के लिये नियुक्त करता है।

जिला	-	रत्नाम	अनुसूची	वनमण्डल	-	रत्नाम
तहसील	-	जावरा	वन परिषेत्र	वन परिषेत्र	-	सैलाना

क्र.	प्रस्तावित आरक्षित वनखण्ड	पटवारी हल्का क्र.	ग्राम/ संरक्षित वनखण्ड	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल हेक्टेयर	यदि राजस्व भूमि है तो उसका मद	यदि संरक्षित वन है तो उसकी अधिसूचना का क्र. और दिनांक	राजपत्र में प्रकाशन का दिनांक	सेमाओं का विवरण	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	सिन्दुरकिया	45	सिन्दुरकिया	-	397/1	35.752	-	एफ-25-140/2016/10-3 दिनांक 02.11.2016	11.11. 2016	उत्तर:- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 01 से 05 तक की कृत्रिम वन सीमा। पूर्व:- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 05 से 06 तक की कृत्रिम वन सीमा। दक्षिण:- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 06 से 14 तक की कृत्रिम वन सीमा।

										परिचय:- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 14 से 20 तक तथा 20 से 01 की कृत्रिम वन सीमा।
			योग		35.572					

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अशोक कुमार, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 26 अप्रैल 2022

क्र. एफ-25-20-2022-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-20-2022-दस-3, दिनांक 26 अप्रैल 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अशोक कुमार, अपर सचिव.

Bhopal, the 26th April 2022

No./F-25-20/2022/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 4 of the Indian Forest Act 1927 (No. XVI of 1927) the State Government hereby:-

- (A) Declares that it has been decided to constitute the Protected Forest land specified in the Schedule below as Reserved Forest. This Forest Block lies between N 23°39'23.9" to N 23°39'42.7" North Latitude and E 75°14'31.9" to E 75°15'25.0" East Longitude.
- (B) Appoints Sub-Divisional Officer (Revenue) Block Jaora to perform the duties of the Forest Settlement Officer under the said Act.

#### SCHEDULE

District - Ratlam

Forest Division - Ratlam

Tehsil - Jaora

Forest Range - Sailana

No.	Proposed RF Forest Block	Patwari Halka No.	Village/PF Block	Khasra		Area (Hectare)	If Revenue Land then Head of the Land	If Protected Land its Notification Number and Date	Date of Publication of Gazette	Description of Boundaries
				Old	New					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Sindurkiya	45	Sindurkiya Protected Forest Block	-	397/1	35.572	-	F-25- 140/2016/ 10-3 Date 02.11.2016	11.11.2016	North- Artificial Forest boundary from pillar no. 01 to 05. East- Artificial Forest boundary from pillar no. 05 to 06. South- Artificial Forest boundary from pillar no. 06 to 14. West- Artificial Forest boundary from pillar no. 14 to 20 and 20 to 01.
			Total			35.572				

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
ASHOK KUMAR, Addl. Secy.

कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) खातेगांव, जिला-देवास

मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारी का अर्जन) अधिनियम, 2012  
की धारा ३ के अंतर्गत नर्मदा घाटी विकास विभाग

देवास, दिनांक 31 मार्च 2022

प्र.क. 0035/अ-82/21-22 म.प्र. शासन, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन क्रेब्लर एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 की धारा ३ की उपधारा (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात कि देवास जिले की खातेगांव तहसील में म.प्र. शासन से स्वीकृत छीपानेर माइको उद्वहन सिंचाई परियोजना के तहत प्रस्तावित ग्रामों में सिंचाई व्यवस्था हेतु भूमिगत पाईप लाईन (भू-सतह के नीचे बिछाई गई और तत्पश्चात ढंग दी गई पाईप लाईन) के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन, संधारण, जल प्रवाह, प्रचालन, परीक्षण, बदलने एवं हटाने के लिए) भूमि उपयोग का अधिकार के लोक प्रयोजन हेतु वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि को अस्थायी अर्जन करने के अपने आषय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा -3 (५) के अधीन पुर्वाक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा।

ऐसा प्रत्येक आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खातेगांव जिला-देवास को लिखित रूप में किया जायेगा। और उसमें उसके आधार पर अधिकथित किये जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात, यदि कोई हो जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अनुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा ३ की उपधारा (६) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू-रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तिओं द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

### अनुसूची

देवास जिले के खातेगांव तहसील में माइको उद्वहन सिंचाई परियोजना के तहत भूमिगत पाईप लाईन के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन, संधारण, जल प्रवाह, प्रचलन, परीक्षण बदलने एवं हटाने के लिये) अस्थायी अर्जन की जाने वाली संरचना सहित निजी भूमि का संक्षिप्त विवरण

ग्राम- आकावाल्या प.ह.नं. 70 तहसील खातेगांव जिला- देवास

प्र.क. 0035/अ-82/21-22 कुल रकबा 0.199 हे. निजी भूमि एवं शासकिय रकबा 0.001 हे

छीपानेर माइको उद्वहन सिंचाई प्रणाली के अंतर्गत की जाने वाली अपाराधीय गृषि की सारणी प्राम-आकाशवाला  
प.ह.न. 70 तहसील-स्थानगांव जिला-देवास

अनुक्रमिक	गृषि सारी/अधिगोपी का नाम	तात्परा क्रमांक	कुल हास्यन(₹)	भौतिक्या हास्यन(₹)	टिपानी
1	शंकरलाल पिता गकुन्दराम	267 285/1	0.94 0.85	0.0020	
2	सतोप पिता कलीराम जाति कलोता	275	0.4	0.0003	
3	गब्बा पिता चन्द्रराम जाति कलोता	270	0.42	0.0004	
4	कुम्भावाई नि कलीराम पुकेश दिलीप गायतीबाई मीनावाई पिता कलीराम	284	0.47	0.0004	
5	सत्यनारायण पिता रामनारायण	253 88	1.09 3.3	0.0060	
6	ब्रजेश पिता गजानन्द	255	3.64	0.0030	
7	बाबुलाल पिता नगू	225 228 227	1 0.6 0.95	0.0040	
8	माखन पिता मोतीलाल	229	0.7	0.0010	
9	सूरानावाई पिता तेजराम	234	0.89	0.0010	
10	दिनेश पिता नकूलाल	240 241	1.58 0.34	0.0020	
11	रामनारायण पिता रूगनाथ	243	0.61	0.0010	
12	नकूलाल पिता प्रह्लाद	244	1.38	0.0030	
13	रामसिंह पिता ओंकार	191/1 195 198 200/1 206 207	0.4 0.59 0.75 1.3 0.5 0.33	0.0070	
14	अमरावतीबाई पति हंमसिंह	194/1	0.18	0.0005	
15	रामगोपाल पिता सालगराम	199/1	0.08	0.0030	
16	शंकरलाल पिता रुपराम	201/1 22 204/3	0.4 3.73 0.56	0.0060	
17	प्रेमनारायण पिता रुपराम	173 174 175 176 204/2	0.5 0.3 0.49 2.48 0.56	0.0080	
18	गोविन्द पिता रामनारायण	178	3	0.0030	
19	कैलाश पिता रामदीन	184 185	1.55 2	0.0114	
20	मोहनलाल पिता रामनारायण	155	4	0.0010	
21	मिश्रीलाल पिता रामनारायण	136 127 (P) 128 (P)	1.25 1 2.92	0.0230	
22	देवकरण पि.रामनारायण	137	1.65	0.0070	
23	किशनलाल सुरजसिंह पिता गंगाविसन	139	2.58	0.0130	
24	काशीबाई पति देवकरण जाति कलोता	140	2	0.0020	
25	चेनसिंह पिता मुलचंद	150 152/1	0.71 0.86	0.0020	
26	रामसूख पिता मूलचन्द	153	1.19	0.0010	
27	मुकेश पिता राधेश्याम	132 133	2.33 2.5	0.0050	

28	सीमाबाई पति रामचन्द्र	106	0.37	0 0020	
29	रमेश पिता रामप्रसाद	107	0.37	0 0050	
		111/1	0.76		
30	योगेन्द्र पिता वाबूलाल	111/2	0.76	0 0040	
		55	0.55		
31	रघेश्याम गोविंद पिता पन्नालाल	112	1.98	0.0060	
32	रामभरोस पिता मौजीराम	90	2.29	0.0050	
		6	1.11		
33	रजेश पिता हरनाथ	91	2.28	0.0040	
		92	2.28		
		7	0.76		
34	शेखर पिता हरीशकर	92	2.88	0.0030	
35	मनोहर पिता रामसेह	68	0.94	0.0010	
36	रामदेव पिता रामनारायण	50	1.64	0.0030	
37	कृष्णबाई पति वाबूलाल	54	1.6	0.0020	
38	मुकेश पिता वाबूलाल	56	2.8	0.0100	
		58	1.37		
39	रेवाराम पिता जगन्नाथ	17/1	0.93	0.0020	
		18/1	0.74		
40	रमेश्वर द पिता जगन्नाथ	18/2	0.87	0.0010	
41	देवीसिंह पिता बद्रीप्रसाद	20	1.03	0.0030	
		33/2	0.09		
42	पुनम पिता रामगोपाल	21	1.81	0.0030	
43	अमरसिंह पिता मूलचन्द्र	30	1.9	0.0020	
		222/1	0.68		
44	रामेश्वर पिता हीरालाल	32	1.66	0.0132	
		33/1	1.56		
		33/2	0.09		
45	रामेश्वर पि. हरीशकर	01-Aug	0.78	0.0020	
46	भंवरसिंह पिता देवा	10	4.08	0.0030	
47	बाबू पिता प्रताप	294	1.26	0.0040	
		300	0.64		
48	बलराम पिता प्रताप	298	1.27	0.0004	
49	बद्रीप्रसाद पिता रुपराम	204/1	0.16	0.0030	
		Total	0.199		

छीणगेर माइक्रो उत्तरगढ़ रिचाई पर्याप्ती के अन्तर्गत की जानी वाली ग्रासकीय गृष्मी की सारणी  
प्राप्त ग्रासकीयां प.इ.न. 70 तात्सील-खातेयां, जिला-देवारा

अनुक्रम	मूर्गिरक्षी/अंडिकीय का नाम	ग्रासकीय क्रमांक	कुल में उत्तराधि	प्रतिशत	टिप्पणी
1	शाराकीय	105	0	0.001	
			कुल	0.001	

प्र.क. 0036/अ-82/21-22 म.प्र. शासन, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात कि देवास जिले की खातेगांव तहसील में म.प्र. शासन से स्वीकृत छीपानेर माइको उद्वहन सिंचाई परियोजना के तहत प्रस्तावित ग्रामों में सिंचाई व्यवस्था हेतु भूमिगत पाईप लाईन (भू-सतह के नीचे बिछाई गई और तत्पश्चात ढक दी गई पाईप लाईन) के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन, संधारण, जल प्रवाह, प्रचालन, परीक्षण, बदलने एवं हटाने के लिए) भूमि उपयोग का अधिकार के लोक प्रयोजन हेतु वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि को अस्थायी अर्जन करने के अपने आषय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा-3 (4) के अधीन पुर्वांक प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा।

ऐसा प्रत्येक आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खातेगांव जिला- देवास को लिखित रूप में किया जायेगा। और उसमें उसके आधार पर अधिकथित किये जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात, यदि कोई हो जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (6) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू-रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तिओं द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

### अनुसूची

देवास जिले के खातेगांव तहसील में माइको उद्वहन सिंचाई परियोजना के तहत भूमिगत पाईप लाईन के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन, संधारण, जल प्रवाह, प्रचलन, परीक्षण बदलने एवं हटाने के लिये) अस्थाई अर्जन की जाने वाली संरचना सहित निजी भूमि का संक्षिप्त विवरण

ग्राम- गुजरगांव प.ह.नं. 34 तहसील खातेगांव जिला- देवास

प्र.क. 0036/अ-82/21-22 कुल रकबा **0.413** हे. निजी भूमि एवं शासकिय रकबा **0.00** हे

छीपानेर माइको उद्योग निवासी पर्याप्ति के अंतर्गत जी जाने वाली अशारामीय भूमि की सारणी ग्राम-गुजरांव प.ह.न. 16  
तहसील-खातोगांव जिला-देवास

संख्या	भूमि स्थानीय ग्राम स्थानीय नाम	परगण क्रमांक	कुल भूमि (हेक्टर)	अंतर्गत भूमि (हेक्टर)	टिप्पणी
1	रजनीश पिता लक्ष्मीनारायण जाति जाट पता निवासी ग्राम भूमि स्थामी	33/1	0.77	0.007	
		9	1.75		
2	नरन्दकुभार पिता कदायुकारायण जाति जाट पता निवासी ग्राम भूमि स्थामी	43/1	3.8	0.008	
3	रजाराम पिता छीतर जाति जाट पता निवासी ग्राम भूमि स्थामी रामपिलास पिता किसना जाति जाट पता निवासी ग्राम भूमि स्थामी	119(P)	0.784	0.002	
4	शिवराम पिता छोटुलाल जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्थामी	129	3.4	0.002	
5	सतोबाई पति रामधार व रामाधार पिता उमराव जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्थामी	130	2.4	0.004	
6	बरजोरसिंह पिता मदनसिंह जाति ठाकुर पता निवासी ग्राम भूमि स्थामी	173	1.3	0.016	
		174	0		
7	रामनाथसिंह पिता मदनसिंह जाति ठाकुर पता निवासी ग्राम भूमि स्थामी धनकुवरबाई पति ईश्वरसिंह जाति राजपुत पता निवासी ग्राम भूमि स्थामी	175	2	0.011	
		176	1		
8	मुकेश पिता जगनाथ जाति ब्रा पता निवासी ग्राम भूमि स्थामी रितिक पिता राकेश अ पा क राकेश पिता प्रेमनारायण जाति ब्रा पता निवासी ग्राम भूमि स्थामी	2/1 TO 2/2 (P)	4.897	0.003	
9	लक्ष्मीनारायण पिता केदारनारायण जाति जाट पता निवासी ग्राम भूमि स्थामी	44	8	0.001	
10	कमलाकेशार पिता बोहारीलाल जाति ब्राह्मण पता निवासी ग्राम भूमि स्थामी	105	2.7	0.003	
11	केलाश पिता बिहारीलाल जाति ब्रह्मण पता निवासी ग्राम भूमि स्थामी	106 (P)	3.094	0.004	
12	गोरोशकंकर पिता जगनाथ जाति ब्रा पता निवासी ग्राम	116	2.9	0.006	
13	विंताबाई पति रेवाराम जाति जाट पता निवासी ग्राम भूमि स्थामी	118	2	0.005	
14	मायाबाई पति पवन जाति जाट पता निवासी ग्राम भूमि स्थामी पवन पिता भुजराम जाति जाट पता निवासी ग्राम भूमि स्थामी भागवतीबाई पति हरिशचन्द्र जाति जाट पता निवासी ग्राम भूमि स्थामी	120	1.2	0.004	
		123	2.6		
15	पवन पिता भुजराम जाति जाट पता निवासी ग्राम भूमि स्थामी मायाबाई पति पवन जाति जाट पता निवासी ग्राम भूमि स्थामी	121	0.65	0.002	
		122	0.65		
16	खन राजेश पिता रामधार जाति चमार भूमि स्थामी	131	2.86	0.004	
17	जगदीश पिता भेरा जाति जाट पता निवासी ग्राम शिकमी मरुसी	132	1	0.005	
18	गोविन्द प्रसाद लखनताल रामसेवक रामकिशोर सुधाबाई सिन्दुबाई कृष्णबाई पिता श्रीराम जाति ब्रा पता निवासी	162	1.8	0.008	

	ग्राम भूमि स्वामी	163	1.5	
		160	0.9	
19	लोलाबाई पाते जगदीश जाते जाट पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	164	2	0.01
20	अभोताष पिता थोनेगास जाते ब्राह्मण भूमि स्वामी	188	1.8	0.004
21	बजेशाकुमार पिता थीनिवास जाते ब्राह्मण पता निवासी भूमि स्वामी	191	1.3	0.004
22	भागवतोसेह पिता मदनोसेह जाते आकुर पता निवासी ग्राम	193	2.08	0.011
23	उरणसेह पिता माधवसिंह जाति राजपृष्ठ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी सुरतसिंह पिता माधवसिंह जाति राजपृष्ठ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी नारायणसिंह पिता माधवसिंह जाति राजपृष्ठ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	199	2.08	0.003
24	सुकनाबाई विमाधवोसेह जाते राजपृष्ठ पता निवासी ग्राम विपल्यानानकर भूमि स्वामी नारायणसिंह पिता माधवसिंह जाति राजपृष्ठ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	200	1.72	0.009
25	कचरुलाल पिता गंगाराम जाति कारीगर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी संतोष पिता कचरुलाल जाति कारीगर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	201	1.72	0.015
		202	1.55	
26	सताष पिता कचरुलाल जाति कारीगर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी रामविलास पिता कचरुलाल जाति कारीगर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	203	1.66	0.007
27	बत्तराम पिता प्रताप जाते जाट पता निवासी खातेगांव भूमि स्वामी	143	1.5	0.004
28	विरेन्द्र पिता रामलाल जाति जाट पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	206	1.6	0.013
		207	1.33	
29	गाताजाई पाते बलराम जाते जाट पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	144	0.37	0.002
30	अवधशकुमार पिता दशरथ जाति ब्रा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	145	3	0.011
31	रामेश्वर पिता मोतीलाल जाति जाट पता निवासी ग्राम	74	2.24	0.002
32	उगरा पिता लक्ष्मण जाति जाट पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी रितु पिता नारायण जाति जाट पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	75	1.55	
		76	3.17	0.009
33	कृष्णाबाई पति नारायण जाति जाट पता निवासी ग्राम	77	0.4	नेत्रीन्द्र
		78	1.18	0.007
34	अनसूइयाबाई पतो सूभाशचन्द्र जाति ब्राह्मण पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	95	0.99	नेत्रीन्द्र
35	हरनारायण पिता रामोतार जाति विश्रोइ पता निवासी ग्राम	81	1.9	- 0.003
36	नारायण पिता छोतर जाति जाट पता निवासी ग्राम	85	1.2	0.003
37	इन्दरबाई पती हरनारायण जाति विश्रोइ पता निवासी ग्राम	93	1.1	0.002
38	आनन्द पिता सूभाय जाति ब्राह्मण पता निवासी ग्राम	51	4	0.009
39	सुभायचन्द्र पिता श्रीप्रसाद जाति ब्रा पता निवासी ग्राम	52	4	0.004
40	प्रेमनारायण पिता कुंजीलाल जाति ब्राह्मण पता निवासी ग्राम	53	4.4	0.003
41	गोविंद पिता बीहारी जाति ब्राह्मण पता निवासी ग्रामलाल	10	3.4	0.004
42	प्रभूलालकैलाशवन्द्र पिता झब्बू विनोष गायत्री पट्टी पिता गोविंद तुलसाबाई वेवा गोविंद जाति गौड भूमि स्वामी	29	0.8	0.001

43	भिक्षु पिता बृहदीप साठे कांवा वाल जाति ब्राह्मण भूमि स्थामी	54/1/1	2.89	0.003	
44	भजग पिता गोविंद जाति ब्राह्मण पता निवासी ग्राम भूमि स्थामी	26	1.2	0.003	
45	भृकुष पिता गोवाल जाति जाट पता निवासी	57/1	4	0.005	
46	शिवप्रसाद पिता लालाल जाति ब्राह्मण पता निवासी	67	4.6	0.003	
47	रामेश्वर पिता गोविंदाल जाति जाट पता निवासी ग्राम भूमि स्थामी	73/1	2.6	0.001	
48	सुनायाई पति महेश जाति जाट पता निवासी ग्राम	211	1.2	0.007	
		214	1.6		
		215	1.25		
49	बगकथा पिता गोदालाल जाति ब्राह्मण पता निवासी	212	0.9	0.002	
50	राजवीश्वर पिता प्रेमराज जाति जाट पता निवासी	218	1.8	0.001	
51	राजेश पिता गोलाश जाति जाट पता निवासी ग्राम	400	0.65	0.001	
52	महेश पिता हरीप्रसाद जाति जाट पता निवासी ग्राम भूमि स्थामी	401	2.2	0.005	
53	दीलोप पिता बलराम जाति जाट पता निवासी	406	1.8	0.001	
54	प्रेमचाई पिता बद्री जाति जाट पता निवासी भूमि स्थामी	395	1.6	0.008	
55	नमेदाप्रसाद पिता सातगाराम जाति ब्राह्मण पता निवासी भूमि स्थामी	375	1.5	0.007	
56	सुधोर पिता नमेदाप्रसाद जाति ब्राह्मण	378	1.9	0.005	
57	फिरणवाई पति रामारोस जाति जाट पता निवासी ग्राम भूमि स्थामी	386	2	0.026	
		387	1.8		
		385	3		
58	बलराम पिता हरीप्रसाद जाति जाट पता निवासी ग्राम	414/1	3.19	0.021	
59	राहुल पिता उगरा जाति जाट पता निवासी ग्राम भूमि स्थामी	344	1.1	0.007	
		359	1.3		
60	गोवन्द पिता बद्रीप्रसाद जाति जाट पता निवासी ग्राम	360/1	1.91	0.002	
61	रामभरोस बद्रीप्रसाद जाति जाट पता निवासी ग्राम	384/1	3.3	0.005	५.
62	राकेश पिता प्रेमनारायण जाति ब्राह्मण पता निवासी ग्राम भूमि स्थामी	266	2.4	0.003	
63	गूलाबवन्द रघुवंशकर ए पिता राधश्याम जाति ब्राह्मण पता निवासी ग्राम भूमि स्थामी	291	2	0.003	
64	रामेश्वर पिता रामदीन जाति जाट पता निवासी ग्राम	292	2	0.006	
65	रेवाराम पिता मोतीलाल जाति जाट पता निवासी ग्राम	343	1.9	0.004	
66	लक्ष्मीवाई पति रेवाराम जाति जाट पता निवासी ग्राम	346	1.9	0.002	
67	कृष्णयाई दिव्य व्याकरकप्रसाद जाति ब्राह्मण	251	3.5	0.002	
68	राहुल प्रियका दीपिका पिता उगाशकर व मायायाई बेवा उगाशकर जाति ब्राह्मण पता निवासी ग्राम भूमि स्थामी	261(P)	2.547	0.001	
69	जगदीश पिता नंदकिशोर जाति ब्राह्मण पता निवासी ग्राम	264	0.8	0.003	
		265	1.5		
70	कलाश आमप्रकाश दिनेश महेश पता नंदकिशोर जाति ब्राह्मण पता निवासी ग्राम भूमि स्थामी ओमप्रकाश पिता नंदकिशोर जाति ब्राह्मण पता निवासी ग्राम भूमि स्थामी पहेश पिता नंदकिशोर जाति ब्राह्मण पता निवासी ग्राम भूमि स्थामी	277	1.67	0.002	

71	विशाल पिता राकेश अ पा क राकेश पिता प्रेमनारायण जाति ब्राह्मण पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	280	0.8	0.001	
72	सन्तोषीबाई पते दीपचन्द संजय पिता दीपचन्द जाति ब्राह्मण पता नि.ग्राम	281	2.25	0.003	
73	राधेश्याम पिता बौहारीलाल जाति ब्राह्मण पता नि.ग्राम	287	1.9	0.007	
74	केवलराम पिता रामदीन जाति जाट पता नि.ग्राम	286(P)	1.23	0.002	
75	देवोलाल पिता रामदीन जाति जाट पता निवासी ग्राम	354	1.92	0.001	
76	मंगुसिंह पिता बल्देवसिंह जाति राजपूत पता निवासी पिपल्यानानकर भूमि स्वामी योगराजसिंह पिता मंगुसिंह जाति राजपूत पता निवासी पिपल्यानानकर भूमि स्वामी	365	2.02	0.014	
		366	0.59		
77	ममताकुवर बवा अजयपालसिंह जाति ठाकुर पता निवासी ग्राम पिपल्यानानकर भूमि स्वामी श्रीपालसिंह पिता भवरसिंह जाति ठाकुर पता निवासी ग्राम	373	1.11	0.001	
78	रामपालसेह पिता भवरसेह जाति ठाकुर पता निवासी ग्राम पिपल्यानानकर भूमि स्वामी सुगनकुवर पति जगन्नाथसिंह व कुवरपालसिंह पिता जगन्नाथ जाति ठाकुर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	374	1.98	0.005	
				0.413	

छीणारे माइको उद्योग रिंगाई प्रणाली के अंतर्गत की जाने वाली शारकीय गूगी की रारणी  
ग्राम-पुजारान ए.ह.ग. 34 तहसील-खातेगांव, गिला-देवारा

अनुक्रमांक	भूमिस्वामी / अधिग्रामी का नाम	खासगं	फूल	अधिग्रहण	टिप्पणी
		कामांक	शेषफल(₹.)	शेषफल(₹.)	
	निरंक				

प्र.क. 0038/अ-82/21-22 म.प्र. शासन, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाईन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात कि देवास जिले की खातेगांव तहसील में म.प्र. शासन से स्वीकृत छीपानेर माइको उद्वहन सिंचाई परियोजना के तहत प्रस्तावित ग्रामों में सिंचाई व्यवस्था हेतु भूमिगत पाइप लाईन (भू-सतह के नीचे बिछाई गई और तत्पश्चात ढक दी गई पाइप लाईन) के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन, संधारण, जल प्रवाह, प्रचलन, परीक्षण, बदलने एवं हटाने के लिए) भूमि उपयोग का अधिकार के लोक प्रयोजन हेतु वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि को अस्थायी अर्जन करने के अपने आषय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा –3 (4) के अधीन पुर्वान्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा।

ऐसा प्रत्येक आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खातेगांव जिला- देवास को लिखित रूप में किया जायेगा। और उसमें उसके आधार पर अधिकथित किये जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात, यदि कोई हो जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (6) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू-रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तिओं द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

### **अनुसूची**

देवास जिले के खातेगांव तहसील में माइको उद्वहन सिंचाई परियोजना के तहत भूमिगत पाइप लाईन के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन, संधारण, जल प्रवाह, प्रचलन, परीक्षण बदलने एवं हटाने के लिये) अस्थाई अर्जन की जाने वाली संरचना सहित निजी भूमि का संक्षिप्त विवरण

**ग्राम- खुबगांव प.ह.नं. 69 तहसील खातेगांव जिला- देवास**

प्र.क. 0038/अ-82/21-22 कुल रकबा **0.130** हे. निजी भूमि एवं शासकिय रकबा **0.003** हे

चीनाने न-इको उद्घवत तेयर्ड प्रगती के उत्तरां के उन्हें गहरी प्रगतिशील मूर्मि की सतर्की ग्रन्थ-द्वारा पहन ४३  
गहरीउ-यादेवापि तिटा-देक्ष

संकेत	पूर्णानुमोदन अनुसार नाम	प्रति ग्रन्थ	प्रति ग्रन्थ दरमापात्र	प्रति ग्रन्थ दरमापात्र	दरमापात्र
1	गुरुदास देवन शुभदयम ज्ञाते गुजर	226	7.48	0.0130	
2	ब्रह्मदत्त कवि देवन शुभदयम ज्ञाते गुजर	228	0.95	0.0010	
3	गुरुदास देवन साहनसाल प्रमवाइ राधावाइ पिता छोड़क	227	0	0.0020	
4	शुभदयम ब्रह्मदत्त रमाराममारीदावहि विष्णु दरमापात्र	241	0	0.0030	
5	गुरुदास देवन शुभदयम रामदास	239	2.3	0.0070	
6	गुरुदास देवन शुभदयम ज्ञाते गुजर	248	2.32	0.0050	
7	गुरुदास देवन शुभदयम ज्ञाते गुजर	263	1.62	0.0070	
8	सुनाम देवन शुभदयम ज्ञाते गुजर	264	1.62	0.0010	
9	गुरुदास देवन शुभदयम ज्ञाते गुजर	265	3.26	0.0050	
10	हक्कावाई देवता भैक जी ज्ञाते गुजर	282	3.6		
		283	3.6	0.0050	
11	सुनाम देवन शुभदयम ज्ञाते गुजर	136	0.24	0.0002	
12	शुभदयम देवता ज्ञाते गुजर	130	0.37	0.0050	
13	शुभदयम देवता हरदास ज्ञाते गुजर	131	0.94	0.0030	
14	स्वनुवाई पति चतोर ज्ञाते गुजर	120	1.12		
		119	0.22	0.0010	
15	शुभदयम देवता हरदास ज्ञाते गुजर	121	0.64	0.0006	
16	हरदास देवता हरदास ज्ञाते गुजर	118	0.6	0.0010	
17	शुभदयम देवता चतोरहि ज्ञाते ठाकुर	111	2.279	0.0010	
18	शुभदयम देवता द्वनदाहि ज्ञाते ठाकुर	112	1.98	0.0003	
19	शुभदयम देवता द्वनदाहि ज्ञाते ठाकुर	107	1.98	0.0020	
20	शुभदयम देवता ज्ञाते गुजर	102	4.18	0.0010	
21	शुभदयम देवता चतोरहि ज्ञाते ठाकुर	11	3.17	0.0005	
22	शुभदयम देवता रामदगम ज्ञाते गुजर चन्द्रध	280	2		
		285	0	0.0055	
		292	2.53		
23	गुरुदास देवन शुभदयम ज्ञाते भगवन ज्ञाते गुजर	297	2.85	0.0020	
24	हरदास देवता द्वनदाहि ज्ञाते गुजर	299	0.85	0.0010	
25	शुभदयम देवता द्वनदाहि ज्ञाते गुजर	151	1.6	0.0030	
26	उदयनहि देवता उदयनहि ज्ञाते गुजर	149	1.1	0.0010	
27	गुरुदास देवता द्वनदाहि ज्ञाते गुजर	148	1.21	0.0010	
28	देवताप्रसाद दिवा रामदगम ज्ञाते गुजर	213	2.01		
		215	1.27	0.0027	
29	शुभदयम दिवा हरदास ज्ञाते गुजर	276	5.438		
		277	6.33	0.0079	
30	अनंगसह देवता द्वनदाहि ज्ञाते लाधा	288	2.35	0.0030	
31	गुरुदास देवता मुदायसिंह ज्ञाते लाधा	287	1.16		
		289	0.74	0.0010	0.003
32	शुभदयम देवता द्वनदाहि ज्ञाते लाधा	290	1.43	0.0010	
33	गुरुदास देवता लाधा ज्ञाते गुजर	203	1.2	0.0020	

34	राधाकिशन पिता जगन्नाथ जाति गुजर				
35	कमलसिंह पिता जगन्नाथ जाति गुजर	204	3	0.0020	
36	नबुबाई पिता बाबुलाल जाति गुजर	205	2.6	0.0035	
37	देवलाल पिता रामप्रसाद जाति तेली	216	1.181	0.0010	
38	राजेश गोविंद पिता मार्गीलाल जाति गुजर	220	2.47	0.0001	
39	किरणबाई पति तुलसीराम जाति गुजर	193	5	0.0020	
40	शंकरलाल पिता रूगनाथ जाति गुजर	191	2.79	0.0003	
41	तुलसीराम पिता हरीराम जाति गुजर	190	0.33	0.0030	
		189	0.25		
42	केवलराम पिता प्रह्लाद जाति गूजर	187	6.38	0.0003	
43	बलराम पिता केवलराम जाति गुजर	48	1.7	0.0030	
		49	1.28		
44	हारिओम ओमप्रकाश पिता गणेशराम भागीरथ पिता देवा	50	1.6	0.0030	
45	सुनिल पिता बलराम जाति गुजर	55	2.06	0.0010	
46	ओमप्रकाश पिता गणेशराम जाति गुजर	58	1.18	0.0010	
		59	1.15	0.0020	
		57	0.12		
47	भोजाराम पिता भागीरथ जाति गुजर	56	0.4	0.0002	
48	केलाशचन्द्र पिता बद्रीप्रसाद जाति ब्राह्मण	62	1.6	0.0005	
49	हारिओम पिता भवरासेह जाति गुजर	60	2.35	0.0020	
50	रामाकेशन, राधाकिशन, रमेश, महेश, पिता प्यारेलाल	22	0	0.0020	
51	रामबगस पिता गंगाराम जाति गुजर	43	1.3	0.0019	
		44	0.9		
52	रामेश्वर पिता लक्ष्मण जाति गुजर	45	1.54	0.0030	
		38	0.26		
53	रामरूप पिता नन्दराम जाति गुजर	39	0.454	0.0000	
54	रामप्रसाद पिता भगवान जाति गुजर	37	1.36	0.0020	
55	मनोहरसिंह पिता रामप्रसाद जाति गुजर	24	2.38	0.0005	
			Total	0.130	

छीपानेर गाइको उदयगढ़न सिंचाई प्रणाली के अंतर्गत की जाने गई शाराकीय गृहिय की सारणी  
ग्राम - खुम्पाव प.ह.न. 69 तहरील--खातेगाव , ठिला-देवारा

अनुक्रमांक	गृहिणायी/अभियायी का नाम	शारण कागज	कुल दोषात्म(₹.)	अंतर्गत दोषात्म(₹.)	टिलायी
1	शाराकीय	234	0.00	0.0004	
2	शाराकीय	142	0.00	0.0002	
3	शाराकीय	101	0.00	0.0001	
4	शाराकीय	295	0.00	0.0003	
5	शाराकीय	214	1.300	0.002	
6	शाराकीय	206	0.00	0.0005	
7	शाराकीय	219	0.00	0.0001	
			कुल	0.003 हे.	

प्र.क. 0037/अ-82/21-22 म.प्र. शासन, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात कि देवास जिले की खातेगांव तहसील में म.प्र. शासन से स्वीकृत छीपानेर माइको उद्वहन सिंचाई परियोजना के तहत प्रस्तावित ग्रामों में सिंचाई व्यवस्था हेतु भूमिगत पाईप लाईन (भू-सतह के नीचे बिछाई गई और तत्पश्चात ढक दी गई पाईप लाईन) के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन, संधारण, जल प्रवाह, प्रचालन, परीक्षण, बदलने एवं हटाने के लिए) भूमि उपयोग का अधिकार के लोक प्रयोजन हेतु वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि को अस्थायी अर्जन करने के अपने आषय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा –3 (4) के अधीन पुर्वांक प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा।

ऐसा प्रत्येक आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खातेगांव जिला- देवास को लिखित रूप में किया जायेगा। और उसमें उसके आधार पर अधिकथित किये जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात, यदि कोई हो जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (6) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू-रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तिओं द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

### अनुसूची

देवास जिले के खातेगांव तहसील में माइको उद्वहन सिंचाई परियोजना के तहत भूमिगत पाईप लाईन के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन, संधारण, जल प्रवाह, प्रचलन, परीक्षण बदलने एवं हटाने के लिये) अस्थाई अर्जन की जाने वाली संरचना सहित निंजी भूमि का संक्षिप्त विवरण

ग्राम- पिपल्यानानकर प.ह.नं. 66 तहसील खातेगांव जिला- देवास

प्र.क. 0037/अ-82/21-22 कुल रकबा **0.840** हे. निंजी भूमि एवं शासकिय रकबा **0.037** हे

छीमानेर माइको उद्वहन सिंचाई प्रणाली के अंतर्गत की जाने वाली अगासीय भूमि की सारणी ग्राम-मालापात्र प.ह.न 69  
ताहरील-खाटोगाव जिला-दैवास

S. No.	Name of Farmers	Khasara No	C.C.A.(Ha)	Area (Ha)
1	लोकेन्द्रसिंह पिता शंकरसिंह जाति राजपुत	523	5	0.013
2	वसुबाई वि गोपालसिंह जाति ठाकुर	524	1.2	0.008
3	कृष्णपालसिंह पिता मानसिंह जाति राजपुत	526	2	0.012
4	रामसिंह पिता बहादुरसिंह जाति राजपुत	544	1.552	0.018
5	लक्ष्मणसिंह पिता गजराजसिंह जाति राजपुत	543	1.820	0.016
6	भारत सिंह लक्ष्मण सिंह पि गजराज	530	1.600	0.007
7	देवेन्द्र सिंह पिता भीमसिंह जाति राजपुत	533	0.4	0.020
		535	0.81	
8	रायसिंह पिता बहादुरसिंह जाति ठाकुर	537	1.6	0.006
9	शिवबाई पति रुपसिंह जाति राजपुत	575	1.47	0.007
10	नर्मदाप्रसाद पिता धुलजी जाति देशवाली	578	3	0.017
		591	1.950	
11	नवीन सचिन पिता मास्तनसिंह	580	3	0.004
		602	1	
12	कन्हैयालाल पिता धुलसिंह जाति देश	579	0.76	0.021
		601	4.9	
13	ओमप्रकाश पिता गबुलाल जाति देशवाली	600	1.960	0.011
14	रुपलता बाई पति मुकेश जाति देशवाली	598	2.350	0.008
15	दोपक पिता गबुलाल जाति देशवाली	596	1.820	0.018
16	सुरेन्द्रसिंह पिता रणजीतसिंह जाति राजपुत	610	13.150	0.072
17	दिवेन्द्रसिंह पिता गोविन्दसिंह जाति राजपुत	545	3.673	0.015
18	गजानन्द पिता नर्मदाप्रसाद जाति देस.	571	1.600	0.001
19	रामचन्द्रबाई पति नर्मदाप्रसाद जाति देस.	569	0.550	0.001
20	बहादुरसिंह पिता नारायणसिंह जाति ठाकुर	568	1.740	0.001
21	रुखमणीबाई पति जगदीश जाति देशवाली	595	2.020	0.004
22	डागरसिंह पिता छतरासिंह जाति राजपुत	633	3.240	0.006
23	हमलताबाई पति गजराजसिंह जाति राजपुत	632	1.900	0.006
24	अजुनसिंह पिता श्यामसिंह जाति राजपुत	637	7.930	0.011
25	कृष्णपाल सिंह पिता शम्मु सिंह जाति राजपुत	638	2.681	0.007
26	भवरबाई वसुबाई रुपकुवरबाई रेशमबाई पिता गणपतसिंह	639	5.650	0.001
27	सोनुबाई पति शिवराजसिंह जाति राजपुत	654	6.490	0.012
28	अनार सिंह पि.विजय सिंह जाति सेन्धी	655	9.390	0.008
29	बलरामसिंह पिता शंकरसिंह जाति तोमर	656	2.610	0.005
		445	2.339	
30	भवरसिंह पिता शंकरसिंह जाति राजपुत	657	1.430	0.003
31	जगन्नाथसिंह पिता दोलतसिंह जाति ठाकुर	439	0.520	0.004
		442	2.000	
32	कैलाश बाई वि. हरीसिंह जाति राजपुत	440	1.65	0.007
33	शंकरसिंह पिता अभ्यसिंह जाति ठाकुर	436	3.640	0.003
34	सुगनवाई पिता दुलासिंह जाति राजपुत	435	4.300	0.002
35	विक्रमसिंह पिता दुलासिंह जाति ठाकुर	434	1.400	0.002
36	कल्याण सिंह पि. हरिओम जाति ठाकुर	431	3.200	0.002
37	भूपेन्द्रसिंह पिता हिन्दुसिंह जाति राजपुत	430	3.510	0.005
38	सुकरामसिंह पिता गिरवरारोह जाति राजपुत	429	4.000	0.007
39	अजयपालसिंह पिता शिवनाथसिंह जाति राजपुत	412	0.900	0.003
		422	6.000	
40	महिपालसिंह पिता बलवंतसिंह जाति राजपुत	414	1.350	0.001
41	महेन्द्रसिंह पिता सोदानुसेह जाति राजपुत	421	2.510	0.005

42	हरीअंम पिता कोदाजी जाति ठाकुर	428	0.250	0.0008
43	हिन्दुसिंह पिता गिरवरसेह जाति ठाकुर	427	0.800	0.0009
44	जगतपालाराह पिता बलशामसेह जाति राजपूत	681	1.200	0.0020
45	सपना पि भवर सिंह आशावाइ पि. भवर सिंह जाति राजपूत	444	3.600	0.0064
46	कन्तारबाई पिता अतरासेह जाति राजपूत	441	1.047	0.0005
47	चाउरसेह पिता आजरासेह जाति राजपूत	446	4.000	0.0037
48	विजयसेह पिता सादानासेह जाति राजपूत	392	5.310	0.0017
49	बनुबाई पाते भवरसेह जाति राजपूत	636	1.171	0.0038
50	राजकुमार सेह याग न्य सिंह पिता भीमसिंह जाति राजपूत	671	3.400	0.0080
51	गोविन्दसेह पिता कमलसेह जाति राजपूत	672	2.534	0.0040
52	लाडासेह पिता बाहदुरसेह जाति राजपूत	674	1.9	0.0006
53	ममताबाई पाते लालसेह जाति राजपूत	609	5.894	0.0095
54	विकमासेह पिता हरीसेह जाति राजपूत	615	4.000	0.0080
55	सुरन्दसेह पिता कन्याणसेह जाति ठाकुर	618	1.600	0.0080
56	अकाकासेह पिता गोविन्दसेह जाति राजपूत	622	4.070	0.0130
57	गोविन्द सिंह पिता भवरलाल जाति राजपूत	621	6.000	0.0103
58	विकनासेह पिता भवनी सिंह जाति ठाकुर	643	1.260	0.0037
59	अरवन्दासेह, अजयपालासेह अकलश सिंह पि.कन्याणसेह	645	5.000	0.0130
60	रमनाथसेह पिता दिलोपासेह जाति राजपूत	452	3.81	0.0098
61	मनुसेहापे.दायासेह करणसेह पिता भारतासेह, जाति राजपूत	390	0	0.0080
62	मने हरसिंह, धनसिंह, पिता हेमसिंह अकेसिंह राजेन्द्रसिंह पि.गुलाबसिंह	379	2.000	0.0170
		387	8.4	
63	दतरामासेह पिता राधासेह जाति सन्धा	377	4.074	0.0015
64	जीवन सिंह पिता तकत सिंह जाति सेधंव	347	1.380	0.0030
		348	0.660	
65	सानाथसिंह पिता महताब सिंह	352	2.445	0.0068
66	महेन्द्रसेह, राजेन्द्रसेहरामसिंह पि.कमलसिंह	353	2.173	0.0170
67	गावेन्द्र पिता सुरजसिंह जाति गुजर	93	4.145	0.0010
68	प्रमलताबाई पाते रवोन्द्रसेह जाति ठाकुर	355	0.610	0.0026
69	विरन्द्रतेह बवाता कुवरबाई पिता रामपालासेह	90	0.160	0.0050
70	लक्षणसिंह पिता भीमासेह जाति राजपूत	92	2.260	0.0052
71	रतनकुबर पति विक्नाथसिंह जाति राजपूत	86	0.000	0.0050
		78	0.780	
72	सुनोत, अनिल पि.मोहनलाल	76	2.830	0.0035
73	अनुसुइपालाई पाते भुजराम जाति जाट	75	1.950	0.0035
74	मनाहरासेह, धनासेह, पिता हमासेह	358	10.000	0.0061
75	लालासेह पिता जोवनासेह जाति ठा.	360	2.970	0.0030
76	सजनासेह पिता तखतासेह जाति सेधो	361	2.394	0.0034
77	एलुबाई बवा गुलाबासेह जाति सेधो	363	2.041	0.0035
78	नरेन्द्र सिंह पि.पर्वत सिंह जाति राजपूत	351	3.087	0.0070
		339	1.800	
79	भगवनासेह पिता भवरसेह जाति राज	340	1.800	0.0029
80	रामवगासेह पि. भागीरथ जाति चमार	332	1	0.0003

81	सरजुबाई पातो लाकनासेह जाति सेथो	385	1.5	0.002
82	लाडकुवरबाई पिता गोरखनसिंह जाति राजपूत	308	2 183	0.007
		190/680	1.3	
83	रामनेवास पिता पश्चालाल जाति गुजर	311	2 83	0.001
84	दातारासेह पिता तिनामोहन जाति लालूर	623	1.62	0.001
85	दुगेशासेह पिता दातारासेह जाति लालूर	624	1.6	0.001
86	नरन्दासेह पिता दातारासेह जाति लालूर	625	1.52	0.001
87	बलराम पिता शम्भूसेह जाति राजपूत	626	4.88	0.002
88	कन्हैयातात पिता धुलरीह जाति देस.	601	3.42	0.002
89	अमरासेह मानासेह तारामणिबाई अनसुझायाई पिता बाबूलाल	603	3.7	0.004
90	मधुराबाई पातो मानासेह जाति देशवाली	604	4.57	0.006
91	चिरजालाल पिता अमरासेह जाति देस.	605	1.1	0.001
92	मानसिंह पिता बाबूलाल जाति देशवाली	606	0	0.002
		493	0.96	
93	नरन्दासेह पिता रणजीतसेह जाति राजपूत	491	6	0.002
94	अजोतासेह पिता नरन्दासेह जाति ठाकर	607	3	0.001
95	भगवानसिंह पिता हरिसेह जाति राजपूत	531	3.37	0.004
96	बलवीरसेह पिता शिवसेह जाति राजपूत	507	6.99	0.011
97	दुर्गेशासेह पिता महेन्द्रसेह जाति राजपूत	512	2.77	0.003
98	बादरासेह उफे महेन्द्रसेह पिता नैनासिंह जाति राजपूत	511	0.6	0.003
99	आनलासेह पिता महेन्द्रसेह जाति राजपूत	510	0.3	0.001
100	चतरकुवर पातो गजराजासेह जाति राजपूत	509	2.12	0.004
101	दिनेश नीतू बाई रेखाबाई पि.नरमदाप्रसाद	229	1.62	0.004
102	श्यामाबाई पातो नरमदाप्रसाद जाति राठोर	229/688	0.957	0.002
103	बालकृष्ण पिता ब्रदालाल जाति देशवाली	231	7	0.009
104	अभिजीतसिंह पिता विक्रमसेह	153	5.8	0.008
105	दरियावासेह पिता गांपालासेह जाति राजपूत	157	5.22	0.008
106	अनुपबाई पिता हनवतीसेह जाति राजपूत	145	1.38	0.001
107	विनोद पिता भवरोसेह जाति देशवाली	144	2.59	0.007
108	हारिआम पिता मनोहरासेह पारुबाई वेवा मनोहरसिंह जाति देशवाली	134	0.9	0.001 तहसील जिल्हा
109	मनोहरासेह पिता बहुदुरसेह जाति राजपूत	133	0.53	0.005
110	दीपचंद पिता घनश्याम जाति कलाल	126	0.8	0.001

111	फूलचंद पिता घनश्याम जाति कताल	127	0.59	0.0024
112	गरीबा, राधश्याम सुगनबाई सोलेताबाई गुड्डाबाई पि. कल्तु जाति चमार	127/684	0.427	0.0008
113	करणसेह पिता भारतीसेह जाति ठाकुर	119	1.62	0.0020
114	कलाबाई पाति अनोखालाल जाति कलाल	120	1.733	0.0011
115	श्याम सिंह पि.पवत सिंह जाति राजपूत	115	2.4	0.0030
116	शेरासेह पिता जवाहरसेह जाति ठाकर	99	1.9	0.0030
117	अर्जुनसिंह मायाबाई पिता शंकरसेह जाति राजपूत	100	4.9	0.0040
118	कृष्णपालसेह पिता जोवनसेह जाति ठाकुर	135	1.8	0.0004
119	बलराम पिता भवरारसेह जाति देशवाली	143	1.87	0.0009
120	राजन्द्रसेह दिवासेह पिता दरियावासेह जाति राजपूत	142	0.2	0.0024
121	श्यामलाल पिता रतनलाल जाति देस.	234	3.15	0.0170
		229	1.62	
		216	3.97	
		211	0.15	
122	गोपालसेह पिता मानसिंह जाति राज.	228	1.61	0.0017
123	कृष्णपालसिंह पिता मानसिंह जाति राजपूत	526	2	0.0100
		519	2.007	
124	घमेन्द्रसेह, भुपन्द्रसेह पिता गोपालसेह जाति ठाकुर	521	1.6	0.0044
125	रुपकुवरबाई पाति भारतीसेह जाति राज.	204	1.5	0.0074
126	मंगुसेह पिता दीपासेह जाति राज.	205	5.8	0.0060
127	फुलासेह पिता नायुसिंह जाति देस.	207	1.6	0.0048
128	सीताराम पिता नाथुराम जाति देश.	208	3	0.0040
129	गायत्री बाई पाति भगवतसेह जाति देशवाली	222	2.75	0.0029
130	आशाराम पिता दित्या जाति चमार	217	2.72	0.0120
131	धरमसेह पिता श्यामलाल जाति देस.	218	2.51	0.0080
132	गोविन्द पिता गब्जी जाति देशवाली	155	3.62	0.0134
133	श्रीराम जानकी मोदर पुजारी रमेश पिता नमदाप्रसाद जाति ब्राह्मण	174	2	0.0079
134	केलाश पिता मनफुल जाति देश.	173	1.22	0.0059
135	रमेशचन्द्र पिता गब्जी जाति चमार	181	1.62	0.0020
136	शोताबाई उबेवा श्यामलाल जाति देशवाली	154	7.402	0.0034
137	भवरासेह गोविन्दसेह सुमनबाई निमलालाई रमाबाई पिता गब्जीलाल	156	4	0.0030
138	गोविन्द पिता जगन्नाथ जाति देस	193	1.57	0.0060
Total				0.840

छीपानेर गाइको उद्वहन सिंचाई पणाती के अंतर्गत की जानी वाली शासकीय भूमि की रारणी ग्राम-  
पंचायत नं. 65 तहसील-खातेगांव, जिला-देवास

अनुक्रमांक	भूमिकारी / अधिकारी का नाम	खराक क्रमांक	कुल क्षेत्रफल(हे.)	अधिकारी क्षेत्रफल(हे.)	टिप्पणी
1	शासकीय	553	0.000	0.004	
2	शासकीय	577	0.000	0.003	
3	शासकीय	590	0.000	0.005	
4	शासकीय	590	0.000	0.000	
5	शासकीय	590	0.000	0.014	
6	शासकीय	590	0.000	0.001	
7	शासकीय	447	0.000	0.000	
8	शासकीय	447	0.000	0.000	
9	शासकीय	394	0.000	0.000	
10	शासकीय	349	0.480	0.003	
11	शासकीय	354	0.000	0.002	
12	शासकीय	328	0.000	0.001	
13	शासकीय	232	0.000	0.003	
14	शासकीय	221	0.000	0.000	
15	शासकीय	221	0.000	0.000	
			कुल	0.037 हे.	

प्र.क. 0039/अ-82/21-22 म.प्र. शासन, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाईन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात कि देवास जिले की खातेगांव तहसील में म.प्र. शासन से स्वीकृत छीपानेर माइको उद्वहन सिंचाई परियोजना के तहत प्रस्तावित ग्रामों में सिंचाई व्यवस्था हेतु भूमिगत पाइप लाईन (भू-सतह के नीचे विछाई गई और तत्पश्चात ढंग दी गई पाइप लाईन) के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन, संधारण, जल प्रवाह, प्रचालन, परीक्षण, बदलने एवं हटाने के लिए) भूमि उपयोग का अधिकार के लोक प्रयोजन हेतु वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि को अरथात् अर्जन करने के अपने आषय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा -3 (4) के अधीन पुरावक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा।

ऐसा प्रत्येक आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खातेगांव जिला-देवास को लिखित रूप में किया जायेगा। और उसमें उसके आधार पर अधिकथित किये जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात, यदि कोई हो जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (6) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू-रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तिओं द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

### अनुसूची

देवास जिले के खातेगांव तहसील में माइको उद्वहन सिंचाई परियोजना के तहत भूमिगत पाइप लाईन के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन, संधारण, जल प्रवाह, प्रचालन, परीक्षण बदलने एवं हटाने के लिये) अरथात् अर्जन की जाने वाली संरचना सहित निजी भूमि का संक्षिप्त विवरण

ग्राम- बुराड़ा प.ह.नं. 65 तहसील खातेगांव जिला- देवास

प्र.क. 0039/अ-82/21-22 कुल रकबा 0.286 हे. निजी भूमि एवं शासकीय रकबा 0.004 हे

उपरोक्त नाइजे उद्घड़न क्रियाई गणती के प्रवर्गता की जाने वाली असासकीय भूमि की संख्या  
गाम-इल उत्तर लहसील-दाठागाड़ जिला-देवास

संख्या	पृष्ठान्तरी/अधिकारी का नाम	परिवर्तन (वर्ष)	परिवर्तन (%)	पृष्ठान्तरी का अनुमान (हेक्टेक्टर)	पृष्ठान्तरी
1	रमेशराम फेस्टिल जाति गुजर	254	4.87	0.001	
2	कृष्णबाई पिंड दासराम जाति गुजर	253	2	0.005	
		455	1.06		
3	पक्षाशनन्द पोंडा रामशराम जाति महाजन	252	0.711	0.005	
		409	1.144		
4	ओमद्वारा पिता गदेशराम जाति गुजर	410	3.3	0.007	
5	हरेओम पिता भवरासेह जाति गुजर	451	2	0.003	
6	भवरासेह पि द्वाजो जाति गुजर	418	1.42	0.004	
7	रमध्यारीबाई पति हरिशचन्द्र जाति गुजर	447	0.9	0.002	
8	जयनारायण पि. रामचन्द्र जाति गुजर	446	1.671	0.002	
9	मनोहरसेह पि. भागोरय जाति गुजर	468	1.63	0.001	
10	महेश विष्णुप्रसाद जगदोशचन्द्र पिता नर्मदाप्रसाद	469	0.637	0.008	
		442	4		
11	शिवराम पि.रामप्रसाद जाति गुजर	470	1.6	0.005	
12	रामध्वर सोमा लताबो ज्याती पिता सेवाराम	471	1.6	0.007	
13	नाहन पि.रामप्रसाद जाति गुजर	467	1.64	0.005	
14	नोजोराम पिता भागोरय जाति गुजर	465	3.093	0.007	
15	मदन पिता भोका जाति गुजर	458	1.32	0.005	
		460	1.181		
16	नरन्द उक झिलश पिता बद्राप्रसाद जाति गुजर	456	1.64	0.002	
17	जयनारायण पि.रामचन्द्र जाति गुजर	454	4.14	0.003	
18	महेशचन्द्र पि.प्परेलाल जाति गुजर	464	4	0.004	
19	मारावाई पाते रामनेवास जाति गुजर	462	0.8	0.001	
20	तखनलाल पिता परसराम जाति गुजर	440	1.77	0.005	
		439	1.15		
21	कमल पिता अमरसेह जाति गुजर	438	3.38	0.001	
22	बलराम पिता श्रीकिशन जाति गुजर	221	3.4	0.009	
23	सुशीलावाई पिता रामरूप जाति गुजर	217	1.4	0.013	
24	दीपक पिता रामनारायण जाति गुजर	205	0.85	0.008	
		199	0.9		
25	देवकेशन पिता गब्जी जाति गुजर	206	0.526	0.004	
26	गमराम पिता पूनाजो जाति गुजर	207	0.878	0.008	
27	रामरूप पिता परसराम जाति गुजर	203	2.61	0.007	
		145	4.5		
28	भगवानसिंह पि.हजारीलाल जाति गुजर	195	0.44	0.012	
		194	0		
29	हरोकेशन पिता वल्देव जाति गुजर	144	3.07	0.011	
30	रामदास पि. हरोकेशन जाति गुजर	143	1	0.003	

31	लीमा पिता श्रीकिशन जाति गुजर	142	0.02		
		104	1.66	0.004	
32	शंकरलाल पि शिवचरण जाति बाड़ी	127	0.6	0.007	
		129	1.49		
33	विजयसिंह पिता हरिसिंह जाति गुर्जर	125	0.602	0.004	
		122	0.21		
34	जमनाप्रसाद उर्फ मोहनसिंह पि.मोतीलाल	124	0.7	0.001	
35	शिवनारायण . सुशीला, अनुसुइया, रेणा पिता रुग्नाथ	119	0.73	0.003	
		118	1.29		
36	रामकिशन पि शिवलाल जाति गुर्जर	117	0.81	0.008	
		116	0.91		
		115	0.2		
37	कैताश पि.भागीरथ जाति गुजर	112	1	0.002	
38	कृष्णबाई हरिप्रसाद जाति गुर्जर	111	0.9	0.002	
		110	1.6		
39	गोविन्दप्रसाद पि.लक्ष्मीनारायण जाति सतार	109	0.2	0.001	
40	मुरारीलाल पिता हरिप्रसाद जाति गुर्जर	17	1.6	0.002	
41	देवोसिंह पिता रामचंद्र जाति गुर्जर	92	0.318	0.003	
42	पवन पिता हरिओम	89	1.6	0.003	
43	तुलाराम पिता देवा जाति गुजर	88	1.74	0.001	
44	भरत गोविन्द पि. रामदेव रेवाबाई पिता रामदेव	87	1.69	0.004	
45	राधेश्याम पिता हरिसिंह जाति गुर्जर	244	1.16	0.003	
		245	1		
46	लक्ष्मीबाई पति. रामचन्द्र जाति गुजर	246	2.03	0.003	
47	रजनीबाई पति.संतोष कुमार जाति गुजर	248	2	0.001	
48	ओमप्रकाश रामरूप जाति गुजर	216	5	0.005	
49	राजेश पिता बलराम जाति गुर्जर	215	4.5	0.001	
50	रामनारायण पि.हरबागस जाति गुजर	228	2	0.005	
51	नर्मदाबाई पति अमरदास जाति गुजर	200	2.22	0.003	
52	लक्ष्मीबाई पिता परसराम रामबाई वि. परसराम जाति गुर्जर	204	1.8	0.001	
53	गोविन्दसिंह पि.हजारीलाल जाति गुजर	193	1.8	0.002	
54	गोविन्द पिता सीताराम जाति गुर्जर	149	0	0.001	विला
55	माहनसिंह पिता मोतीलाल जाति गुजर	140	1.46	0.006	क्षम प्रा
	गुरुप्रसाद दापक सुमनबाई पति				
56	रामचन्द्र लक्ष्मीबाई देवा रामचन्द्र जाति गुजर	139	2.51	0.005	खा
57	पवन पिता रामरूप जाति गुजर	136	1.63	0.003	
58	रामरूपपिता नंदराम जाति गुजर	135	1.5	0.002	
59	संतोष कुमार पि.राधेश्याम जाति गुजर	134	0.9	0.003	
		160	1		
60	शिवनारायण पिता रुग्नाथ जाति गुर्जर	158	1	0.002	
61	शिवनारायण पिता रुग्नाथ	161	0.6	0.001	

62	रेवाशंकर, कैलाश, महेश पिता रामप्रसाद	185	1.84	0.005	
63	भाका रामोतार रामनिवास कमलाबाई सलीताबाई लीलाबाई पिता कन्हैया जाति गुजर	186	1.67	0.002	
64	पदम सिंह पिता हरिराम हंजाति गुजर	187	2.18	0.004	
65	मनोहररामेह पि. रामप्रसाद जाति गुजर	188	5.13	0.002	
66	रामदयाल पिता गंगाराम जाति गुजर	169	4.16	0.002	
67	हरीसिंह पिता रामप्रसाद जाति गुजर	181	2	0.005	
68	रामसरुपबाई पि. बोंदर जाति गुजर	177	3.75	0.010	
69	कृष्णकान्त पिता राधाकिशन जाति गुजर	176	0.06	0.006	
		172	1.479		
		175	0.2		
		Total	0.286		

छीपानेर माइको उद्योग सिंचाई प्रणाली के अंतर्गत की जाने गाली शारकीय गूमि की रारणी  
गाम-गुराड़ा प.ह.न. 30 तहरील-खातोगांव, जिला-देवारा

अनुक्रमांक	भूगिरस्यामी/अभियांगी का नाम	खसरा क्रमांक	कुल दोत्रफल(ह.)	अधिग्रहण क्षेत्रफल(ह.)	टिप्पणी
1	शारकीय	146	0.000	0.001	
2	शारकीय	141	0.000	0.001	
3	शारकीय	113	0.000	0.000	
4	शारकीय	113	0.000	0.0004	
5	शासकीय	78	0.000	0.0001	
6	शासकीय	141	0.000	0.0003	मूल नंगा
7	शासकीय	298	0.000	0.001	
			कुल	0.004 हे.	

त्रिलोचन सिंह गौर, सक्षम प्राधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 33-भू-अर्जन-2022

मंडला, दिनांक 11 मार्च 2022

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद(1) में वर्णित खसरा भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित अर्जित भूमि रकबा का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः “भूमि का अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यास्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा “धारा 19 की उपधारा (1)एवं (6)के उपबंधो के अनुसार एतद द्वारा यह घोषित किया जाता है कि भूमि का उक्त सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :—

**1. भूमि का वर्णन**

क.जिला	— मंडला
ख. तहसील	— नैनपुर
ग.ग्राम/नगर	—

सं.क्र	ग्राम एवं प.ह.नं.	अर्जित किये जाने वाला भूमि का क्षेत्रफल
1	नैनपुर प.ह.नं. 33 ब.नं. 756	0.24 (हेक्टर)
	कुल योग —	0.24 (हेक्टर)

**अर्जित किये जाने वाला निजी भूमि का रकबा**

सं.क्र	खसरा नं.	अर्जित रकबा
1	492/2	0.24 (हेक्टर)
	कुल योग —	0.24 (हेक्टर)

2. सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है--सिवनी-चिरईडोंगरी राज्य मार्ग के कि.मी.75/2 में थावर नदी पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुँचमार्ग के निर्माण हेतु।

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट [www.mandla.nic.in](http://www.mandla.nic.in) व मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट [www.mprevenue.nic.in](http://www.mprevenue.nic.in) पर भी देखा जा सकता है।

अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 (1) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 15 दिवस के अंदर कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी नैनपुर जिला मंडला में आक्षेप यदि कोई हो तो दर्ज किया जा सकता है।

1. भूमि का विस्तृत परियोजना एवं नक्शा साईट प्लान प्रतिवेदन (detail project report) DPR का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी नैनपुर जिला मंडला कार्यालय कायदालन यंत्रा लो.नि.वि. सेतु निर्माण संभाग— जबलपुर जिला जबलपुर कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी लो.नि.पि. सेतु निर्माण उपसंभाग—सिवनी में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
हर्षिका सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्रमांक 56-अ-82-वर्ष 20-21-कान्हाबधोली-4510

बैतूल, दिनांक 29 मार्च 2022

### घोषणा

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची -1  
( प्रभावित कृषकों की सूची )

जिला	तहसील	नगर / ग्राम	अर्जन का रकबा हेठो में	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल (मोप्रो)	मुलताई	कान्हाबधोली	0.115 हेठो	ईटारसी-नागपुर तीसरी रेल्वे लाईन हेतु

अनुसूची - 2  
( प्रभावित धारकों की सूची )

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	ख. नं.	कुल रकबा हेठो में	अर्जित रकबा हेठो में से
1	2	3	4	5
1	कस्तुरी बेवा रामासिंह जाति राजपूत साठेह भूमि स्वामी	150/1	0.733	0.115
	योग	1	0.733	0.115

(2) चूंकि ईटारसी-नागपुर तीसरी रेल्वे लाईन निर्माण हेतु अर्जन की जा रही भूमियों के हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी मुलताई के न्यायालय में किया जा सकता है।

(4) समुचित सरकार की वेबसाइट [www.betul.nic.in](http://www.betul.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है।

क्रमांक 09-अ-82-वर्ष 20-21-मांडवी-5093

बैतूल, दिनांक 6 अप्रैल 2022

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

**अनुसूची-1**  
( प्रभावित कृषकों की सूची)

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जन का रकबा हेठो में	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल (मोप्र०)	आठनेर	मांडवी	0.036 हेठो	सातनेर से मांडवी मार्ग के किमी 0 16/2 पर पुल निर्माण

**अनुसूची - 2**  
( प्रभावित धारकों की सूची )

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	ख. नं.	कुल रकबा हेठो में	अर्जित रकबा हेठो में
1	2	3	4	5
1	नरायण पुत्र तुलसीराम जाति बढ़ाई निवासी मांडवी	724/1/2	0.005	0.036
2	फुलवंती बेवा हीरालाल, गोपाल पुत्र हीरालाल, रमेश पुत्र हीरालाल, प्रमिला पुत्री हीरालाल, ललिता पुत्री हीरालाल जाति बढ़ाई निवासी मांडवी	724/1/1	0.225	
<b>योग</b>		<b>2</b>	<b>0.450</b>	<b>0.036</b>

(2) चूंकि सातनेर से मांडवी मार्ग के किमी 0 16/2 पर पुल निर्माण हेतु अर्जन की जा रही भूमियों के हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, भैसदेही के न्यायालय में किया जा सकता है।

(4) समुचित सरकार की वेबसाईट [WWW.betul.nic.in](http://WWW.betul.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है।

क्रमांक 10-अ-82-वर्ष 20-21-उमरी-5095

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

**अनुसूची-1**  
**( प्रभावित कृषकों की सूची )**

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जन का रकबा हेठो में	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल (मोप्रो)	आठनेर	उमरी	0.362 हेठो	सातनेर से माडवी मार्ग के किमी 3/6 पर पुल निर्माण

**अनुसूची - 2**  
**( प्रभावित धारकों की सूची )**

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	ख. नं.	कुल रकबा हेठो में	अर्जित रकबा हेठो में
1	2	3	4	5
1	मैनेजिंग विद्या मंदिर कमेटी सा० बैतूल	104	6.924	0.132
		108		
2	संजय पुत्र बाबूराव जाति कुन्बी	141/4	1.695	0.065
3	मैनेजिंग विद्या मंदिर कमेटी सा० बैतूल	102/1	0.328	0.165
योग		04	8.947	0.362

(2) चूंकि सातनेर से माडवी मार्ग के किमी 3/6 पर पुल निर्माण हेतु अर्जन की जा रही भूमियों के हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, भैसदेही के न्यायालय में किया जा सकता है।

(4) समुचित सरकार की वेबसाइट [WWW.betul.nic.in](http://WWW.betul.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है।

क्रमांक 11-अ-82-वर्ष 20-21-अक्कलवाडी-5091

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

**अनुसूची-1**  
( प्रभावित कृषकों की सूची )

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जन का रकबा हेठो में	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल (मोप्र)	आठनेर	अक्कलवाडी	0.032 हेठो	सातनेर से माडवी मार्ग के किमी 07/6 पर पुल निर्माण

**अनुसूची - 2**  
( प्रभावित धारकों की सूची )

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	ख. नं.	कुल रकबा हेठो में	अर्जित रकबा हेठो में
1	2	3	4	5
1	चन्द्रवती पत्नि नथु जाति किराड निवासी बैतूल	194/6	0.583	0.008
2	बंशीलाल पुत्र गनपत जाति किराड निवासी बैतूल	195/1	0.793	0.008
3	बिरज पुत्र गनपत जाति किराड निवासी बैतूल	229/4	0.250	0.008
4	तानी बेवा नानकराम, सुखदेव पुत्र नानकराम, रामदास पुत्र नानकराम, सरवन पुत्र नानकराम, हरिश पुत्र नानकराम, संतोष पुत्र नानकराम, जगन पुत्र नानकराम, रामनरेश पुत्र नानकराम, मेसो पुत्री नानकराम, गंगा पुत्री नानकराम, गोदावरी पुत्री नानकराम, रूपा बेवा गोविंदा जाति किराड निवासी बैतूल	200/1	2.699	0.008
योग		04	4.325	0.032

- (2) चूंकि सातनेर से माडवी मार्ग के किमी 07/6 पर पुल निर्माण हेतु अर्जन की जा रही भूमियों के हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, ऐसदेही के न्यायालय में किया जा सकता है।
- (4) समुचित सरकार की वेबसाईट [WWW.betul.nic.in](http://WWW.betul.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अमनबीर सिंह बैंस, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्रमांक 94-अ-82-20-21-भू-अर्जन-2516

सागर, दिनांक 5 अप्रैल 2022

मौजा सिलोधा प0ह0नं0 32 तहसील खुरई

( देखिये धारा-19 एवं 21 )

## अधिसूचना

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्ब्ववस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 (1) के तहत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन उपरांत प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई तथा समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। प्रस्तावित भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटुम्ब का पुनर्वासन और पुनर्ब्ववस्थापन किया जाना भी अपेक्षित नहीं है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्ब्ववस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के तहत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थावर परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित हैं।

(1)	परियोजना का नाम	बीना से कटनी रेल्वे लाइन तिहरीकरण निर्माण हेतु
(2)	भूमि का विवरण	
1.	ज़िला	सागर
2.	तहसील	खुरई
3.	ग्राम	सिलोधा
4.	प0ह0नं0	32
5.	अर्जित भूमि का क्षेत्रफल	04.108 हैक्टर

स0 क0	भूमिस्वामी का नाम/पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	स्वामित्व का प्रकार का नंबर	कुल रकवा हैक्टर में	अर्जित भूमि ( रकवा हैक्टर में			भूमि पर स्थित परिसंपत्तिय
					सिंचित	असिंचित	पड़ती	
1	व्रजेन्द्रसिंह पिता रामनाथसिंह अमरावती बेवा रामनाथसिंह दांगी	भूमिस्वामी	177	1.170	0.038	-	-	-
2	जितेन्द्रसिंह पिता फूलसिंह , अमरावती बेवा रामनाथसिंह दांगी साठदेह	भूमिस्वामी	178	1.150	-	0.045	-	-
3	शेरसाँग पिता लालसाँग साठ देह	भूमिस्वामी	179	1.750		0.086	-	-
4	व्रजेन्द्रसिंह पिता रामनाथ पता सागर 1/5 भाग , फूलसिंह पिता राजाराम साठ खुरई 1/5 भाग , रामगोपाल पिता राजाराम पता खुरई 1/5 भाग , कृष्णगोपाल पिता राजाराम पता खुरई 1/5 भाग , अमरावती बेवा रामनाथसिंह पता खुरई 1/5 भाग	भूमिस्वामी	181	1.500	0.143	-	-	-
5	पलक पिता सुनील कुमार जैन पता सिलोधा	भूमिस्वामी	182/1	0.600	-	0.138	-	-
6	पलक पिता सुनीलकुमार जैन पता सिलोधा	भूमिस्वामी	182/2	0.180	-	0.043	-	-

~~~~~

|    |                                                                                                                                                                                                                                         |            |       |       |       |       |   |                   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------|-------|-------|---|-------------------|
| 7  | कुंजनसींग , करनसींग , प्रहलादसींग पिता जुझा देह सा०देह                                                                                                                                                                                  | भूमिस्वामी | 183/1 | 0.330 | 0.071 | -     | - | -                 |
| 8  | माखनसींग पिता काशीराम , जगपाल , राजपाल , कृष्णपाल पिता माखनसिंह सा० देह                                                                                                                                                                 | भूमिस्वामी | 183/2 | 0.330 | -     | 0.071 | - | -                 |
| 9  | ब्रजेन्द्रसिंह पिता रामनाथ सा०देह 1/5 भाग , फूलसिंह पिता राजाराम पता खुरई भूमिस्वामी 1/5 भाग , रामगोपाल पिता राजाराम पता खुरई 1/5 भाग , कृष्णगोपाल पिता राजाराम पता खुरई 1/5भाग, अमरावती बेवा रामनाथ पता खुरई 1/5 भाग                   | भूमिस्वामी | 184   | 0.480 | 0.119 | -     | - | रेंजा-2<br>बेरी-1 |
| 10 | ब्रजेन्द्रसिंह पिता रामनाथ सा०देह 1/5 भाग , फूलसिंह पिता राजाराम पता खुरई भूमिस्वामी 1/5 भाग , रामगोपाल पिता राजाराम पता खुरई 1/5 भाग , कृष्णगोपाल पिता राजाराम पता खुरई 1/5 भाग , कपूरीबाई बेवा राजाराम पता सागर 1/5 भाग               | भूमिस्वामी | 188   | 3.520 | 0.260 | -     | - | -                 |
| 11 | ब्रजेन्द्रसिंह पिता रामनाथ सा०देह 1/5 भाग , फूलसिंह पिता राजाराम पता खुरई भूमिस्वामी 1/5 भाग , समगोपाल पिता राजाराम पता खुरई 1/5 भाग , कृष्णगोपाल पिता राजाराम पता खुरई 1/5 भाग , कपूरीबाई बेवा राजाराम पता सागर 1/5 भाग                | भूमिस्वामी | 189   | 2.260 | 0.344 | -     | - | ऊमर-1             |
| 12 | राममूर्ति पिता दयाराम 1/6 भाग , प्रीति पुत्री दयाराम 1/6 भाग , ब्रजेश पुत्री दयाराम 1/6 भाग , चन्द्रकांता पुत्री दयाराम 1/6 भाग , जानकीबाई पुत्री दयाराम 1/6 भाग , अनिकेत नावालिंग पिता व पालक नंदकिशोर पिता गनेशराम पता सिलौघा 1/6 भाग | भूमिस्वामी | 190/1 | 1.640 | -     | 0.233 | - | -                 |
| 13 | राममूर्ति पिता दयाराम 1/6 भाग , प्रीति पुत्री दयाराम 1/6 भाग , ब्रजेश पुत्री दयाराम 1/6 भाग , चन्द्रकांता पुत्री दयाराम 1/6 भाग , जानकीबाई पुत्री दयाराम 1/6 भाग , अनिकेत नावालिंग पिता व पालक नंदकिशोर पिता गनेशराम पता सिलौघा 1/6भाग  | भूमिस्वामी | 191/1 | 0.780 | -     | 0.098 | - | -                 |
| 14 | जितेन्द्रसिंह पिता फूलसिंह पता सा०देह                                                                                                                                                                                                   | भूमिस्वामी | 190/2 | 0.270 | -     | 0.047 | - | -                 |
| 15 | जितेन्द्रसिंह पिता फूलसांह पता सा०देह                                                                                                                                                                                                   | भूमिस्वामी | 191/2 | 0.130 | -     | 0.014 | - | -                 |
| 16 | राजकुमारी बेवा फूलसिंह 1/6 भाग चन्द्रभान                                                                                                                                                                                                | भूमिस्वामी | 197   | 1.060 | 0.151 | -     | - | -                 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |         |        |       |       |   |             |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------|-------|-------|---|-------------|
|    | पिता फूलसिंह 1/6 भाग राजेन्द्र पिता फूलसिंह 1/6 भाग संतोष पिता फूलसिंह 1/6 भाग शकुन पुत्री फूलसिंह 1/6 भाग , नेहा बेवा महेन्द्रसिंह 1/18 भाग शुभम नावालिंग पिता महेन्द्रसिंह संरक्षक नेहा बेवा महेन्द्रसिंह 1/18 भाग कंचन नावालिंग पुत्री महेन्द्रसिंह संरक्षक माँ नेहा 1/18 भाग |            |         |        |       |       |   |             |
| 17 | राजेशकुमार पिता वासुदेव पता साठदेह                                                                                                                                                                                                                                               | भूमिस्वामी | 198     | 0.440  |       | 0.048 | - | -           |
| 18 | गुलाबसींग पिता हरप्रसाद पता साठदेह                                                                                                                                                                                                                                               | भूमिस्वामी | 236     | 2.770  | -     | 0.195 | - | -           |
| 19 | विनोदकुमार पिता आशाराम राठोर साठ बदरावठा                                                                                                                                                                                                                                         | भूमिस्वामी | 237/1/1 | 1.200  | 0.390 | -     | - | कुआ पक्का-1 |
| 20 | रामकृष्ण पिता रामसींग पता साठदेह                                                                                                                                                                                                                                                 | भूमिस्वामी | 238     | 1.630  | 0.275 | -     | - | -           |
| 21 | वीरसींग पिता रतनसींग पता सागर                                                                                                                                                                                                                                                    | भूमिस्वामी | 242     | 1.080  | 0.288 | -     | - | -           |
| 22 | परताप पिता गंधर्व पता साठदेह                                                                                                                                                                                                                                                     | भूमिस्वामी | 243     | 0.470  | -     | 0.251 | - | -           |
| 23 | ताहरसींग पिता नारायणसींग पता साठदेह                                                                                                                                                                                                                                              | भूमिस्वामी | 246     | 3.830  | 0.760 | -     | - | बमूरा-2     |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 23      | 28.570 | 2.839 | 1.269 | - |             |

(3) प्रस्तावित भूमि के अर्जन के कारण किसी भी परिवार /कुटुम्ब का पुनर्वासन और पुनर्बर्वस्थापन नहीं किया जा रहा है जिससे पुनर्वासन और पुनर्बर्वस्थापन नीति का प्रकाशन किया जाना अपेक्षित नहीं है।

(4) अधिनियम 2013 की धारा-21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि/स्थावर परिसंपत्तियों का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि/स्थावर परिसंपत्तियों में सभी हितों के लिये प्रतिकारों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू अर्जन अधिकारी खुरई जिला सागर के कार्यालय में दिनांक ०९/०५/२०२२ को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि, परिसंपत्तियों में अपने अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिये प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां धारा-20 के अधीन किये गये मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हो, के साथ पुनर्वासन और पुनर्बर्वस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

(5) भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भूअर्जन अधिकारी खुरई जिला सागर तथा उप मुख्य अधियंता निर्माण-॥ परिचय मध्य रेल भोपाल के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
दीपक आर्य, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्रमांक 0001-अ-82-2021-22-173

रायसेन, दिनांक 13 अप्रैल 2022

चौंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 का कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

### अनुसूची-1

| क्रमांक               | तहसील   | बगर/ग्राम                   | अर्जित रकबा<br>लगभग<br>क्षेत्रफल (हि.में) | धारा 12 के अन्तर्गत<br>प्राधिकृत अधिकारी                          | सार्वजनिक प्रयोजन का<br>वर्णन                                      |
|-----------------------|---------|-----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1                     | 2       | 3                           | 4                                         | 5                                                                 | 6                                                                  |
| रायसेन<br>म.प्र.<br>. | उदयपुरा | मोहड़ कला<br>एवं<br>केतोधान | 0.368                                     | कार्यपालन यंत्री लोक<br>निर्माण विभाग सेतु<br>निर्माण संभाग भोपाल | लोक निर्माण विभाग<br>द्वारा खांड नदी पर पुल<br>(सेतु) निर्माण हेतु |

### अनुसूची-2

(प्रभावित धारकों की सूची)

| मोहड़ कलां एवं केतोधान मार्ग पर खांड नदी पर पुल (सेतु) निर्माण हेतु। |                                                               |           |                     |                                        |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|----------------------------------------|
| क्र.                                                                 | भूमि स्वामी का नाम                                            | खसरा क्र. | भूमि का कुल<br>रकबा | अर्जित की जाने<br>वाली भूमि का<br>रकबा |
| 1                                                                    | 2                                                             | 3         | 4                   | 5                                      |
| 1                                                                    | मुल्लो बाई वि. चैतराम जाति लोधी<br>निवासी ग्राम भू स्वामी     | 416       | 1.218               | 0.190                                  |
| 2                                                                    | किशोर सिंह आ. खुमान सिंह जाति<br>किरार निवासी ग्राम भू स्वामी | 199/1/2   | 2.834               | 0.038                                  |
| 3                                                                    | रमेश कुमार आ. रतिराम जाति<br>लोधी निग्राम भू स्वामी           | 199/2     | 2.241               | 0.140                                  |
| कुल योग-                                                             |                                                               | 03        |                     | 0.368                                  |

- भूमि का वक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) बरेली के कार्यालय में किया जा सकता है।
- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विबिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भू अर्जन ) रायसेन की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगमन सूजित नहीं करेगा।
- समुचित सरकार की वेबसाइट [www.raisen.nic.in](http://www.raisen.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अरविन्द दुबे, कलेक्टर एवं पदेन समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

झाबुआ, दिनांक 29 मार्च 2022

### सार्वजनिक सूचना

(अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति 2014)

प्रकरण क्रमांक—००७४...../अ-८२/२०२१-२२

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कांडला-गोरखपुर पेट्रोलियम उत्पाद (एल.पी.जी.) पाईल लाईन के लिए एस.वी. स्टेशन सुविधाओं की स्थापना हेतु ग्राम नवापाडा नवीन तहसील व जिला झाबुआ के निजी खाता धारकों की निजी भूमि म.प्र.शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भोपाल के आदेश क्रमांक—एफ12-2/2014/सात/2ए/भोपाल दिनांक 12.12.2014 के तहत आपसी सहमति से क्रय किया जाना प्रस्तावित है।

निम्नलिखित भूमि के किसी व्यक्ति/संस्था को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह अद्योहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में सूचना प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत करें। नियत अविधि पश्चात किसी भी प्रकार की आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

| ग्राम – नवापाडा नवीन |                                                          |                                                 | तहसील झाबुआ |          |          |                                                 |         |
|----------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|----------|----------|-------------------------------------------------|---------|
| सं.क्र.              | विवरण                                                    | अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टेयर में) |             |          |          |                                                 |         |
|                      |                                                          | सिंचित                                          | अंसिचित     | कुल रकबा |          |                                                 |         |
| 1                    | निजी भूमि                                                | 0.250                                           | 0.000       |          |          |                                                 | 0.250   |
| अनुसूची (02)         |                                                          |                                                 |             |          |          |                                                 |         |
| क्र.सं.              | कृषक का नाम व पिता /पति का नाम                           | कुल भूमि का रकबा                                |             |          |          | अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टेयर में) |         |
|                      |                                                          | सर्व नं.                                        | सिंचित      | अंसिचित  | कुल रकबा | सिंचित                                          | अंसिचित |
| 1                    | 2                                                        | 3                                               | 4           | 5        | 6        | 7                                               | 8       |
| 1                    | श्रीमती वाली पति मानसिंह<br>निवासी ग्राम नवापाडा<br>नवीन | 474                                             | 0.300       | 0.000    | 0.300    | 0.250                                           | 0.000   |
|                      | योग                                                      |                                                 | 0.300       | 0.000    | 0.300    | 0.250                                           | 0.000   |
|                      |                                                          |                                                 |             |          |          |                                                 | 0.250   |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सोमेश मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीधी, दिनांक 1 अप्रैल 2022

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम  
2013 की धारा-19 की उपधारा-4 एवं 07

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान होने से कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित ग्रामों की भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता होने से इन ग्रामों की धारा 19 का प्रकाशन दिनांक 03.04.2021 को किया जा चुका है। वर्तमान में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि एलायमेंट में विसंगति होने एवं संबंधित दिवागों से परिसम्पत्तियों का सूल्यांकन प्रतिवेदन प्रस्तुत न करने के कारण धारा 19 के पश्चात अंतिम अवार्ड पारित नहीं हो सका है। अतः समयावधि में एवार्ड पारित न होने के कारण 01 वर्ष की समय वृद्धि किया जाना उचित प्रतीत होता है।

म.प्र. शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ-16-15-(1)-2014-सात-शा-2ए दिनांक 29 सितम्बर 2014 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30) की धारा 3 के खण्ड (ड) के परन्तुक व्यारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतदव्यारा यह अधिसूचित करती है कि किसी जिले में दस हजार हेक्टर से अनधिक किसी क्षेत्र के लिए किसी लोक प्रयोजन के संबंध में इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु कलेक्टर को समुचित सरकार समझा जायगा (म0प्र0 राजपत्र भाग 1 दिनांक 03.10.2014 पृष्ठ 2893 पर प्रकाशित) उक्त वर्णित अधिसूचना में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 की उपधारा (7) के प्रथम एवं द्वितीय परन्तुक एवं धारा-25 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के साध्यम से वर्णित ग्रामों की धारा-19 की उपधारा (4) की समयावधि में 01 वर्ष की वृद्धि की जाती है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के परन्तुक अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त सीधी जिले की तहसील गोपद बनास की वर्णित भूमि की समयावधि निम्नानुसार बढ़ायी जाती है :-

### (1) भूमि का वर्णन :-

| क्र.                    | ग्राम का नाम | निजी भूमि रक्कम (क्षेत्रफल लगभग) | धारा-19 के जारी होने का दिनांक | धारा-19 को 01 वर्ष पूर्ण होने का दिनांक | धारा-19 की समयावधि में की गयी वृद्धि                              |
|-------------------------|--------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>उपखण्ड गोपद बनास</b> |              |                                  |                                |                                         |                                                                   |
| 1.                      | सिरसी        | 1.146                            | 03.04.2021                     | 02.04.2022                              | धारा-19 की उपधारा 4 की अधिसूचना में 01 वर्ष की वृद्धि की जाती है। |
| 2.                      | विसुनीटोला   | 1.837                            | 03.04.2021                     | 02.04.2022                              |                                                                   |
| 3.                      | महराजपुर     | 2.173                            | 03.04.2020                     | 02.04.2022                              |                                                                   |
| 4.                      | सतनरा कोठार  | 0.557                            | 03.04.2020                     | 02.04.2022                              | धारा-19 की उपधारा 4 की अधिसूचना में 01 वर्ष की वृद्धि की जाती है। |
| 5.                      | सतनरा पवाई   | 0.278                            | 03.04.2020                     | 02.04.2022                              |                                                                   |
| 6.                      | बहेरा परिचम  | 0.394                            | 03.04.2020                     | 02.04.2022                              |                                                                   |

|     |          |       |            |            |  |
|-----|----------|-------|------------|------------|--|
| 7.  | हड्डबड़े | 1.096 | 03.04.2020 | 02.04.2022 |  |
| 8.  | जोरीधो   | 0.196 | 03.04.2020 | 02.04.2022 |  |
| 9.  | पड़खुरी  | 0.056 | 03.04.2020 | 02.04.2022 |  |
| 10. | डाढ़ी    | 0.776 | 03.04.2020 | 02.04.2022 |  |

2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - सीधी-सिरसी मार्ग के निर्माण हेतु।

3. भूमि का नवरो (प्लान) का अवलोकन-उपखण्ड अधिकारी कार्यालय गोपदबनास जिला सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

मुख्यमंत्री वर्षभान खान, कलेक्टर एवं ममुचित सरकार.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश एवं पटेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

प्र. क्र.-0001-अ-82-2021-202

श्योपुर, दिनांक 24 मार्च 2022

(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19(1) एवं 40 (सहपरित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है कि, लोक प्रयोजनार्थ (गालियर - श्योपुर कलों रेलवे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिवर्तन) ग्राम तेलीपुरा प.ह.नं. 26 राजस्व निरीक्षक व तहसील वीरपुर उपखण्ड विजयपुर जिला श्योपुर में कुल रकवा 0.060 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम तेलीपुरा प.ह.नं. 26 राजस्व निरीक्षक व तहसील वीरपुर उपखण्ड विजयपुर जिला श्योपुर में उक्त परियोजना के लिए आवश्यकता है।

## अनुसूची

## भूमि का वर्णन

|                   |   |          |
|-------------------|---|----------|
| क. जिला           | - | श्योपुर  |
| ख. तहसील          | - | वीरपुर   |
| ग. ग्राम          | - | तेलीपुरा |
| घ. लगभग क्षेत्रफल | - | 0.060    |

भूमि का विस्तृत व्यौरा निम्नलिखित है :-

| संक्र.             | सर्वे नंबर | स्वामित्व का प्रकार | भूमि का प्रकार | अर्जन का क्षेत्रफल हेक्टेयर में | हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)     |
|--------------------|------------|---------------------|----------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1                  | 2          | 3                   | 4              | 5                               | 6                                                        |
| 1                  | 4/1        | भूमिस्वामी          | कृषि           | 0.030                           | रामप्रकाश पुत्र लख्मी जाति रावत निवासी ग्राम भूमिस्वामी  |
| 2                  | 5/1        | भूमिस्वामी          | कृषि           | 0.030                           | ललपति पुत्र शिवलाल जाति रावत पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी |
| <b>कुल किता 02</b> |            |                     |                | <b>0.060</b>                    |                                                          |

५. यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्पर्क जॉच के पश्चात की गयी है।

६. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुंबों की संख्या निरंक है। अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिह्नित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।

७. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खाने हैं, खनिज और खनिजों के ऐसे भागों में जिन्हे इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यकता नहीं है।

८. कलेक्टर, जिला श्योपुर के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) विजयपुर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

विशेष— धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है। इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाशन में तथ्यों के परीक्षण उपरांत प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

प्र. क्र.-0002-अ-82-2021-202-192

(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्बर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा १३(१) एवं ४० ( सहपरित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्बर्वस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम १० के अन्तर्गत)

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है कि, लोक प्रयोजनार्थ (गवालियर -श्योपुर कलौं रेलवे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिवर्तन) ग्राम जाखेर प.ह.न. 26 राजस्व निरीक्षक व तहसील वीरपुर उपखण्ड विजयपुर जिला श्योपुर में कुल रकवा 0.297 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम जाखेर प.ह.न. 26 राजस्व निरीक्षक व तहसील वीरपुर उपखण्ड विजयपुर जिला श्योपुर में उक्त परियोजना के लिए आवश्यकता है।

### अनुसूची

#### भूमि का वर्णन

|                   |   |         |
|-------------------|---|---------|
| क. जिला           | - | श्योपुर |
| ख. तहसील          | - | वीरपुर  |
| ग. ग्राम          | - | जाखेर   |
| घ. लगभग क्षेत्रफल | - | 0.297   |

भूमि का विस्तृत व्यौरा निम्नलिखित है :-

| स. क. | सर्वे नंबर | स्वामित्व का प्रकार | भूमि का प्रकार | अर्जन का क्षेत्रफल हेक्टेयर में | हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|------------|---------------------|----------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2          | 3                   | 4              | 5                               | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1     | 350/1/2    | भूमिस्वामी          | कृषि           | 0.104                           | बैरबल, जगदीश, रामनरेश पुत्रगण बद्री दुलारी पुत्री बद्री जाति रावत निवासी तेलीपुरा भूमिस्वामी 1/4 समान भाग लक्ष्मीनारायण पुत्र सरवन धन्तूरी पुत्री सरवन हिस्सा 1/2 निवासी तेलीपुरा रामनाथ प्रहलाद पुत्रगण रघुनंदन रामनाथी श्रीबाई पुत्रियां रघुनंदन मथरों पत्नि रघुनंदन हिस्सा 1/4 जाति रावत भू राजस्व 0.93 |
| 2     | 352/3      | भूमिस्वामी          | कृषि           | 0.090                           | धर्मवीर देवीसिंह पुत्रगण रामचरण, धर्मबाई, रुबी पुत्रियां रामचरण जाति रावत निवासी तेलीपुरा हिस्सा 60/196 समान भाग भूमिस्वामी उमेद पुत्र इंदर कलावती पत्नि ल्होवा जाति रावत हिस्सा 1/2 समान भाग भूमिस्वामी रमेश, महेश, पुत्रगण जीवनलाल हिस्सा 38/196 समान भाग भूमिस्वामी भू राजस्व 0.86                      |

|   |         |            |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---|---------|------------|----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | 354 / 1 | भूमिस्वामी | कृषिभूमि | 0.080 | नरेश गोरे लालाराम भरोषी दिनेश पुत्रगण लख्मी, रुमाली पुत्री लख्मी कौशा पलि लख्मी जाति रावत निवासी ग्राम हिस्सा समान भाग भूमिस्वामी भू राजस्व 0.49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4 | 355 / 1 | भूमिस्वामी | कृषिभूमि | 0.023 | रामनाथ, किशोर, रामदयाल, विनोद, पुत्रगण चिम्मन रामपति रामेश्वरी, नरेशी पुत्रियां चिम्मन कला पलि चिम्मन हिस्सा 1/5 करन पुत्र सामलिया जाति जाटव निवासी तेलीपुरा हिस्सा 1/5 भूमिस्वामी धप्पो पलि कुंदन शिवचरण श्रीपाल 1/5 भूमिस्वामी धप्पो पलि कुंदन शिवचरण श्रीपाल गजराज पुत्रगण कुंदन सुआबाई गुडडी पुत्रियां कुंदन जाति जाटव निवासी तेलीपुरा हिस्सा 1/5 समान भाग भूमिस्वामी नीवो पुत्री सामलिया जाति जाटव तेलीपुरा हिस्सा 1/5 हरहेत, श्रीलाल, पापू हल्के पुत्रगण फुल्ली द्रोपति पुत्री फुल्ली जाति जाटव निवासी ग्राम बरोली हिस्सा 1/5 समान भाग भूमिस्वामी भू राजस्व 0.11 |

1. यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जॉच के पश्चात की गयी है।

2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुंबों की संख्या निरंक है। अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।

3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खाने है, खनिज और खनिजों के ऐसे भागों में जिन्हे इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यकता नहीं है।

4. कलेक्टर, जिला श्योपुर के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) विजयपुर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

**विशेष:-** धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है। इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाशन में तथ्यों के परीक्षण उपरांत प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

प्र. क्र.-0003-अ-82-2021-202

(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19(1) एवं 40 ( सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है कि, लोक प्रयोजनार्थ (ग्रालियर –श्योपुर कलौं रेलवे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिवर्तन) ग्राम श्यारदा प.ह.नं. 23 राजस्व निरीक्षक व वृत्त 01 तहसील वीरपुर उपखण्ड विजयपुर जिला श्योपुर में कुल रकवा 1.346 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम जाखेर प.ह.नं. 23 राजस्व निरीक्षक व तहसील वीरपुर उपखण्ड विजयपुर जला श्योपुर में उक्त परियोजना के लिए आवश्यकता है।

### अनुसूची

#### भूमि का वर्णन

|                   |   |         |
|-------------------|---|---------|
| क. जिला           | — | श्योपुर |
| ख. तहसील          | — | वीरपुर  |
| ग. ग्राम          | — | श्यारदा |
| घ. लगभग क्षेत्रफल | — | 1.346   |

भूमि का विस्तृत व्यौरा निम्नलिखित है :-

| सं.<br>क्र. | सर्वे नंबर    | स्वामित्व<br>का प्रकार           | भूमि का<br>प्रकार | अर्जन<br>का<br>क्षेत्रफल<br>हेक्टेयर<br>में | हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता<br>(राजस्व अमिलेख अनुसार)                                                                                      |
|-------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1           | 2             | 3                                | 4                 | 5                                           | 6                                                                                                                                            |
| 1           | 737/2         | भूमिस्वामी                       | कृषि              | 0.381                                       | मनीषा पत्नि रामकुमार जाति वैश्य निवासी ग्राम 43/85 भाग भूमिस्वामी मुन्नालाल पुत्र लट्ठर जाति वैश्य निवासी 42/85 भाग भूमिस्वामी भूराजस्व 4.00 |
| 2           | 739/1         | भूमिस्वामी                       | कृषि              | 0.178                                       | गीता देवी पत्नि अशोक कुमार जाति वैश्य निवासी वीरपुर भूमिस्वामी भूआ. 1.18                                                                     |
| 3           | 741/2/2       | भूमिस्वामी                       | कृषिभूमि          | 0.170                                       | अफताव पुत्र निसार जाति मुसलमान निवासी ग्राम वीरपुर हिस्सा संपूर्ण भाग भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय भू राजस्व 1.07                                 |
| 4           | 743/2         | भूमिस्वामी                       | कृषिभूमि          | 0.197                                       | रिंकू पुत्र मुन्नालाल जाति वैश्य निवासी वीरपुर भूमिस्वामी भू राजस्व 3.00                                                                     |
| 5           | 758/1         | शासकीय<br>पट्टे से<br>भूमिस्वामी | कृषि भूमि         | 0.420                                       | शंकरलाल पुत्र गुल्ला उम्मेदी पुत्री गुल्ला जाति रावत निवासी ग्राम भूरा 3.00                                                                  |
|             | कुल किता<br>5 |                                  |                   | 1.346                                       |                                                                                                                                              |

1. यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जॉच के पश्चात की गयी है।
2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुंबों की संख्या निरंक है। अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिह्नित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खाने हैं, खनिज और खनिजों के ऐसे भागों में जिन्हे इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यकता नहीं है।
4. कलेक्टर, जिला श्योपुर के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) विजयपुर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

**विशेष:-** धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है। इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाशन में तथ्यों के परीक्षण उपरांत प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

शिवम वर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सार्वजनिक सूचना

(देखिये धारा 11)

प्र. क्र.-103 अ-82-20-21-भू-अर्जन-21-1579

सागर, दिनांक 4 मार्च 2022

मौजा इटावा पट. ह. नं.-51 तहसील बीना

चूंकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की केन्द्र शासन के विभाग मुख्य परियोजना अभियंता-11 रेल विकास निगम लिमिटेड, कोटा को मालखेड़ी से महादेवखेड़ी नई बड़ी लाईन परियोजना निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। प्रकरण में प्राप्त सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट अनुसार रेल मार्ग निर्माण से सुचारू आवागमन हो जावेगे तथा रेल मार्ग निर्माण से संभाव्य फायदे सामाजिक खर्च और प्रतिकूल सामाजिक समाधानों की तुलना में भी बहुत अधिक है। अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि नई बड़ी लाईन परियोजना निर्माण हेतु पूर्ण रूप से उपयुक्त है। परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निमानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है।

परियोजना का नाम

मालखेड़ी से महादेवखेड़ी नई बड़ी लाईन परियोजनांतर्गत

भूमि का विवरण:-

- |                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| 1. जिला                                      | सागर      |
| 2. तहसील                                     | बीना      |
| 3. ग्राम                                     | इटावा     |
| 4. अर्जित भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टेयर में | 2.809 हे. |

## ::अनुसूची-1::

| क्र. | सर्वे नंबर | स्वामित्व का प्रकार | भूमि का प्रकार | कुल क्षेत्रफल रकवा हेक्टेयर में | अर्जन का क्षेत्रफल | हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)                                                                                                                                                 |
|------|------------|---------------------|----------------|---------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 2          | 3                   | 4              | 5                               | 6                  | 7                                                                                                                                                                                                    |
| 1    | 127/5      | भूमि स्वामी         | कृषि           | 0.748                           | 0.023              | रजनीश पिता मुन्नालाल जाति काढी पता सा कटरावार्ड बीना भूमिस्वामी                                                                                                                                      |
| 2    | 130/3      | भूमि स्वामी         | कृषि           | 2.776                           | 0.475              | कुन्दनलाल पिता वारेलाल पता सा देह भूमि स्वामी                                                                                                                                                        |
| 3    | 131/1/1    | भूमि स्वामी         | कृषि           | 1.518                           |                    | मुह अकरम पिता मुह हनीफ पता सा देह बीना भूमि स्वामी                                                                                                                                                   |
| 4    | 131/1/2    | भूमि स्वामी         | कृषि           | 1.398                           | 0.152              | मुहम्मद इरफान पिता मुहम्मद हनीफ जाति कुरैशी पता गंजबासौदा भूमि स्वामी 9980 / 13980 हिस्सा, अकरम पिता हनीफ कुरैशी पता चंद्रशेखर वार्ड बीना 0.40 हेक्टे. सागर मध्यप्रदेश भूदानधारी 4000 / 13980 हिस्सा |
| 5    | 132/3/1    | भूमि स्वामी         | कृषि           | 5.626                           |                    | आजाद मुहम्मद पिता वली मुहम्मद पता सा. देह भूमि स्वामी                                                                                                                                                |
| 6    | 132/3/2    | भूमि स्वामी         | कृषि           | 0.849                           | 0.162              | राशिद शाहिद पिता रहीस आसिमा खुशबू जरीनाखान फरीदाबेगम पिता रहीस फातिमा बेवा रहीस पता सा. देह बीना भूमि स्वामी                                                                                         |
| 7    | 144/1/1    | भूमि स्वामी         | कृषि           | 0.504                           | 0.176              | मुह. युसुफ मुह. आरिफ मुह. कलीम पिता सलीम पता सा देह भूमि स्वामी                                                                                                                                      |

|                   |         |             |      |            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|---------|-------------|------|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8                 | 147/1/1 | भूमि स्वामी | कृषि | 1.195      | 0.047     | मुह. युसुफ पुत्र मुह सलीम पता बीना इटावा भूमि स्वामी                                                                                                                                                                                                                                |
| 9                 | 147/1/2 | भूमि स्वामी | कृषि | 1.196      | 0.067     | मुह आरिफ पुत्र मुह सलीम पता बीना इटावा भूमि स्वामी                                                                                                                                                                                                                                  |
| 10                | 147/1/3 | भूमि स्वामी | कृषि | 1.196      | 0.067     | मुह कलीम पुत्र मुह सलीम पता बीना इटावा भूमि स्वामी                                                                                                                                                                                                                                  |
| 11                | 147/4   | भूमि स्वामी | कृषि | 2.023      | 0.081     | मुहम्मद आरिफ पिता मुह. सलीम पता सा देह भूमि स्वामी                                                                                                                                                                                                                                  |
| 12                | 147/5   | भूमि स्वामी | कृषि | 2.023      | 0.072     | मुहम्मद कलीम पिता मुह. सलीम पता सा. देह भूमि स्वामी                                                                                                                                                                                                                                 |
| 13                | 147/6   | भूमि स्वामी | कृषि | 1.890      | 0.217     | मुह० जाहिद पिता युनिस पता सा. देह भूमि स्वामी                                                                                                                                                                                                                                       |
| 14                | 435/4   | भूमि स्वामी | कृषि | 8.094      | 0.078     | राकेश कुमार पिता राजकुमार जाति सिंघई पता कटरा वार्ड बीना सागर भूमि स्वामी                                                                                                                                                                                                           |
| 15                | 435/5/3 | भूमि स्वामी | कृषि | 1.620      | 0.183     | चन्द्रबाई पुत्री धन्यकुमार पता सा देह भूमि स्वामी                                                                                                                                                                                                                                   |
| 16                | 436/2   | भूमि स्वामी | कृषि | 8.500      | 0.189     | रश्मि पिता राजकुमार पता सा देह बीना भूमि स्वामी                                                                                                                                                                                                                                     |
| 17                | 437/2   | भूमि स्वामी | कृषि | 1.283      | 0.201     | वल्देव पिता तुलसी हरिओम प्रकाश नंदकिशोर पिता वल्देव भूमि स्वामी                                                                                                                                                                                                                     |
| 18                | 437/5   | भूमि स्वामी | कृषि | 0.101      |           | हरिओमप्रकाश नंदकिशोर पिता वल्देवसिंह जाति यादव पता सुभाष वार्ड सागर म.प्र. भूमि स्वामी                                                                                                                                                                                              |
| 19                | 438/1   | भूमि स्वामी | कृषि | 0.500      | 0.348     | नंदकिशोर पिता वल्देव प्रसाद यादव पता सा सुभाष वार्ड बीना भूमि स्वामी                                                                                                                                                                                                                |
| 20                | 438/10  |             |      |            |           | विनोदकुमार पिस. महेशचन्द्र राय पता सा. वीर सावरकर वार्ड बीना भूमि स्वामी                                                                                                                                                                                                            |
| 21                | 438/11  | भूमि स्वामी | कृषि | 0.499      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 22                | 448/1   | भूमि स्वामी | कृषि | 2.275      | 0.196     | कुवरबाई बेवा दुरगसिंह जाति राजपूत पता खिरिया वार्ड बीना सागर म.प्र. भूमि स्वामी 1/3 हिस्सा, बादलसिंह पिता दुरगसिंह जाति राजपूत पता खिरिया वार्ड बीना सागर म.प्र. भूमि स्वामी 1/3 हिस्सा, लूपसिंह पिता दुरगसिंह जाति राजपूत पता खिरिया वार्ड बीना सागर म.प्र. भूमि स्वामी 1/3 हिस्सा |
| 23                | 449/1/1 | भूमि स्वामी | कृषि | 0.380      | 0.075     | वृजकुंवर पल्लि देवीसिंह ठाकुर पता निवासी खिरियावार्ड बीना भूमि स्वामी                                                                                                                                                                                                               |
| 24                | 450/1/1 |             |      |            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| कुल 24 सर्वे नंबर |         |             |      | 46.194 हे. | 2.809 हे. |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा 2ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक- 2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बीना तथा सीनियर सेक्शन इंजीनियर बीना, प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र- एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा., 2ए भोपाल दिनांक 29.10.14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3.10.14 के पृष्ठ क्रमांक- 2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बीना तथा सीनियर सेक्शन इंजीनियर बीना, समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समय सीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विलंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बीना तथा मुख्य परियोजना अभियंता-।। रेल विकास निगम लिमिटेड, कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र.-105 अ-82-20-21-भू-अर्जन-2021-2168

सागर, दिनांक 25 मार्च 2022  
मौजा कलरावनी पट. ह. नं.-42 तहसील बीना

## (देखिये धारा 19 एवं 21)

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्वर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के तहत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन उपरान्त प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है तथा समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। प्रस्तावित भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटुंब का पुनर्वासन और पुनर्वर्वस्थापन किया जाना भी अपेक्षित नहीं है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्वर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के तहत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थावर परिसम्पत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित हैं।

|                             |   |                                                           |
|-----------------------------|---|-----------------------------------------------------------|
| (1) परियोजना का नाम         | : | मालखेड़ी से महादेवखेड़ी नई बड़ी तीसरी लाईन परियोजनांतर्गत |
| (2) भूमि का विवरण           | : |                                                           |
| 1. जिला                     | : | सागर                                                      |
| 2. तहसील                    | : | बीना                                                      |
| 3. ग्राम                    | : | कलरावनी                                                   |
| 4. पट.हनं-                  | : | 42                                                        |
| 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल | : | 0.346 हेक्टे.                                             |

## :: अनुसूची ::

| संक्र. | भूमि स्वामी का नाम / पिता का नाम             | स्वामित्व का प्रकार | खसरा नंबर | कुल रकवा (हेक्टे. में) | अर्जित भूमि (रकवा हेक्टे.में.) |        |       | भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियां |
|--------|----------------------------------------------|---------------------|-----------|------------------------|--------------------------------|--------|-------|------------------------------|
|        |                                              |                     |           |                        | सिचित                          | असिचित | पड़ती |                              |
| 1      | प्रभुदयाल पिता दीनानाथ साकिन देह भूमि स्वामी | भूमि स्वामी         | 89        | 8.050                  | 0.346                          | 0.00   | 0.00  | निरंक                        |
| योग    |                                              |                     | 01        | 8.050                  | 0.346                          | 0.00   | 0.00  |                              |

प्रस्तावित भूमि के अर्जन के कारण किसी भी परिवार/कुटुंब का पुनर्वासन और पुनर्वर्वस्थापन नहीं किया जा रहा है जिससे पुनर्वासन और पुनर्वर्वस्थापन नीति का प्रकाशन किया जाना अपेक्षित नहीं है।

4— अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि/स्थावर परिसंपत्तियों का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि/स्थावर परिसंपत्तियों में सभी हितों के लिए प्रतिकारों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बीना जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 30/04/2022 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि, परसम्पत्तियों में अपने अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां धारा 20 के अधीन किये गये मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हो, के साथ पुनर्वासन और पुनर्वर्वस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

5— भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बीना जिला सागर तथा मुख्य परियोजना अभियंता रेल विकास निगम लिमिटेड कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र.-104 अ-82-20-21-भू-अर्जन-2021-2169

मौजा मनऊ पट. ह. नं.-42 तहसील बीना

(देखिये धारा 19 एवं 21)

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के तहत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन उपरान्त प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है तथा समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। प्रस्तावित भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटुंब का पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन किया जाना भी अपेक्षित नहीं है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के तहत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थावर परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित हैं।

(1) परियोजना का नाम : मालखेड़ी से महादेवखेड़ी नई बड़ी तीसरी लाईन परियोजनांतर्गत

(2) भूमि का विवरण

|                             |   |               |
|-----------------------------|---|---------------|
| 1. जिला                     | : | सागर          |
| 2. तहसील                    | : | बीना          |
| 3. ग्राम                    | : | मनऊ           |
| 4. पट.ह.नं.-                | : | 42            |
| 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल | : | 0.598 हैक्टे. |

:: अनुसूची ::

| संक्र. | भूमि स्वामी का नाम / पिता का नाम                                                                                                                                                                                | स्वामित्व का प्रकार | खसरा नंबर | कुल रकवा (हेक्टे. में) | अर्जित भूमि (रकवा हेक्टे.मे.) |         |       | भूमि पर स्थित परिसंपत्तियां |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|------------------------|-------------------------------|---------|-------|-----------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                 |                     |           |                        | सिंचित                        | असिंचित | पड़ती |                             |
| 1      | कृष्णगोपाल प्रभुदयाल उमाशंकर आत्माराम बलराम उदयभान पिता दीनानाथ गीता माया पुत्री दीनानाथ प्रभाशंकर राकेश सुरेश पिता केदारनाथ विमला सावित्री किरन भुवनेश्वरी पुत्री केदारनाथ राधाबाई वेवा केदारनाथ साकिन कलरावनी | भूमि स्वामी         | 134       | 2.240                  | 0.370                         | 0.00    | 0.00  | 01 नीम का वृक्ष             |
| 2      | सुमरन पिता गनेश साकिन देहरी भूमि स्वामी                                                                                                                                                                         | भूमि स्वामी         | 135       | 2.890                  | 0.228                         | 0.00    | 0.00  | 08 बेरी के वृक्ष            |
| योग    |                                                                                                                                                                                                                 |                     |           | 02                     | 5.130                         | 0.598   | 0.00  | 09 वृक्ष                    |

प्रस्तावित भूमि के अर्जन के कारण किसी भी परिवार/कुटुंब का पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नहीं किया जा रहा है जिससे पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति का प्रकाशन किया जाना अपेक्षित नहीं है।

4— अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि/स्थावर परिसंपत्तियों का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि/स्थावर परिसंपत्तियों में सभी हितों के लिए प्रतिकारों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बीना जिला सागर के कार्यालय में दिनांक ३०/५/२०२२ को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप या अभिकर्ता द्वारा या अधिकर्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि, परसंपत्तियों में अपने अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां धारा 20 के अधीन किये गये मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हो, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

5— भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बीना जिला सागर तथा मुख्य परियोजना अभियंता रेल विकास निगम लिमिटेड कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र.-101 अ-82-20-21-भू-अर्जन-2021-2695

सागर, दिनांक 12 अप्रैल 2022  
 मौजा देहरी पट. ह. नं.-35 तहसील बीना  
 (देखिये धारा 19 एवं 21)

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के तहत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन उपरान्त प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है तथा समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। प्रस्तावित भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटुंब का पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन किया जाना भी अपेक्षित नहीं है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के तहत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थावर परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित हैं।

|                             |   |                                                           |
|-----------------------------|---|-----------------------------------------------------------|
| (1) परियोजना का नाम         | : | मालखेड़ी से महादेवखेड़ी नई बड़ी तीसरी लाईन परियोजनांतर्गत |
| (2) भूमि का विवरण           | : |                                                           |
| 1. जिला                     | : | सागर                                                      |
| 2. तहसील                    | : | बीना                                                      |
| 3. ग्राम                    | : | देहरी                                                     |
| 4. पट.ह.नं.-                | : | 35                                                        |
| 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल | : | 0.010 हेक्टरे.                                            |

#### :: अनुसूची ::

| संक्र. | भूमि स्वामी का नाम / पिता का नाम            | स्वामित्व का प्रकार | खसरा नंबर | कुल रकवा (हेक्टरे, में) | अर्जित भूमि (रकवा हेक्टरे, में) |         |       | भूमि पर स्थित परिसंपत्तियां |
|--------|---------------------------------------------|---------------------|-----------|-------------------------|---------------------------------|---------|-------|-----------------------------|
|        |                                             |                     |           |                         | सिंचित                          | असिंचित | पड़ती |                             |
| 1      | कोमलसिंह पिता खूबसिंह साकिन देह भूमि स्वामी | भूमि स्वामी         | 769       | 0.990                   | 0.010                           | 0.00    | 0.00  | 05 बबूल के वृक्ष            |
| योग    |                                             |                     | 01        | 0.990                   | 0.010                           | 0.00    | 0.00  |                             |

प्रस्तावित भूमि के अर्जन के कारण किसी भी परिवार/कुटुंब का पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नहीं किया जा रहा है जिससे पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति का प्रकाशन किया जाना अपेक्षित नहीं है।

4- अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि/स्थावर परिसंपत्तियों का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि/स्थावर परिसंपत्तियों में सभी हितों के लिए प्रतिकारों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बीना जिला सागर के कार्यालय में दिनांक ५/५/२०२२ को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि, परसंपत्तियों में अपने अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां धारा 20 के अधीन किये गये मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हो, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

5- भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बीना जिला सागर तथा मुख्य परियोजना अभियंता-।। रेल विकास निगम लिमिटेड कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र.-106 अ-82-20-21-भू-अर्जन-2021-2694

मौजा निवोदा पट. ह. नं.-21 तहसील बीना

(देखिये धारा 19 एवं 21)

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के तहत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन उपरान्त प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है तथा समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। प्रस्तावित भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटुंब का पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन किया जाना भी अपेक्षित नहीं है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के तहत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थावर परिसम्पत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित हैं।

|                             |   |                                                                             |
|-----------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------|
| (1) परियोजना का नाम         | : | बीना से कोटा (282.66 कि.मी.) नई बड़ी दोहरी रेलवे लाइन निर्माण योजनानांतर्गत |
| (2) भूमि का विवरण           | : |                                                                             |
| 1. जिला                     | : | सागर                                                                        |
| 2. तहसील                    | : | बीना                                                                        |
| 3. ग्राम                    | : | निवोदा                                                                      |
| 4. पट.हन.-                  | : | 21                                                                          |
| 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल | : | 0.200 हेक्टे.                                                               |

## :: अनुसूची ::

| संक्र. | भूमि स्वामी का नाम / पिता का नाम                                              | स्वामित्व का प्रकार | खसरा नंबर | कुल रकवा (हेक्टे. में) | अर्जित भूमि (रकवा हेक्टे.में) |         |       | भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियां |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|------------------------|-------------------------------|---------|-------|------------------------------|
|        |                                                                               |                     |           |                        | सिंचित                        | असिंचित | पड़ती |                              |
| 1      | हरप्रसाद पिता मुन्ना सा. आगासौद                                               | भूमि स्वामी         | 57/1      | 1.300                  | 0.12                          | 0.00    | 0.00  | निरंक                        |
| 2      | राजकुमार पिता नाथूराम उर्फ भगोना उर्फ भगवानदास निवासी ग्राम आगासौद भूमिस्वामी | भूमि स्वामी         | 57/2      | 1.300                  | 0.08                          | 0.00    | 0.00  | 01 बोर                       |
| योग    |                                                                               |                     | 02        | 2.600                  | 0.200                         | 0.00    | 0.00  | 01 बोर                       |

प्रस्तावित भूमि के अर्जन के कारण किसी भी परिवार/कुटुंब का पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नहीं किया जा रहा है जिससे पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति का प्रकाशन किया जाना अपेक्षित नहीं है।

4— अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि/स्थावर परिसंपत्तियों का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि/स्थावर परिसंपत्तियों में सभी हितों के लिए प्रतिकारों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बीना जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 17/05/2022 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि, परसम्पत्तियों में अपने अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां धारा 20 के अधीन किये गये मापों के संबंध में आक्षण्य यदि कोई हो, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

5— भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बीना जिला सागर तथा मुख्य परियोजना अभियंता-।। रेल विकास निगम लिमिटेड कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
दीपक आर्य, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील बरेली, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश

क्र. 984-भू-अर्जन-2022

बरेली, दिनांक 6 अप्रैल 2022

प्रकरण क्रमांक 0002/भू-अर्जन/2021-22 बरेली चूंकि राज्य शासन को प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने (1) से (6) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (8) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना हैं। उक्त प्रयोजन हेतु प्रकरण में म.प्र. शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय, भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 12-2 2014 सात 2 ए दिनांक 12.11.2014 के द्वारा प्रतिपादित आपसी सहमति से भूमि क्रय की नीति के तहत कार्यवाही प्रचलित है। नीति अनुसार धारकों द्वारा निर्धारित प्रारूप (ख) में अपनी सहमति प्रस्तुत की गई है। अतएव निम्न दर्शित भूमिधारकों से परियोजना के लिए राज्य सरकार से संबंधित विभाग/उपक्रम के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वतंत्र के विषय में कोई आपत्ति हो तो नियत अवधि (सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर) में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। नियत अवधि के पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा।

ग्राम का नाम—उडदमऊ

तहसील—उदयपुरा

| क्र. | ग्राम का नाम | भूमि स्वामी का नाम                                                                                                | अर्जित किये जाने वाले खसरा नं. | कुल रकबा हेक्टेयर में | अर्जित रकबा हेक्टेयर में | प्राधिकृत अधिकारी                                      | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन                                                                      |
|------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 2            | 3                                                                                                                 | 4                              | 5                     | 6                        | 7                                                      | 8                                                                                               |
| 01   | उडदमऊ        | कीर्तिनंदन आ. हल्केवीर जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम भू स्वामी                                                       | 292/2/2                        | 0.809                 | 0.150                    | कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग से तु निर्माण भोपाल | लो.नि.विभाग द्वारा ग्राम सोजनी छीद से उडदमऊ इमडिरी भाग में नाले पर पुल मय पहुच भाग निर्माण हेतु |
| 02   | उडदमऊ        | द्वारका प्रसाद आ. बालमुकुन्द जाति राय निवासी ग्राम भू स्वामी                                                      | 354/1                          | 2.859                 | 0.150                    |                                                        |                                                                                                 |
| 03   | उडदमऊ        | रम्मूलाल, शंकरलाल, भगवान सिंह, मानसिंह, रामस्वरूप, राजेश, परषोत्तम आ. भैयालाल जाति रघुवंशी निवासी ग्राम भू स्वामी | 350                            | 0.040                 | 0.040                    |                                                        |                                                                                                 |
| 04   | उडदमऊ        | रम्मूलाल, शंकरलाल, भगवान सिंह, मानसिंह, रामस्वरूप, राजेश, परषोत्तम आ. भैयालाल जाति रघुवंशी निवासी ग्राम भू स्वामी | 348                            | 1.724                 | 0.030                    |                                                        |                                                                                                 |
| 05   | उडदमऊ        | रामदयाल आ. शिवराज सिंह जाति रघुवंशी निवासी ग्राम भू स्वामी                                                        | 295                            | 0.565                 | 0.130                    |                                                        |                                                                                                 |
| 06   | उडदमऊ        | रामदयाल आ. शिवराज सिंह जाति रघुवंशी निवासी ग्राम भू स्वामी                                                        | 341/1                          | 1.198                 | 0.050                    |                                                        |                                                                                                 |

प्रमोद सिंह गुर्जर, अनुविभागीय एवं भू-अर्जन अधिकारी,

कार्यालय, कलेक्टर एवं भू-अर्जन अधिकारी, जिला मुरैना, मध्यप्रदेश

प्र. क्र. 03-अ-82-भू-अर्जन-2020-21-आसन बैराज-3020-3010

मुरैना, दिनांक 29 मार्च 2022

(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19(1) एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (आसन बैराज परियोजना का निर्माण कार्य) ग्राम— चन्द्रपुरा, प0ह0क्र0 122 राजस्व वृत्— तहसील— जौरा, उपखण्ड—जौरा, जिला— मुरैना में कुल 4.68 हेक्टेएक्टर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम—चन्द्रपुरा प0ह0क्र. 122 राजस्व वृत्— तहसील—जौरा, उपखण्ड —जौरा जिला— मुरैना में उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन

|    |                |                  |
|----|----------------|------------------|
| क. | जिला—          | मुरैना           |
| ख. | तहसील—         | जौरा             |
| ग. | ग्राम—         | चन्द्रपुरा       |
| घ. | लगभग क्षेत्रफल | 4.68 हेक्टेएक्टर |

भूमि का विस्तृत व्यौरा निम्नानुसार है:—

| स.क्र. | सर्व नं. | स्वामित्व का प्रकार | भूमि का प्रकार | अर्जन का क्षेत्रफल | हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)                                                                                                                      |
|--------|----------|---------------------|----------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | 2        | 3                   | 4              | 5                  | 6                                                                                                                                                                         |
| 1.     | 439      | भूमि स्वामी         | कृषि भूमि      | 0.03               | छविराम खूब सिंह पुत्रान पंचम सिंह वासुदेव पुत्र गजेन्द्र सिंह जाति गूठा. पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी                                                             |
| 2.     | 442      | भूमि स्वामी         | कृषि भूमि      | 0.23               | अशोक रामवीर, महावीर पुत्रगण मचल सिंह गिरजा शीला मंजेश पुत्रियाँ मचल सिंह पता नि. ग्राम भूमिस्वामी मु. नारायणी वेवा मचल सिंह जाति गूठा. पता नि. ग्राम म. पंचमपुरा समान भाग |

| स.क्र. | सर्वे नं. | स्वामित्व का प्रकार | भूमि का प्रकार | अर्जन का क्षेत्रफल | हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)                                                                                                                                 |
|--------|-----------|---------------------|----------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | 2         | 3                   | 4              | 5                  | 6                                                                                                                                                                                    |
|        |           |                     |                |                    | भूमिस्वामी                                                                                                                                                                           |
| 3.     | 443       | भूमि स्वामी         | कृषि भूमि      | 0.17               | छविराम खूब सिंह पुत्रान पंचम सिंह वासुदेव पुत्र गजेन्द्र सिंह जाति गूठा. पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी                                                                        |
| 4.     | 445       | भूमि स्वामी         | कृषि भूमि      | 0.39               | अशोक रामवीर, महावीर पुत्रगण मचल सिंह गिरजा शीला मंजेश पुत्रियाँ मचल सिंह पता नि. ग्राम भूमिस्वामी मु. नारायणी वेवा मचल सिंह जाति गूठा. पता नि. ग्राम म. पंचमपुरा समान भाग भूमिस्वामी |
| 5.     | 447       | भूमि स्वामी         | कृषि भूमि      | 0.24               | अशोक रामवीर, महावीर पुत्रगण मचल सिंह गिरजा शीला मंजेश पुत्रियाँ मचल सिंह पता नि. ग्राम भूमिस्वामी मु. नारायणी वेवा मचल सिंह जाति गूठा. पता नि. ग्राम म. पंचमपुरा समान भाग भूमिस्वामी |
| 6.     | 448       | भूमि स्वामी         | कृषि भूमि      | 0.16               | छविराम खूब सिंह पुत्रान पंचम सिंह वासुदेव पुत्र गजेन्द्र सिंह जाति गूठा. पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी                                                                        |
| 7.     | 449       | भूमि स्वामी         | कृषि भूमि      | 0.12               | छविराम खूब सिंह पुत्रान पंचम सिंह वासुदेव पुत्र गजेन्द्र सिंह जाति गूठा. पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी                                                                        |
| 8.     | 454       | भूमि स्वामी         | कृषि भूमि      | 0.32               | बाबूसिंह पुत्र पंछी सिंह जाति गूठा. पता निवासी ग्राम मजरा पंचमपुरा                                                                                                                   |
| 9.     | 447/772   | भूमि स्वामी         | कृषि भूमि      | 0.27               | अशोक रामवीर, महावीर पुत्रगण मचल सिंह गिरजा शीला मंजेश पुत्रियाँ मचल सिंह पता नि. ग्राम भूमिस्वामी मु. नारायणी वेवा मचल सिंह जाति गूठा.                                               |

| संक्र. | सर्वे नं. | स्वामित्व का प्रकार | भूमि का प्रकार | अर्जन का क्षेत्रफल | हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)                                                                                                                                 |
|--------|-----------|---------------------|----------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | 2         | 3                   | 4              | 5                  | 6                                                                                                                                                                                    |
|        |           |                     |                |                    | पता नि. ग्राम म. पंचमपुरा समान भाग भूमिस्वामी                                                                                                                                        |
| 10.    | 496/773   | भूमि स्वामी         | कृषि भूमि      | 0.18               | अशोक रामवीर, महावीर पुत्रगण मचल सिंह गिरजा शीला मंजेश पुत्रियाँ मचल सिंह पता नि. ग्राम भूमिस्वामी मु. नारायणी वेवा मचल सिंह जाति गूठा. पता नि. ग्राम म. पंचमपुरा समान भाग भूमिस्वामी |
| 11.    | 448/774   | भूमि स्वामी         | कृषि भूमि      | 0.23               | अशोक रामवीर, महावीर पुत्रगण मचल सिंह गिरजा शीला मंजेश पुत्रियाँ मचल सिंह पता नि. ग्राम भूमिस्वामी मु. नारायणी वेवा मचल सिंह जाति गूठा. पता नि. ग्राम म. पंचमपुरा समान भाग भूमिस्वामी |
| 12.    | 454/775   | भूमि स्वामी         | कृषि भूमि      | 0.11               | अशोक रामवीर, महावीर पुत्रगण मचल सिंह गिरजा शीला मंजेश पुत्रियाँ मचल सिंह पता नि. ग्राम भूमिस्वामी मु. नारायणी वेवा मचल सिंह जाति गूठा. पता नि. ग्राम म. पंचमपुरा समान भाग भूमिस्वामी |
| 13.    | 474       | भूमि स्वामी         | कृषि भूमि      | 0.17               | रघुवीर पुत्र रामजीलाल जाति गूठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी                                                                                                                         |
| 14.    | 475       | भूमि स्वामी         | कृषि भूमि      | 0.34               | छविराम खूब सिंह पुत्रान पंचम सिंह वासुदेव पुत्र गजेन्द्र सिंह जाति गूठा. पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी                                                                        |
| 15.    | 476       | भूमि स्वामी         | कृषि भूमि      | 0.38               | मुरारीलाल पुत्र श्रीधर कमला पुत्री श्रीधर जाति ब्रा. पता नि. ग्राम भूमिस्वामी                                                                                                        |
| 16.    | 477       | भूमि स्वामी         | कृषि भूमि      | 0.40               | पूरन सिंह पुत्र कदम सिंह जाति गूठा. पता निवासी ग्राम मजरा पंचमपुरा                                                                                                                   |

| संक्र. | सर्वे नं.   | स्वामित्व का प्रकार | भूमि का प्रकार                                               | अर्जन का क्षेत्रफल | हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अमिलेख अनुसार)                                                                      |
|--------|-------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | 2           | 3                   | 4                                                            | 5                  | 6                                                                                                                         |
|        |             |                     |                                                              |                    | भूमिस्वामी                                                                                                                |
| 17.    | 495         | भूमि स्वामी         | कृषि भूमि                                                    | 0.16               | छविराम खूब सिंह पुत्रान पंचम सिंह वासुदेव पुत्र गजेन्द्र सिंह जाति गूठा. पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी             |
| 18.    | 496/776     | भूमि स्वामी         | कृषि भूमि<br>मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार | 0.01<br>भूमिस्वामी | छविराम खूब सिंह पुत्रान पंचम सिंह वासुदेव पुत्र गजेन्द्र सिंह जाति गूठा. पता निवासी ग्राम समान भाग मजबूरहमान खान, उपसचिव. |
| 19.    | 497         | भूमि स्वामी         | कृषि भूमि                                                    | 0.30               | छविराम खूब सिंह पुत्रान पंचम सिंह वासुदेव पुत्र गजेन्द्र सिंह जाति गूठा. पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी             |
| 20.    | 493         | भूमि स्वामी         | कृषि भूमि                                                    | 0.47               | छविराम खूब सिंह पुत्रान पंचम सिंह वासुदेव पुत्र गजेन्द्र सिंह जाति गूठा. पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी             |
|        | कुल किता 20 |                     |                                                              | 4.68 हेठो          |                                                                                                                           |

- यहकि घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात् की गयी है।
- नियम 4 के अधीन भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुम्बों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
- उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खाने हैं, खनिज और खनिजों के ऐसे भागों में जिन्हें इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, कि परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं है।
- कलेक्टर, जिला मुरैना के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जौरा के कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

**विशेष:**— धारा 40 (2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली आसन बेराज परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है। इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाशन में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्ति किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधन के उपबंध लागू नहीं होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बी. कर्तिकेयन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

## उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

### उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 30 मार्च 2022

क्र. A-1596-दो-2-2-2022.—श्रीमती ममता जैन, Member Secretary (S.C.M.S.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 18 से 22 अप्रैल 2022 तक दोनों दिन समिलित करके 05 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 15 अप्रैल 2022 से दिनांक 17 अप्रैल 2022 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती ममता जैन, Member Secretary (S.C.M.S.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती ममता जैन, उपरोक्तनुसार अवकाश पर नहीं जाती तो Member Secretary (S.C.M.S.), के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. B-1903-दो-2-28-2017.—श्री चन्द्रशेखर गुप्ता, उप नियंत्रक (लेखा), मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ ग्वालियर को दिनांक 21 मार्च से दिनांक 08 अप्रैल 2022 तक उन्नीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 17 से 20 मार्च 2022 तक के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 09 से 10 अप्रैल 2022 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री चन्द्रशेखर गुप्ता, उप नियंत्रक (लेखा), मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री चन्द्रशेखर गुप्ता, उपरोक्तनुसार अवकाश पर नहीं जाते तो उप नियंत्रक (लेखा) के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. B-1905-दो-2-60-2014.—श्री राजेश कुमार शर्मा, ज्वाइंट रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय इंदौर खण्डपीठ, इंदौर को दिनांक 28 मार्च से 01 अप्रैल 2022 तक दोनों दिन समिलित करते हुए पाँच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 27 मार्च 2022 के एवं पश्चात् में दिनांक 02 एवं 03 अप्रैल 2022 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री राजेश कुमार शर्मा, ज्वाइंट रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय इंदौर खण्डपीठ, इंदौर को इंदौर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेश कुमार शर्मा, उपरोक्तनुसार अवकाश पर नहीं जाते तो ज्वाइंट रजिस्ट्रार (एम), के पद पर कार्यरत रहते।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,  
यू. एस. दुबे, ओ.एस.डी.

जबलपुर, दिनांक 2 मार्च 2022

क्र. C-733-दो-2-4-2021.—श्री सुरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शाजापुर को दिनांक 21 से 25 फरवरी 2022 तक, पांच दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश, उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है।

क्र. C-735-दो-2-14-2015.—श्रीमती रेणुका कंचन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह को दिनांक 28 फरवरी से 15 मार्च 2022 तक, सोलह दिन का संतान पालन अवकाश (Child Care Leave) स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती रेणुका कंचन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह को दमोह पुनः पदस्थापित किया जाता है।

संतान पालन अवकाश (Child Care Leave) काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती रेणुका कंचन, उपरोक्तनुसार अवकाश पर नहीं जाती तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. C-737-दो-2-117-2017.—श्री संजीव कुमार अग्रवाल, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, शिवपुरी को दिनांक 24 से 27 जनवरी 2022 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री संजीव कुमार अग्रवाल, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, शिवपुरी को शिवपुरी पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री संजीव कुमार अग्रवाल, उपरोक्तनुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-739-दो-2-19-2015.—श्री अजय प्रकाश मिश्र, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पश्चिम निमाड़, मण्डलेश्वर को दिनांक 24 से 29 जनवरी 2022 तक, छह दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री अजय प्रकाश मिश्र, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पश्चिम निमाड़, मण्डलेश्वर को पश्चिम निमाड़, मण्डलेश्वर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अजय प्रकाश मिश्र, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-741-दो-2-70-2021.—श्री अतुल्य सराफ, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर को दिनांक 22 से 24 फरवरी 2022 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री अतुल्य सराफ, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर को बुरहानपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अतुल्य सराफ, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-743-दो-2-3-2018.—श्री राजवर्धन गुप्ता, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नीमच को दिनांक 20 से 21 जनवरी 2022 तक, दो दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री राजवर्धन गुप्ता, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नीमच को नीमच पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजवर्धन गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 9 मार्च 2022

क्र. C-952-दो-2-35-2017.—श्री पवन कुमार शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिवनी को दिनांक 02 से 07 नवम्बर 2021 तक के सार्वजनिक अवकाश तथा दिनांक 08 नवम्बर 2021

के एक दिन के आकस्मिक अवकाश के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2019 से वर्ष 2021 तक की त्वाक अवधि हेतु 10 दिवस (केवल दस दिवस) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9(1-ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3666-इक्कीस-ब(एक) 2011, दिनांक 08 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

क्र. C-954-दो-2-38-2021.—श्री के. एस. बारिया, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को दिनांक 14 से 16 मार्च 2022 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री के. एस. बारिया, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री के. एस. बारिया, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-831-दो-2-15-2019.—श्री एम. के. जैन, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इन्दौर को दिनांक 22 जनवरी से 5 फरवरी 2022 तक, पन्द्रह दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 06 फरवरी 2022 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री एम. के. जैन, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इन्दौर को इन्दौर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एम. के. जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-833-दो-2-81-2018.—श्री काशिफ नदीम खान, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, गुना को दिनांक 11 से 25 फरवरी 2022 तक, पन्द्रह दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री काशिफ नदीम खान, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, गुना को गुना पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री काशिफ नदीम खान, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D-835-दो-2-34-2018.—सुश्री नीना आशापुरे, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी को दिनांक 04 से 05 मार्च 2022 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 06 मार्च 2022 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर सुश्री नीना आशापुरे, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी को डिण्डौरी पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री आशापुरे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहती.

क्र. D-837-दो-2-41-2015.—श्री सनत कुमार कश्यप, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया को दिनांक 24 से 29 जनवरी 2022 तक, छह दिन का कम्प्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 30 जनवरी 2022 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री सनत कुमार कश्यप, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया को उमरिया पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्प्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री सनत कुमार कश्यप, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D-839-दो-2-70-2021.—श्री अतुल्य सराफ, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर को दिनांक 22 से 24 फरवरी 2022 तक, तीन दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 24 फरवरी 2022 का एक दिन का अर्जित अवकाश, उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है.

क्र. D-841-दो-2-61-2013.—श्री ओंकार नाथ, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायसेन को दिनांक 10 से 11 दिसम्बर 2021 तक एवं दिनांक 13 से 16 दिसम्बर 2021 तक, कुल छह दिन के आकस्मिक अवकाश के साथ एल. टी. सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2021 से 2023 तक की व्यापक अवधि हेतु 10

दिवस (केवल दस दिवस) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए) 19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9(1-ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक -3666-इक्कीस-ब(एक) 2011, दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्दशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.

क्र. D-843-दो-2-48-2021.—श्री अरविन्द रघुवंशी, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भोपाल को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए) 19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2019 से 31 अक्टूबर 2021 तक 2 वर्ष की व्यापक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

जबलपुर, दिनांक 14 मार्च 2022

क्र. B-1647-दो-2-50-2020.—श्री आर. पी. शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया को दिनांक 14 से 16 मार्च 2022 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 13 मार्च 2022 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 17 से 19 मार्च 2022 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री आर. पी. शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया को दतिया पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. पी. शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. B-1650-दो-2-11-2015.—श्री प्रभात कुमार मिश्रा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास को दिनांक 9 से 12 मार्च 2022 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 13 फरवरी 2022 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री प्रभात कुमार मिश्रा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास को देवास पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्रभात कुमार मिश्रा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 15 मार्च 2022

क्र. A-1365-दो-2-14-2021.—श्री प्रदीप मित्तल, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को दिनांक 6 से 14 जनवरी 2022 तक, नौ दिन का कम्प्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री प्रदीप मित्तल, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को श्योपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्रदीप मित्तल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. A-1367-दो-3-420-80-भाग-बारह.—श्री योगेश दत्त (शुक्ल) सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश फा. 195-इक्कीस-ब(एक)-2018, दिनांक 31 मार्च 2018 समसंख्यक पत्र क्र मांक-4346-इक्कीस-ब(एक)-2018, दिनांक 19 सितम्बर 2018, समसंख्यक आदेश क्रमांक 3(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(3), मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय, भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक एफ-6-1-2018-नियम-चार, दिनांक 08 मार्च 2019 के अनुसार श्री शुक्ल को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 28 फरवरी 2022 को निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

|                       |               |        |
|-----------------------|---------------|--------|
| 1.                    | अर्जित अवकाश  | .. 217 |
|                       | अद्वेतन अवकाश | .. 83  |
| <u>योग : 300 दिवस</u> |               |        |

2. उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी:—

- (i) अर्जित अवकाश के एवज में भुगतान = 217 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन।
- (ii) सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा अवकाश वेतन अनुज्ञय + महंगाई भत्ता

अद्वेतनिक अवकाश = X 83  
के एवज में नगद 30  
भुगतान।

क्र. D-878-दो-2-37-2021.—श्री भारत सिंह रावत, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को दिनांक 21 से 24 मार्च 2022 तक चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व दिनांक 17 से 20 मार्च 2022 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री भारत सिंह रावत, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री भारत सिंह रावत, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-880-दो-2-75-2017.—श्री रत्नेश चन्द्र सिंह बिसेन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनूपपुर को 21 से 24 फरवरी 2022 तक चार दिन का कम्प्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री रत्नेश चन्द्र सिंह बिसेन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनूपपुर को अनूपपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री रत्नेश चन्द्र बिसेन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 22 मार्च 2022

क्र. C-1136-दो-2-36-2021.—श्री आनंद कुमार तिवारी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सतना को निम्नानुसार अवकाश निरस्त एवं स्वीकृत किया जाता है :—

1. दिनांक 28 फरवरी 2022 का एक दिन का स्वीकृत आकस्मिक अवकाश निरस्त किया जाता है।
2. दिनांक 26 फरवरी 2022 से 12 मार्च 2022 तक, पन्द्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 13 मार्च 2022 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री आनंद कुमार तिवारी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सतना को सतना पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आनंद कुमार तिवारी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,  
यू. एस. दुबे, विशेष कर्तव्यस्थि अधिकारी।

## उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

Jabalpur, dated 08<sup>th</sup> April, 2022

No. B-2096-II-10-40-78.—In the notification of the High Court No. B-4903, dated 12th September, 2017; issued in exercise of the powers conferred by sub-section (6) of Section 9 of the Code of Criminal Procedure 1973 (No. 2 of 1974), serial No. 21 of the table is amended as below :—

## TABLE

| S. No. | Court of Sessions<br>(1)<br>21 | Place, where the Courts shall ordinarily hold their sitting<br>(2)<br>Narmadapuram |
|--------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                | (3)<br>Narmadapuram, Sohagpur, Pipariya, Itarsi.                                   |

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का सं. 2) की धारा 9 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस संबंध में पूर्व में जारी की गई अधिसूचना क्रमांक बी-4903, दिनांक 12 सितम्बर 2017 में सारणी में अनुक्रमांक 21 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :—

## सारणी

| अनुक्रमांक<br>(1)<br>21 | सत्र न्यायालय<br>(2)<br>नर्मदापुरम | सामान्यतः बैठने का स्थान<br>(3)<br>नर्मदापुरम, सोहागपुर, पिपरिया, इटारसी |
|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                         |                                    | जबलपुर, दिनांक 8 अप्रैल 2022                                             |

क्र. बी-2098-तीन-10-40-78-आठ.—उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 12 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस संबंध में जारी की गई अधिसूचना क्रमांक सी/4666 दिनांक 18 नवम्बर 2016 में संशोधन करते हुए जिला होशंगाबाद का परिवर्तित नाम नर्मदापुरम समाविष्ट किया जाता है एवं तदनुसार उक्स अधिसूचना की सारणी के अनुक्रमांक 21 सिविल जिले से संबंधित प्रविष्टियों के संबंध में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है।

## सारणी

| अनु. क्र.<br>(1) | सिविल जिले<br>का नाम<br>(2) | जिला एवं अतिरिक्त सत्र<br>न्यायाधीश के न्यायालय<br>स्थान<br>(3) | सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ<br>खण्ड के न्यायालय<br>स्थान<br>(5) |                                | सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ<br>खण्ड के न्यायालय<br>स्थान<br>(7) |             |
|------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|
|                  |                             |                                                                 | न्यायालयों<br>की संख्या<br>(4)                             | न्यायालयों<br>की संख्या<br>(6) | न्यायालयों<br>की संख्या<br>(8)                             |             |
| 21               | नर्मदापुरम                  | नर्मदापुरम                                                      | 3                                                          | नर्मदापुरम                     | 2                                                          | नर्मदापुरम  |
|                  |                             | सोहागपुर                                                        | 2                                                          | सोहागपुर                       | 1                                                          | सोहागपुर    |
|                  |                             | पिपरिया                                                         | 3                                                          | पिपरिया                        | 2                                                          | पिपरिया     |
|                  |                             | इटारसी                                                          | 3                                                          | इटारसी                         | 2                                                          | इटारसी      |
|                  |                             |                                                                 |                                                            | सिवनी मालवा                    | 1                                                          | सिवनी मालवा |
|                  |                             |                                                                 |                                                            |                                |                                                            | पचमढ़ी      |
|                  |                             |                                                                 |                                                            |                                |                                                            | 2           |

माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,  
विवेक सक्सेना, रजिस्ट्रार जिला स्थापना।

**कार्यालय, म. प्र. माध्यस्थम अधिकरण, विष्वाचल भवन, भू-तल, भोपाल**

भोपाल, दिनांक 12 अप्रैल 2022

क्र. 298-फा.दो-22-1-स्था.-2013.—मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण विनियम, 1985 के विनियम-34(2) के अनुसरण में, एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश द्वारा प्रकाशित वर्ष 2022 के कैलेण्डर अनुसार उच्च न्यायालय के लिये अधिसूचित ग्रीष्मकालीन विश्रामावकाश अवधि के दौरान, मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण के लिए दिनांक 30 मई 2022 से 10 जून 2022 कुल 12 दिवस तक ग्रीष्मकालीन विश्रामावकाश रहेगा। इस दौरान अधिकरण में न्यायिक कार्य (बैंचों में सुनवाई) नहीं होगी।

तथापि उक्त विश्रामावकाश अवधि में सार्वजनिक व सामान्य अवकाश दिवसों को छोड़कर, सामान्य कार्य दिवसों में अधिकरण का कार्यालयीन कार्य यथावत जारी रहेगा।

आदेशानुसार,  
अरविंद प्रताप सिंह चौहान, रजिस्ट्रार.

**मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर**

( 574, साउथ सिविल लाईन्स )

// आदेश //

क्रमांक फोटो. 18 / स्था. 10 / राजविसेप्ला / 109 / 2022 जबलपुर दिनांक 07/04/2022

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के विज्ञापन क्रमांक-37/जि.वि.स.अ./परीक्षा/2021, दिनांक 08.06.2021 के आधार पर ज़िला विधिक सहायता अधिकारी (प्रवेश स्तर) के पद पर चयनित अभ्यार्थियों को वेतनमात्रा 56100-177500 में नियमानुसार समय-समय पर देय भल्तों सहित तीन वर्ष की परिक्षीक्षा घर अस्थायी एवं स्थानानुपन रूप से आगामी आदेश पर्यन्त तक उनके द्वासा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से नियुक्ति प्रदान की जाकर समरणी के कॉलम नम्बर-05 में दर्शित पदस्थापना स्थान पर पदस्थ किया जाता है।

| क्र. | रोल नंबर    | नाम वं. पिता का नाम                                     | गृह ज़िला                                                                            | पदस्थापना स्थान                      |
|------|-------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1    | 2           | 3                                                       | 4                                                                                    | 5                                    |
| 1    | MPAO2105415 | श्री सिद्धार्थ शुक्ला<br>पिता श्री रमेशचन्द्र<br>शुक्ला | 102 ब्रह्माकृष्ण<br>कालोडी ग्वारीघाट<br>(साकेत धाम) जबलपुर<br>482008                 | जिला विधिक सेवा<br>प्राधिकरण, सीधी   |
| 2    | MPAO2105910 | श्री प्रवीण कुमार<br>पिता श्री सुबेसिंह                 | वार्ड नं.33 गोविन्द<br>नगर कालोनी, राजपुरा<br>पिलानी ज़िला झुझुनु<br>राजस्थान 333031 | जिला विधिक सेवा<br>प्राधिकरण, मंदसौर |
| 3    | MPAO2106185 | श्री सोरभ कुमार दुबे<br>पिता श्री रघुनाथ दुबे           | बी 68 स्ट्रीट नं. 9 न्यू<br>मार्डन शाहदरा नई<br>दिल्ली<br>थाना-मानसरोवर पार्क        | जिला विधिक सेवा<br>प्राधिकरण, भिण्ड  |

| (1) | (2)         | (3)                                                              | (4)                                                                                                 | (5)                                     |
|-----|-------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 4   | MPAO2106937 | श्री अतुल सेन<br>पिता श्री अंभयनाथ<br>सेन                        | वार्ड नं.1 उत्तरी पतेरी<br>थाना सिविल लाइन्स<br>तहसील रघुराज नगर<br>जिला सतना 485001                | जिला विधिक सेवा<br>प्राधिकरण, सिंगरौली  |
| 5   | MPAO2100817 | कुमार कृष्ण प्रजापति<br>पिता श्री एन.एल.<br>प्रजापति             | एमआईजी-166 सेट<br>मेरी स्कूल के पास<br>एमएलबी. वार्ड नं.5, और<br>नगर मकरोनिया सागर<br>म.प्र. 470004 | जिला विधिक सेवा<br>प्राधिकरण, राजगढ़    |
| 6   | MPAO2100994 | श्री जयदेव मानिक<br>पिता श्री सुखदेव<br>मानिक                    | 733 शिवमंदिर के<br>पीछे, स्कीम नं. 51<br>सगांम नगर एरोड्रम<br>पुलिस थाना इन्दौर<br>452006           | जिला विधिक सेवा<br>प्राधिकरण, बुरहानपुर |
| 7   | MPAO2102270 | कुमार अनुपमा मुजाल्दे<br>पिता श्री दुलेसिंह                      | 211-ए प्रजापति नगर<br>थाना द्वारकापुरी जिला<br>इन्दौर 452009                                        | जिला विधिक सेवा<br>प्राधिकरण, खण्डवा    |
| 8   | MPAO2100159 | श्री सर्वेश चंतुर्वेदी<br>पिता श्री सुरेन्द्र मोहन<br>चंतुर्वेदी | 8/31 आर्य समाजं<br>रोड, शिवपुरी म.प्र.<br>473551                                                    | राज्य विधिक सेवा<br>प्राधिकरण, जबलपुर   |

उपरोक्तानुसार चयनित अभ्यर्थीगण को वित्त विभाग के अधिसूचना मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 22 फरवरी 2020 के अधीन जिला विधिक सहायता अधिकारी (प्रवेश स्तर) के वेतनमान रु. 56100–177500 के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि स्टायर्पेंड के रूप में देय होगा। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में न्यूनतम वेतन दिया जाना प्रारम्भ किया जायेगा।

उक्त अभ्यर्थीगण पदस्थापना स्थल पर दिनांक 25.04.2022 अथवा उसके पूर्व पदभार ग्रहण करेंगे।

#### शर्तें:-

- 1— वे भारत के संविधान एवं संप्रभुता में निष्ठा रखेंगे।
- 2— म.प्र.सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के अंतर्गत नियमों का पालन करेंगे।
- 3— मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अस्थायी तथा अर्द्ध स्थायी सेवा) नियम, 1960 के नियम 12 (ए) के अनुसार किसी भी समय किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके बदले एक माह का वेतन तथा भत्ता देकर सेवाये समाप्त की जा सकेगी।
- 4— एक माह का नोटिस दिए बिना या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान किए बिना शासकीय सेवा छोड़ने पर वेतन तथा भत्ते की राशि भू-राजस्व की बकाया की भाँति उनसे वसूल की जावेगी।

- 5— मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय वल्लभ भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ-9/3/2003/नियम/चार. भोपाल दिनांक 13/4/2005 के अनुसार दिनांक 1/1/2005 के पश्चात् नियुक्त होने वाले कर्मचारियों पर परिभाषित पेंशन अंशदान योजना, 2005 लागू होगी।
- 6— अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के 15 दिवस के अन्दर स्वयं के व्यय पर संभागीय मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी स्वस्थ्यता परीक्षण का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। संभागीय मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त शारीरिक एवं मानसिक स्वस्थ्यता का प्रमाण पत्र प्रतिकूल होने की दशा में नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
- 7— कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत अन्य किसी विभाग में नौकरी के लिए आवेदन देने या पत्रांचार करने के पूर्व राज्य प्राधिकरण की अनुमति लेना आवश्यक होगा तथा बिना अनुमति के सीधे आवेदन पत्र भेजे जाने पर अनुशांसनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
- 8— आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रमाण पत्रों के तथ्यों को छिपाये जाने, कूटरचित या फर्जी पाये जाने या अन्य किसी कारण से गलत पाये जाने पर नियुक्ति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।
- 9— अभ्यर्थीगण द्वारा नियत समय सीमा के अंदर कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में उनकी नियुक्ति संवयमेव निरस्त मानी जावेगी।
- 10— अभ्यर्थियों द्वारा ज्वाईनिंग करने के उपरान्त नियुक्ति आदेश में उल्लेखित शर्तों के पालन संबंधी अभिस्वीकृति पत्र एवं उपस्थिति प्रतिवेदन उचित माध्यम से राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर को प्रेषित किया जायेगा।
- 11— इनकी सेवायें राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सामान्य नियन्त्रण में रहेगी।
- 12— इन नियुक्तियों के लिए मध्य प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 व उसके तहत राज्य शासन द्वारा जारी उपबंधों का अनुपालन किया गया है।

माननीय कार्यपालक अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार,  
राजीव कर्मेंह, सदस्य सचिव.

## राज्य शासन के आदेश

### राजस्व विभाग

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग**

पन्ना, दिनांक 28 मार्च 2022

प्र. क्र. 20-अ-82-वर्ष 2021-22.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

#### अनुसूची

| जिला  | भूमि का वर्णन |           |                                                                                       | धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी     | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन                                                    |
|-------|---------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|       | तहसील         | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल<br>(हे. में)                                                           |                                           |                                                                               |
| (1)   | (2)           | (3)       | (4)                                                                                   | (5)                                       | (6)                                                                           |
| पन्ना | देवेन्द्रनगर  | भोपुर     | निजी भूमि रकबा<br>3.013 है. एवं<br>शासकीय भूमि रकबा<br>0.00 है. कुल रकबा<br>3.013 है. | कार्यपालन यंत्री, जल-संसाधन संभाग, पन्ना. | देवरी तालाब योजना<br>अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु धारा-11 का प्रकाशन हेतु. |

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
संजय कुमार मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 8 अप्रैल 2021

प. क्र. 23-प्रशा-भू-अर्जन-2021.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूचित खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है। चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है। इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

#### अनुसूची

| जिला | भूमि का विवरण |           |                             | धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी                                   | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन                                                               |
|------|---------------|-----------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | तहसील         | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल<br>(हे. में) |                                                                              |                                                                                          |
| (1)  | (2)           | (3)       | (4)                         | (5)                                                                          | (6)                                                                                      |
| रीवा | मनगढ़ा        | इटहा      | 0.500                       | कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग, रीवा (म. प्र.). | पी. एच. 2 पहुँच मार्ग निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत). |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
छोटे सिंह, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीहोर, दिनांक 8 अप्रैल 2022

प्र. क्र. 2-अ-82-21-22.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

| अनुसूची |       |         |                                  | धारा 12 हेतु<br>प्राधिकृत अधिकारी           | सार्वजनिक प्रयोजन<br>का वर्णन                       |
|---------|-------|---------|----------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| जिला    | तहसील | ग्राम   | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | (5)                                         | (6)                                                 |
| (1)     | (2)   | (3)     | (4)                              |                                             |                                                     |
| सीहोर   | रेहटी | अमीरगंज | 24.079                           | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन<br>संभाग सीहोर. | महादेव बेन्द्रा जलाशय के<br>शीर्ष भाग निर्माण हेतु. |

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, बुधनी के कार्यालय में किया जा सकता है।  
 (3) उपरोक्त के संबंध में किसी भी व्यक्ति को यदि कोई आपत्ति हो तो वह 60 दिवस के भीतर कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, बुधनी में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकेंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
चन्द्र मोहन ठाकुर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास,  
बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 8 अप्रैल 2021

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| पत्र क्र. 17-प्रका.-भू-अर्जन-20.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि को अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:— | (1) | (2)   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 450 | 0.006 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 439 | 0.002 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 454 | 0.016 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 452 | 0.002 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 461 | 0.031 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 458 | 0.012 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 459 | 0.062 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 460 | 0.025 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 494 | 0.002 |

(1) भूमि का वर्णन—

|                     |       |       |
|---------------------|-------|-------|
| (क) जिला—रीवा       | 495/1 | 0.025 |
| (ख) तहसील—नईगढ़ी    | 495/2 | 0.050 |
| (ग) ग्राम—जोरौट     | 499   | 0.020 |
| (घ) क्षेत्रफल—0.325 |       |       |

|                      |                          |                                  |       |
|----------------------|--------------------------|----------------------------------|-------|
| खसरा नं.             | अर्जित रकबा<br>(हे. में) | अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . . | 0.325 |
| (1)                  | (2)                      | म. प्र. शासन की भूमि का योग . .  | 0.000 |
| अ—निजी पट्टे की भूमि | 0.040                    |                                  |       |
| 451                  | 0.032                    | अ+ब का योग . .                   | 0.325 |
| 453                  |                          |                                  |       |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत बुस्टर एवं पहुँच मार्ग निर्माण कार्य हेतु” में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

पत्र क्र. 19-प्रका.-भू-अर्जन-20.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि को अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—नईगढ़ी
- (ग) ग्राम—भदावल
- (घ) क्षेत्रफल—0.159

खसरा नं.

अर्जित रकबा

(हे. में)

(1)

(2)

|                      |       |
|----------------------|-------|
| अ—निजी पट्टे की भूमि |       |
| 790                  | 0.004 |
| 791                  | 0.019 |
| 792                  | 0.005 |
| 796                  | 0.012 |
| 795                  | 0.011 |
| 806                  | 0.006 |
| 807                  | 0.018 |
| 816                  | 0.084 |

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . . 0.159

ब-म. प्र. शासन की भूमि

म. प्र. शासन की भूमि का योग . . 0.000

अ+ब का योग . . 0.159

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत बुस्टर एवं पहुँच मार्ग निर्माण कार्य हेतु” में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 21-प्रका.-भू-अर्जन-20.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि को अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—मनगवां
- (ग) ग्राम—पहुआ
- (घ) क्षेत्रफल—0.069

खसरा नं.

अर्जित रकबा

(हे. में)

(1)

(2)

|                      |       |
|----------------------|-------|
| अ—निजी पट्टे की भूमि |       |
| 498                  | 0.030 |
| 499                  | 0.035 |
| 500                  | 0.004 |

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . . 0.069

ब-म. प्र. शासन की भूमि

म. प्र. शासन की भूमि का योग . . 0.000

अ+ब का योग . . 0.069

| (2)                                                                                                                                                                                                                                  | (1)          | (2)                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत पी. एच. 2 पहुँच मार्ग निर्माण कार्य हेतु” में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु. | 603<br>604/2 | 0.030<br>0.020                                                                        |
| (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।                                                                                                                |              | योग. . 0.109 कुल रकबा 0.109 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां. |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
छोटे सिंह, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

### कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 11 अप्रैल 2022

क्र. 2922-भू-अर्जन-2022.—चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

#### अनुसूची

##### (1) भूमि का वर्णन:—

|     |                                                                        |                                                                                   |
|-----|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| (क) | जिला—छिन्दवाड़ा                                                        |                                                                                   |
| (ख) | तहसील—छिन्दवाड़ा                                                       |                                                                                   |
| (ग) | नगरग्राम—ग्राम-उमरहर, प.ह.न.-41,<br>ब. नं.-23, रा. नि. मं.-छिन्दवाड़ा. |                                                                                   |
| (घ) | अर्जित किये जाने वाला<br>प्रस्तावित क्षेत्रफल—                         | कुल रकबा-0.109<br>हेक्टेयर एवं प्रस्तावित<br>क्षेत्रफल पर आने<br>वाली संपत्तियां. |

प्रस्तावित खसरा

नम्बर

(1)

602/2

प्रस्तावित रकबा

(हेक्टेयर में)

(2)

0.059

- | (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (1) | (2) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| योग. . 0.109 कुल रकबा 0.109 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.                                                                                                                                                                                                                                                              |     |     |
| (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—येंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना की दांयी तट मुख्य नहर के अन्तर्गत टेल वितरक नहर से निकलने वाली मुख्य नहर हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में।                                                                                                     |     |     |
| (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट <a href="http://www.chhindwara.mp.gov.in">http://www.chhindwara.mp.gov.in</a> एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट <a href="http://www.mprevenue.nic.in/">http://www.mprevenue.nic.in/</a> पर भी देखा जा सकता है। |     |     |
| (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।                                                                                                                                                              |     |     |
| (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, येंच व्यपवर्तन परियोजना, बांध जल संभाग क्रमांक-1 चौरई, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।                                                                                                             |     |     |
| (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, दांया तट नहर, उप संभाग क्र.-1 चौरई, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।                                                                                                                   |     |     |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला नर्मदापुरम, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

नर्मदापुरम, दिनांक 27 अप्रैल 2022

प्र. क्र. 1626-भू-अर्जन-2020-प्रकरण क्र.-आ-82-2019-20.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन एवं पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक तीस सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

| जिला              | तहसील       | नगर/ग्राम    | लगभग क्षेत्रफल<br>(हे. में) | धारा 11 की उपधारा (1)<br>एवं 12 के अंतर्गत<br>प्राधिकृत अधिकारी।<br>(5) | सार्वजनिक प्रयोजन<br>का वर्णन<br>(6)                                                                                                                                       |
|-------------------|-------------|--------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1)<br>नर्मदापुरम | (2)<br>माखन | (3)<br>बागरा | (4)<br>1.000 हे.            | अनुविभागीय अधिकारी<br>एवं भू-अर्जन अधिकारी,<br>नर्मदापुरम।              | सोनतलाई स्टेशन से बागराया<br>स्टेशन तक नई बड़ी रेल लाईन<br>के दोहरीकरण परियोजना हेतु ग्राम<br>बागरा मानांगांव को, निजी भूमि<br>ख. नं. 355/1, 355/2/1,<br>355/3/1 का अर्जन। |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है सोनतलाई स्टेशन से बागराया स्टेशन तक नई बड़ी रेल लाईन के दोहरीकरण परियोजना हेतु ग्राम बागरा मानांगांव की निजी भूमि का अर्जन।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू अर्जन अधिकारी नर्मदापुरम के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
नीरज सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 28 अप्रैल 2022

प्र. क्र. 45-रीडर-भू-अर्जन-2022.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है। अतः भूमि पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु भूमि की आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन:—

- (क) जिला—धार
- (ख) तहसील—डही
- (ग) ग्राम का नाम—मालपुरा
- (घ) क्षेत्रफल—2.660 हेक्टेयर।

| खसरा      | अर्जन का क्षेत्रफल |
|-----------|--------------------|
| नम्बर     | (हेक्टेयर में)     |
| (1)       | (2)                |
| 172       | 0.480              |
| 173/1     | 0.150              |
| 149/1/6/1 | 0.099              |
| 170       | 0.180              |

|           |       |
|-----------|-------|
| (1)       | (2)   |
| 169/2     | 0.100 |
| 149/1/5   | 0.372 |
| 168/6     | 0.100 |
| 168/7     | 0.075 |
| 149/1/6/2 | 0.099 |
| 168/5     | 0.400 |
| 149/1/4   | 0.219 |
| 149/1/3   | 0.016 |
| 149/1/2   | 0.250 |
| 151/3     | 0.080 |
| 153/3     | 0.040 |
| योग . .   | 2.660 |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के पम्प हाउस क्रमांक 4 के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे का अवलोकन भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना कुक्षी एवं काव्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 16 के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है।
- (4) इस उद्वेष्य में वर्णित भूमि के क्षेत्र एवं औचित्य के संबंध में संबंधित व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू-अर्जन अधिकारी सरदार सरोवर परियोजना कुक्षी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
पंकज जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।